जिला आपदा प्रबन्ध योजना

जनपद इटावा

वर्ष –2014

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1	प्रस्तावना	1
2	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन	2–3
3	जनपद की सामान्य सूचनायें	4–10
4	जनपद के अधिकारियों के दूरभाष नम्बर की सूची	11–13
5	जनपद में संचालित एन0जी0ओ0 की सूची	14
6	जनपद में संचालित प्राइवेट हास्पीटल/नर्सिंग होम की सूची	15
7	प्राकृतिक आपदा क्या है?	16–18
8	आग प्रबन्ध योजना	19–23
9	लू का प्रभाव एवं बचाव	24–25
10	आकाशीय विद्युत का प्रभाव एवं बचाव	26
11	भूकम्प प्रबन्ध योजना	27–30
12	शीतलहरी/कोहरे से बचाव हेतु प्रबन्ध योजना	31–35
13	बाढ़ प्रबन्ध योजना बाढ़ प्रबन्ध योजना	36–65
14	सूखा प्रबन्ध योजना	66–93
15	रासायनिक पदार्थो/हथियारों से सम्बन्धित आपदा	94–97
16	परमाणु आपदा	98–103
17	जैविक आपदा प्रबन्धन	104–108
18	कृषि क्षेत्र में जैविक आपदा प्रबन्धन	109–111
19	बाटलिंग प्लान्ट में बम विस्फोट आदि से निपटने हेतु आपातकालीन योजना।	112–149

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या 4141/01–11– 2008–01 (पी0)–2008 दिनाँक 10 दिसम्बर 2008 के प्रकाशित सरकारी गजट (असाधारण) के विधायी परिशिष्ठ, भाग–04, खण्ड(ख) में मुद्रित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की स्थापना एवं गठन विषयक अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के अनुसार जनपद में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गठित किया गया। इस प्राधिकरण का एक महत्वूपूर्ण कार्य है जनपद के लिए एक आपदा प्रबन्ध योजना का तैयार किया जाना। उक्त के अनुपालन में जनपद की जिला आपदा प्रबन्ध योजना तैयार की गई है।

जनपद में प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भूकम्प ,बाढ़, तूफान, सूखा, ओलावृष्टि आदि का सामना करना पड़ सकता है। दैवी आपदा का प्रकोप होने पर बिजली, जल सप्लाई,स्थास्थ्य, जल एवं वायु प्रदूषण, खाद्य पदार्थो की कमी, आवागमन/संचार व्यवस्था भंग होने की बहुत अधिक सम्भावना होती है। अतः दैवी आपदाओं से हुई क्षति का आंकलन एवं राहत पहुंचाने का कार्य काफी जटिल होता है।

इस जिला आपदा प्रबन्ध योजना में विभिन्न विभागों से संकलित किये गये आंकड़ों का समावेश करते हुय महत्वपूर्ण शासनादेश एवं राहत सम्बन्धी निर्देशों को इस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है कि राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मार्ग दर्शन उपलब्ध हो सके। दैवीय आपदा के प्रकोप एवं प्रकार का मानवीकरण नहीं किया जा सकता है।

अतः परिस्थिति विशेष में मानवीय सूझ–बूझ अधिक लाभप्रद हो सकती है। दैवी आपदा की स्थिति में सरकारी राहत के अतिरिक्त क्षेत्र के सम्पन्न एवं प्रभावशाली व्यक्तियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से भी सहायता ली जानी चाहिये। दैवीय आपदा की स्थिति में राहत कार्य में लगे समस्त विभागों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों से भली भॉति अवगत रहें एवं दैवी आपदा की स्थिति में पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जन मानस को राहत पहुंचायें।

(नितिन बंसल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
इटावा।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,इटावा

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या 4141/1–11–2008–01(पी)–2008 दिनाँक 10 दिसम्बर 2008 के प्रकाशित सरकारी गजट (असाधारण) के विधायी परिशिष्ट, भाग–04, खण्ड(ख) में मुद्रित 'जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण' की स्थापना एवं गठन विषयक अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के अनुसार जनपद इटावा में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण निम्नानुसार स्थापित एवं गठित किया गया हैः–

1. जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त	अध्यक्ष पदेन
2. जिला पंचायत के अध्यक्ष	सह अध्यक्ष पदेन
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	सदस्य पदेन
4. पुलिस अधीक्षक	सदस्य पदेन
5. मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य पदेन
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा	सदस्य पदेन
7. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, इटावा	सदस्य पदेन

जिला आपदा प्राधिकरण का कार्यालय कलैक्ट्रेट परिसर, इटावा में स्थापित होगा, जिसका वर्तमान में टेलीफोन संख्या 05688–259697 एवं 05688–250077 (टोल फ्री नं0 –1077) है।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा–25 के अर्न्तगत उक्त प्रधिकरण के कार्य एवं उददेश्य निम्नलिखित हैः–

1. आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा प्राधिकरण दे और जिलामजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण अधीन–

क– प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिलामजिस्ट्रेट को सहायता करेगा;

ख– सुनिचिश्त करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षित हैं,

ग– सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धित संसाधनों का इस प्रकार से अनुरक्षण किया जाये कि वे उपयोग के लिए तैयार हों;

घ– सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय क्षेत्र के समस्त भवनों और अन्य संरचनाओं को सरकार के विभागों और प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त निर्धारित विनिर्देश के अनुसार पूरा किया जाना हैं;

ड़– मण्डलायुक्त के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलायेगा;

च– प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पुर्ननिर्माण और पुर्नवास कियाकलापों को चलायेगा;

छ– निम्नलिखित के लिए एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा अर्थातः–

(एक) स्थानीय क्षेत्र में लागू किये जाने वाले आपदा प्रबन्ध की संकल्पना और सिद्वातों की रीति;

(दो) राज्य की आपदा योजना के सम्बध में स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका और दायित्व;

(तीन) भूमिका और दायित्व को पूरा करने की स्थानीय प्राधिकारी की क्षमता;

(चार) आपदा प्रबन्ध की रणनीत की विशिष्टियां;

(पांच) किसी आपदा की स्थिति में, आकस्मिक रणनीति और आपात प्रकियाएं जिसके अर्न्तगत रणनीति को वित्तपोषित करना भी है;

ज– राज्य के संगठनों और स्टेक होल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन का समन्वय करना।

झ– योजना का नियमित पुनरावलोकन और उसको अद्यतन करना।

ञ– आपदा प्रबन्ध को समय–समय पर संचालित करना

ट– प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिलामजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना और ऐसे अन्य कदम उठाना जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों।

2. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को उक्त उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपने आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किये गये संशोधन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

———————————

(4)

सामान्य सूचना–जनपद इटावा

1. जनपद का नाम – इटावा

2. जनपद में तहसीलों की संख्या–6

इटावा
भरथना
सैफई
जसवन्तनगर
चकरनगर
ताखा

3. जनपद में राजस्व ग्रामों की संख्या –705

1.	तहसील इटावा	207
2.	तहसील भरथना	167
3.	तहसील सैंफई	60
4.	तहसील जसवन्तनगर	100
5.	तहसील चकरनगर	107
6.	ताखा	64

(अ) आबाद ग्रामों की संख्या – 698

(ब) गैर आबाद ग्रामों की संख्या – 07

(तहसील इटावा–04, चकरनगर–02, सैफई–01 =07) गैर आबाद

4.	जनपद का कुल क्षेत्रफल	234214 हेक्टेयर
(अ)	कृषिक भूमि	148727 हेक्टेयर
(ब)	अकृषक भूमि	85487 हेक्टेयर
(स)	दो फसली भूमि	98314 हेक्टेयर
(द)	गेंहूँ की फसल का क्षेत्रफल	95496 हेक्टेयर
(य)	धान की फसल का क्षेत्रफल	50869 हेक्टेयर

5. जनपद में कुल ब्लाकों की संख्या –08

(अ)	तहसील इटावा	1. बढपुरा
		2. बसरेहर
(ब)	तहसील भरथना	1. भरथना
		महेवा (आंशिक)
(स)	तहसील सैंफई	1. सैंफई
(द)	तहसील जसवन्तनगर	1. जसवन्तनगर
(य)	तहसील चकरनगर	1. चकरनगर
		2. महेवा (आंशिक)
(र)	तहसील ताखा	1. ताखा

6.	जनपद में भूमि प्रबन्धक समितियों की संख्या	–	420
1.	तहसील इटावा	112	
2.	तहसील भरथना	111	

3.	तहसील सैंफई	36
4.	तहसील जसवन्तनगर	64
5.	तहसील चकरनगर	61
6.	ताखा	36

7. जनपद में पुलिस थानों की संख्या – 20

(अ) तहसील इटावा –8

1.	कोतवाली इटावा	फोन – 259742	मो0 9454403276
2.	थाना सिविल लाइन	फोन – 255130	मो0 9454403273
3.	थाना इकदिल	फोन – 271359	मो0 9454403274
4.	थाना बढपुरा	फोन – 273281	मो0 9454403266
5.	थाना बसरेहर	फोन – 272020	मो0 9454403267
6.	थाना चौबिया	फोन – 272050	मो0 9454403272
7.	थाना पछायगॉव	फोन – 273263	मो0 9454403278
8.	महिला थाना		मो0– 9454403283

(ब) तहसील भरथना – 3

1.	थाना भरथना	फोन–255228	मो0 9454403269
2.	थाना बकेवर	फोन–253235	मो0 9454403264
3.	थाना लबेदी	फोन–233100	मो0 9454403277

(स) तहसील सैंफई–2

1.	थाना सैंफई	फोन–276145	मो0 9454403280
2.	थाना बैदपुरा	फोन–272280	मो0 9454403282

(द) तहसील जसवन्तनगर–2

1. थाना जसवन्तनगर फोन–274100 मो0 9454403275
2. थाना बलरई फोन–274584 मो0 9454403265

(य) तहसील चकरनगर–4

1. थाना चकरनगर फोन– 221077 मो0 9454403271
2. थाना सहसों फोन– 223135 मो0 9454403279
3. थाना बिठौली फोन– 221101 मो0 9454403270
4. थाना भरेह फोन– 223112 मो0 9454403268

(र) तहसील ताखा– 03

1. थाना ऊसराहार फोन –221077 मो0 9454403281
2. थाना चौबिया (आंशिक)फोन–272050 मो0 9454403272
3. थाना भरथना (आंशिक)फोन–255228 मो0 9454403269

8. जनपद में नगर पालिकाओं की संख्या –03

1. नगर पालिका परिषद, इटावा
2. नगर पालिका परिषद, जसवन्तनगर
3. नगर पालिका परिषद, भर्थना

9. जनपद में नगर पंचायतों की संख्या –03

1. नगर पंचायत,इकदिल
2. नगर पंचायत, बकेबर
3. नगर पंचायत,लखना

10. जनपद में नदियों की संख्या –07

1– यमुना (सीमा– बाउथ से लेकर विठौली तक)

2– चम्बल (सीमा– पुरामुरोंग से अचरौली तक)

3– क्वारी (सीमा– बिन्डवाकलां से विठौली तक)

4– सिरसा (सीमा– महामई से चकवाबुजुर्ग तक)

5– सैंगर (सीमा– व्यारी भट्पुरा से टिड़वाइस्माइलपुर तक)

6– अहनैया (सीमा– कथुआ से ढकपुरा साम्हों तक)

7– पुरहा (सीमा– थुलरई गनेशपुर से रतहरी सरावां तक)

11. जनपद में रेलवे स्टेशनों की संख्या–07

1. बलरई
2. जसवन्तनगर
3. सरायभूपत
4. इटावा
5. इकदिल
6. भरथना
7. साम्हों

12. जनपद में लोकसभा सदस्य– 01

1. श्री अशोक कुमार दोहरे, मा0 संसद सदस्य

13. जनपद में सदस्य विधानसभा–03

1. श्री शिवपाल सिंह यादव मा0 सदस्य विधान सभा क्षेत्र जसवन्तनगर।
2. श्री रघुराज सिंह शाक्य मा0 सदस्य विधान सभा क्षेत्र इटावा।
3. श्रीमती सुखदेवी वर्मा मा0 सदस्या विधान सभा क्षेत्र भरथना।

14. जनपद में तहसीलदारों की संख्या– 07 (कार्यरत –07, रिक्त –0)

1. तहसीलदार,इटावा
2. अपर तहसीलदार, इटावा
3. तहसीलदार ,भरथना
4. तहसीलदार,सैंफई

5. तहसीलदार ,जसवन्तनगर
6. तहसीलदार,चकरनगर
7. तहसीलदार ताखा

जनपद में स्वीकृत नायब तहसीलदारों की संख्या – 07 (कार्यरत 06 रिक्त 01)

15. जनपद में स्वीकृत भूलेख निरीक्षकों की सं0– 09 (कार्यरत 02 रिक्त 07)

16. जनपद में स्वीकृत लेखपालों की संख्या– 160 (कार्यरत 107 रिक्त 53)

17. जनपद की जनसंख्या 15,79,160 (सन् 20011 की जनगणना के अनुसार)

तहसीलवार जनसंख्या (ग्रामीण)

1.	इटावा	5,91,039
2.	भरथना	3,96,896
3.	सैंफई	95,078
4.	जसवन्तनगर	2,14,712
5.	चकरनगर	1,46,298
6.	ताखा	1,35,137

18. जनपद में नहरों के प्रखण्ड–06
1. इटावा प्रखण्ड
2. भोगनीपुर प्रखण्ड
3. मैनपुरी प्रखण्ड
4. सिंचाई खण्ड इटावा
5. सिचाई खण्ड आगरा
6. सिंचाई खण्ड औरैया

19. नलकूप विभाग 1. नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा

20. जनपद में निरीक्षण भवनों की संख्या– 14

(अ) तहसील इटावा –6

1. लोक निर्माण विभाग,इटावा
2. नहर विभाग, इटावा
3. बन विभाग ,इटावा
4. जिला पंचायत ,इटावा
5. वन विश्राम गृह, सुमेर सिंह किला ,इटावा
6. मण्डी समिति,इटावा

(ब) तहसील भरथना–01

1. नहर विभाग ,भरथना

(स) तहसील सैंफई –05

लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0
भारत संचार निगम लि0
विकास खण्ड सैफई
हैवरा डिग्री कालेज

(द) तहसील जसवन्तनगर–01

1. मण्डी समिति जसवन्तनगर

(य) तहसील चकरनगर–01

1. वन विभाग ,चकरनगर

(र) तहसील ताखा– 01

1. सिंचाई विभाग, भरतिया कोठी, ताखा

———————————

जिला आपदा प्रबन्ध योजना से सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र0	पद नाम अधिकारी	कार्यालय दूरभाष संख्या	आवास दूरभाष संख्या	सी0यू0जी0 नं0
1	2	3	4	5
1	जिलाधिकारी, इटावा।	254770, 254704 फै0 05688–252758	05688–252544 05688–252219	9454417551
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।	254041 फै0–253333	254978 फै0–254978	9454400266
3	मुख्य विकास अधिकारी इटावा	254690 फै0–259765	254848	9454464970
4	अपर जिलाधिकारी इटावा	250035	254045	9454417622
5	अपर पुलिस अधीक्षक, इटावा।	254041	254476	9454401043
6	मुख्य चिकित्साधिकारी,इटावा।	259843	255624	9411057435
7	सिटी मजिस्ट्रेट, इटावा।	254704	254146	9454416438
8	उपजिलाधिकारी, इटावा।	254704	–	9454416439
9	उपजिलाधिकारी,भरथना।	05680.255358	05680–255358	9454416440
10	उपजिलाधिकारी,सैंफई।	05688.276035	276035	9454416441
11	उपजिलाधिकारी,जसवंतनगर।	274132	254795	9454416443
12	उपजिलाधिकारी,चकनरगर।	221193	–	9454416442
13	उप जिलाधिकारी, ताखा	–	–	9568003851
14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,इटावा	255726	255679	9936985310
15	जिला कृषि अधिकारी,इटावा।	253495	–	9918678499
16	जिला उद्यान अधिकारी इटावा	257358	–	9415185500
17	जिला पूर्ति अधिकारी,इटावा।	–	–	9411244505
18	अधि0अभि0इटावाप्र0नि0गं0न0इटावा	254947	254947	9456241460
19	अधि0अभि0उ0प्र0जल निगम,निर्माण खण्ड	254660	–	9473942762
20	अधि0अभि0उ0प्र0जल निगम,अष्टम शाखा	–	–	9473942761
21	अधि0अभि0नलकूप खण्ड प्रथम।	251847	254335	9454415260
22	अधि0अभि0 भोगनीपुर प्रखण्ड,इटावा।	254935	254935	9412878492
23	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	254590		9451917661
24	अधि0अभि0प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0	255593	259554	9452873993
25	अधि0अभि0 विद्युत वितरण (नगरीय)	255338	255487	9412748800
26	अधि0अभि0 विद्युत वितरण (ग्रामीण)	263848	–	9412748806 9412740030
27	जिला अग्निशमन अधिकारी,इटावा।	254122	–	9454448419
28	जिला कमाण्डेट होमगार्डस, इटावा।	255551	–	9634287081 9411663134

29	सेनानायक 28 वी वाहिनी पीएसी	265950	264296	9454400365
30	तहसीलदार, इटावा।	252782	–	9454416444
31	तहसीलदार, भरथना।	05680–225240	–	9454416452
32	तहसीलदार, सैफई।	276034	–	9454416446
33	तहसीलदार, चकरनगर।	05680–221193	265705	9454419062
34	तहसीलदार, जसवंतनगर।	274132	–	9454416448
35	तहसीलदार, ताखा	–	–	9621138190
36	अधि0अधि0नगर पालिका परिषद, इटावा।	252397	–	9451566570
37	अधि0अधि0नगर पालिका परिषद,भरथना।	255221	–	9454416440
38	अधि0अधि0नगर पालिका परिषद, जसवंतनगर।	274208	–	9454416443
39	अधि0 अधि0 नगर पंचायत, इकदिल।	271012	–	9411041313
40	अधि0अधि0नगर पंचायत,बकेवर।	223026	–	9454419063

41	अधि0अधि0नगर पंचायत,लखना।	–	–	9454416441
42	जिला समाज कल्याण अधिकारी	254486	–	9457689992
43	जिला पंचायतराज अधिकारी	254546	–	9451450000
44	परियोजना निदेशक डीआरडीए	254573	–	9454464971
45	जिला प्रोवेशन अधिकारी	255725	–	9457689992
46	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	–	–	9454416443
47	सहायक निदेशक बचत	254580	–	9415544600
48	जिला सेवायोजन अधिकारी	254918	–	9415293183
49	भूमि संरक्षण अधिकारी , सहसों इटावा	–	–	9235629542
50	सहायक निदेशक सूचना	254500	–	9453005386
51	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इटावा।	252501	254931	9412068711
52	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा	254587	–	9453006417
53	पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर इटावा	254319	–	9450107842
54	महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि0, इटावा	252821	254200	9412000286
55	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम इटावा।	252327	255494	9415608287
56	अधीक्षक, इटावा रेलवे स्टेशन	254054	–	9794837257
57	जिला प्रबन्धक,पी0सी0एफ0	255571	–	9219096367
58	जिला प्रबन्धक, यू0पी0एस0एस0	–	–	9457721140
59	डिपो आफीसर भारतीय खाद्य निगम	–	–	9415883247
60	जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी	252372	–	9457118197
61	सम्वाददाता,दैनिक जागरण।	255001	255002	9412283555
62	सम्वाददाता,अमर उजाला	255158	–	8954886438
63	राष्ट्रीय सहारा	–	–	9412185960
64	ई0टी0वी0 उत्तर प्रदेश	–	–	9793887402
65	सहारा समय	–	–	9412182182
66	एबीपीन्यूज	–	–	9412185377
67	अधिशाषी अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार, निचली यमुना मण्डल, क्वाटर संख्या 404–409, सेक्टर–12सी, आवास विकास कालौनी,आगरा	0562–2604424	फैक्स– 0562–2602268	-
68	सहायक अभियन्ता, निचली यमुना **उपमण्डल–2** केन्द्रीय जल आयोग क्वाटर नं0 402 सेक्टर–12सी, आवास विकास कालोनी आगरा।	0562–2604294	-	-
69	सहायक अभियन्ता, निचली यमुना **उपमण्डल–3** केन्द्रीय जल आयोग यमुनाब्रिज के पास, एन.एच.	05282–224309	-	-

	रोड, हमीरपुर (उ0प्र0)			
70	कमान्डेन्ट एन0डी0आर0एफ0, सेक्टर–19, कमला नेहरू नगर,,गाजियाबाद	फैक्स–0120–2766618		09968610012
71	श्री राजीव अलावत, कमान्डिंग आफीसर, 02 इंजी0 रेजीमेन्ट,C/0 56 ए0पी0ओ0,ओ0डी0 काम्पलैक्स, मथुरा	Email-glorious.two@gmail.com	-	9675056002
72	श्री यू0एच0जाफरी, कम्पनी कमाण्डर, 422 एफ0डी0 कम्पनी, 2–इंजी0रेजीमेन्ट C/0 56 ए0पी0ओ0,ओ0डी0 काम्पलैक्स, मथुरा			9756191681
73	प्रबन्धक यांत्रिक, NHAI	-	-	9997699760
74	परियोजना प्रबन्धक NHAI	0562-2580251	0562-2580274	9911121782

75	कन्सलटेण्ट NHAI	-	-	9027769779
76	श्रम प्रवर्तन अधिकारी इटावा	-	-	8090560825
77	सहा0 निदेशक कारखाना, कानपुर	-	-	9936159261
78	प्रबन्धक इण्डेन बाटलिंग प्लांट चितभवन	05688.278065	9412721499	9719698405
79	अधीक्षक, जिला चिकित्सालय इटावा	259845	-	9412771678
80	आपात कालीन कक्ष, जिला चिकित्सालय, इटावा	254899	-	
81	अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, इटावा	259846	-	9839161658
82	निदेशक, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई	05688–276599	276570 फैक्स– 276509	05688–276563
83	आपातकालीन कक्ष, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई	05688–276566	-	–
84	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसरेहर	-	-	9720273638
85	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेवा	-	-	9411949556
86	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भरथना	-	-	9720970700
87	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर	-	-	9675532224
88	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरसईनावर	-	-	9758372693
89	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैफई	-	-	9412614027
90	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदी	-	-	8265873507
91	अधीक्षक,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसवन्तनगर	-	-	9410409175

जनपद इटावा के संचालित स्वयं सेवी संगठनों (एन0जी0ओ0) की सूची

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पद एवं सोसाइटी का नाम	दूरभाष नम्बर
1	डा0 राजीव चौहान	महासचिव, सोसाइटी फार कनजरवेशन आफ नेचर, 576 करमगंज पंजाबी कालोनी इटावा	9412182576 05688–266651
2	श्री संजय सिंह	सचिव, परिवर्तन समिति, 20 प्रकाश नगर, महेरा चुंगी इटावा	9412503559
3	श्री गजेन्द्र मिश्रा	सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, इटावा	9412880860
4	श्री अनूप अग्रवाल	अध्यक्ष, लायन्स क्लब इटावा	8923702270
5	श्री आर0के0अग्रवाल	चेयरमैन, जायन्टस क्लब, इटावा	9412185740
6	श्री संजीव शर्मा	संयुक्त सचिव, इटावा क्लब	9412160589
7	श्री गोपाल भगत	समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र इटावा	9456288959
8	श्रीमती मीरा अग्रवाल	इन्चार्ज ज्वाइन्टस ग्रुप आफ इटावा (मैत्री)	9412184528
9	श्रीमती सावित्री अग्रवाल	इन्चार्ज ज्वाइन्टस ग्रुप आफ इटावा (सहेली)	9412503566
10	श्री बी0एन0 गुप्ता	अध्यक्ष,देवीचरण लोक कल्याण समिति, झम्मन लाल की कलारी, इटावा	9255191046
11	श्री ध्रुव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, भारत विकास परिषद इटावा शाखा तुलसी।	9457441258
12	श्री ओम नरायण शुक्ला	अध्यक्ष, भारत विकास परिषद इटावा शाखा	9411612970
13	श्री शमशेर सिंह भदौरिया	अध्यक्ष, लार्ड बुद्धा सोसायटी इटावा टीला आजादनगर इटावा।	9410800201
14	श्री निर्मल कुमार	अध्यक्ष, नेचर कन्जरवेशन ह्यूमेन वेलफेयर सासायटी रामनगर इटावा	9411018480
15	श्री प्रदीप शाक्य	अध्यक्ष, देवी भोजेश्वरी शिक्षा परिषद नगला भिखन मलाजनी इटावा।	9412432520 8755472900
16	श्री सर्वेश सिंह भदौरिया	अध्यक्ष, प्रताप ग्रामोद्योग संस्थान विजय नगर फाटक इटावा	9411993087
17	श्री राहत अकील	अध्यक्ष, फातमा वेलफयर सोसाइटी सैदबाड़ा इटावा।	9412183107
18	श्री नावेद अली	महासचिव, दलित वर्ग उत्थान संगठन, घटिया अजमत अली इटावा	9411992792
19	मो0 शाहिद	अध्यक्ष, मौलाना आजाद वेलफेयर सोसाइटी, 371 घटिया अजमत अली इटावा।	9997696200
20	मु0 इकबाल	अध्यक्ष, वरीषा शिक्षण एवं समाज सेवी समिति 32, मेवाती टोला इटावा	9411211786
21	श्री विवेक रंजन गुप्ता	महासचिव, स्वामी विवेकानन्द संस्थान, वेरून कटरा शमशेर खां इटावा	9412185905

22	श्रीमती स्नेहलता तिवारी	अध्यक्ष, महिला जागृति एवं बाल कल्याण समितिपत्ता बाग कालानी इटावा	9412361660
23	श्री अनुराग वाजपेई	अध्यक्ष, सत्यम समाज सेवा समिति, विजयनगर इटावा	9411019450
24	श्री निर्मल सिंह	महासचिव, नेचर कन्जरवेशन एण्ड वेल्फयर सोसाइटी विजयनगर इटावा	9411018480
25	श्री शम्भू नाथ जी महाराज	सिद्ध गुफा गौशाला छैराहा इटावा	8534029023
26	श्री शिवरतन पुत्र रघुनाथ प्रसाद	श्री शिव गौशाला, अड्डा लखनपुरा, पछायगांव	9837260805
27	श्री माधौ दास बध्व श्री श्रीकृष्ण पूर्व प्रधान दौलतपुर	अनाथ जीव दया कल्याण समिति, ग्राम दौलतपुर सरसईनावर	8126825907
28	श्री धर्मवीर पुत्र वंशीधर	जय वंशीवाले गौशाला समिति बरीपुरा भरथना।	9634602657

(15)
जनपद के प्राइवेट हॉस्पीटल/नर्सिंग होम की सूची जनपद इटावा।

क्रमांक	प्राइवेट हॉस्पीटल का नाम	मोबाइल नम्बर
1	चन्द्र किरन हॉस्पीटल, 692, सिविल लाइन इटावा	9411940211
2	मंजु विजन आई केयर सेन्टर, 657, पक्का तालाब, सिविल लाइन इटावा	9412408500
3	शिव ज्योति महिला चिकित्सालय, 14 कटरा फतेह महमूद खॉ, इटावा	9760279422
4	डा0 हरिहरनाथ महरोत्रा मेमोरियल हास्पीटल, 97 सिविल लाइन इटावा।	9412183602
5	बंसल नर्सिंग होम 22 बी, रेलवे रोड इटावा	9412183013
6	सेवा हॉस्पीटल, 13 फ्रेन्डस कालोनी, अजीतनगर इटावा	9212157128
7	पालीवाल हास्पीटल, न्यू कालोनी चौगुर्जी, इटावा	05688–255000
8	शिवम् सर्जिकल नर्सिग होम सिविल लाइन्स इटावा	9837252234
9	दयाल मदर चाइल्ड हास्पीटल, सिविल लाइन, इटावा	–
10	डा0सत्यनरायण गुप्ता स्मारक चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह89, कूँचाशीलचन्द्र इटावा	9412283440
11	जे0के0हस्पीटल प्रा0लि0 इटावा	8006001000
12	कृष्ण नर्सिंग होम आई0टी0आई0 के सामने इटावा	–
13	लड़ैती भवन नेत्र चिकित्सालय कटरा बलसिंह इटावा	9412446621
14	श्री बी0एल0मेमोरियल हास्पीटल 199 फ्रेण्डस कालोनी इटावा	–
15	दिव्यांशी फ्रेक्चर एवं मेटरनिटी हास्पीटल, फ्रेण्डस कालोनी इटावा	9219415899
16	एम0एन0लाइफ केयर निर्सिंग होम दीप सिनेमा बगिया सेवाराम–मेवाराम इटावा	9412547518
17	दीप किरन निर्सिंग होम नुमाइश चौराहा बाईस ख्वाजा	9857706566

	रोड इटावा	
18	आदित्य हॉस्पीटल आगरा रोड इटावा	9412283564
19	जय श्री कृष्णा हॉस्पीटल, 85, प्रकाश टाकीज के सामने इटावा	05688–250377
20	जी0एल0पी0हॉस्पीटल 225,गांधी नगर इटावा	9410056363
21	श्री शंकर धर्मार्थ चिकित्सालय 891, विनोद नगर प्रकाश टाकीज के पास इटावा।	9410056003

भौगौलिक स्थिति जनपद इटावा।

इटावा जनपद के दक्षिणी भाग में यमुना, चम्बल तथा क्वारी नदियां बहती हैं तथा मध्यप्रदेश एवं जनपद जालौन की सीमा बनाती है। यमुना तथा चम्बल नदियों के बीच की भूमि और यमुना के उत्तर में लगभग 5 किलोमीटर तक भूमि ऊंची–नीची और बीहड़ है । वर्षा काल में पूर्ण क्षेत्र जल प्रभावित हो जाता है। और सम्पूर्ण क्षेत्रों में दूर–दूर तक जल ही जल दृष्टिगोचर होता है। ऐसे समय में एक स्थान से दूसरे स्थान को आने–जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है। जनपद के मध्य में सेंगर नदी बहती है जो जनपद के इटावा, भरथना, तथा औरैया तहसीलों के अन्दर से जाती है। यह नदी छोटी है किन्तु उथली होने के कारण वर्षा काल में इसका पानी दोनों किनारों पर चारो ओर फैलकर भयंकर रूप धारण कर लेता है।

उपर्युक्त नदियां जनपद की इटावा, भरथना, चकरनगर तहसीलों से होकर बहती है। अतः बाढ़ का प्रकोप इन्हीं चार तहसीलों में होता है। किन्तु कुछ स्थानों पर जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है।

प्राकृतिक आपदा क्या हैं?

ऐसी घटना जिससे इतने इतने व्यापक पैमाने पर नुकसान, आर्थिक विनाश, मानवीय क्षति और स्वास्थ्य व स्वास्वथ्य सेवाओं में गिरावट आये कि उससे प्रवाभित समुदाय क्षेत्र के बाहर भी असाधारण प्रतिक्रिया हो।

आपदा के संभावित परिणाम

बिजली, जल सप्लाई, टेलीफोन, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं ठप्प होना।

- बड़ी संख्या में लोगों का हताहत होना।
- जल एवं वायु प्रदूषण।
- सामान्य जनजीवन में बाधाएं।
- खाद्य पदार्थो की आपूर्ती में कमी।

- रसौई गैस की कमी।
- मानसिक कष्ट की स्थिति।
- भारी तनाव की स्थिति।

(17)
किससे सम्पर्क करें
आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ

उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर–'डी0' अलीगंज, लखनऊ–226024
दूरभाषः 0522 2386759, –60 / 3255875
फैक्सः– 0522 2386747
ई मेलः dmcup@indiatimes.com

आपको इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है

- भूकंप
- बाढ़
- तूफान
- सूखा
- ओलावृष्टि
- महामारी

अपने परिवार को आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार करना

आपने परिवार को अपने क्षेत्र में आनपे वाली आपदाओं और उनके प्रभाव के बारे में खुलकर बातचीत करनी चाहिये, कुछ समय के लिए सामान्य सुविधाओं के बिना रहने की मानसिक तैयारी रखनी चाहिये। अपने प्रियजनों के जख्मी होने और संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाले तनाव को झेलने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिये तथा अपने व समाज की मदद के उपाय निकालने चाहियें।

परिवार की तैयार की योजना

ऐसी संभावित आपदाओं की पहचान किजिए जो आपके क्षेत्र में आ सकती है और उनके बुरे प्रभावों की जानकारी अपने घर के लोगों को दें सामूहिक चेतावनी के संकेतों और ऐसे कामों को समझों जो मुसीबत की स्थिति में आपको करने चाहिये। महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची अपने घर और कार्यालय में अपने सामने रखें। अपने घर, घर के बाहर और पड़ोस में मिलने के स्थान तय कर दें।

सब को यह भी समझा दें कि एक दूसरे से अलग हो जाने पर उन्हें आपस में कैसे सम्पर्क करना हैं। अपने घर से निकले जाने के दो सबसे सुरक्षित रास्ते तय करके रखें।यदि आपके घर में पालतू पक्षी/पशु हों तो उनकी देखभारल की योजना तैयार रखें।अपने घर के अधिक जोखिम वाले ऐसे स्थानों (जहा रसोई गैस सिलेण्डर, फ्रिज एयरकंडीसनर, मिटटी का तेल जैसी वस्तुएं हों) की पहचान करें। जिनकी ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी हो।

घर के सभी सदस्यों को गैस सप्लाई व बिजली सप्लाई बंद करने के तरीके की जानकारी दें।
बचाव की अपनी योजना पर अपने पडोंसियों से विचार विमर्श करें और अपने क्षेत्र में एक समूह का गठन करें।

आपदा किट (Kit)

प्रत्येक परिवार के पास एक जीवन रक्षक किट रहनी चाहिये जिसे किसी भी तरह के संकट में इस्तेमाल किया जा सके और इस किट को किसी ऐसे स्थान पर रखा जाये जिसकी जानकारी सभी घरवालों को हो। इस किट में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहियेः–

- टार्च (अतिरिक्त बैटरियों के साथ)/मोमबत्ती/माचिस
- पाकेट रेडियों (अतिरिक्त बैटरियों के साथ)
- प्राथमिक चिकित्सा किट
- आम इस्तेमाल की दवाएं
- घर के प्रत्येक सदस्य के लिए मौसम के अनुरूप कपड़ों का एक–एक जोड़ा
- कुछ चादरें/कम्बल
- पीने का पानी (हर सदस्य के लिए प्रतिदिन 5 लीटर की मात्रा के हिसाब से तीन दिन के लिए)
- शुष्क खाद्य पदार्थ, सूखा दूध, ग्लूकोज, इलेक्ट्राल पाउडर
- साबुन, दॉतो का ब्रश, प्लेट और तौलिये
- प्लास्टिक के थैले, प्लेटें, ग्लास, चाकू, कागज और पैन्सिल
- आपात औजार, कार की चखबियों का अतिरिक्त सेट और क्रेडिट कार्ड या नकदी
- घर के बच्चों, बूढ़ों या विकलाग सदस्य के लिए विशेष वस्तुएं
- विषैले जन्तुओं से रक्षा हेतु लाठी/डन्डा।
- अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जल रोधी थैला।
- आपातकालीन सम्पर्को के दूरभाष व पते।

आग

आग जान लेवा है

आग की काली लपटों से अधिक इसका धुआं और गैसे मृत्यु का कारण बनती है आग आपके काम आने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और मारक धुआं व जहरीली गैसे छोडती है। धुएं और जहरीली गैसो की थोडी–सी मात्रा भी सांस के साथ लेने से बहोशी,

संज्ञाहीनता और सांस की कमी जैसी शिकायतें हो सकती है। इससे पहले कि आग की लपटें आपके द्वार तक पहुॅचे गंधरहित और रंगहीन भभके आपको गहरी नींद की गोद में सुला सकते है।

आग तेजी से फैलती है

- आग की छोटी सी लौ 30 सैकेंड से कम समय में काबू से बाहर हो सकती है और बड़ी आग में बदल सकती है। गहरा काला धुआं कुछ ही मिनटो में फैल जाता है। कुछ ही मिनटो में एक घर की आग की लपटों की भेट चढ सकता है। केवल समय ही रक्षक बन सकता है।
- आग की तपिष से ही मौत हो सकती है। आग लगने पर किसी कमरे का तापमान धरातल पर 100 डिग्री हो सकता है और वातावरण में यह तापमान में यह तापमान 600 तक पहुॅच सकता है। इस अति गर्म वातावरण में सांस लेने से आपके फेफडे पिघल कर आपकी त्वचा में मिल सकते है। 5 मिनट में इतना गर्म हो सकता है उसमें मौजूद हर चीज आग पकड लें।
- आग शुरू से ही चमकदार होती है लेकिन बहुत जल्दी ही वह काला धुआं छोडने लगती है और पूरी तरह अंधेरा कर देती है।

क्या करें व क्या न करें–

अग्नि दुघर्टना के दौरान सावधानियाँ

(1) ऊँचे मकानों में लगी आगः–

- बिना डरे शान्ति से मकान से बहार निकल जायें, घर का दरवाजा बन्द करें और चाबियॉ न भूलें।
- बाहर निकलते समय अगर कोई अलार्म हो तो दबाऐं या फिर सभी लोगों को चिल्लाकर चेतावनी दें।
- मकान के बाहर सीढ़ियों पर से निकलें।
- अग्नि दुघर्टना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
- अगर निकास आग या धुऐं के कारण अवरूद्व हो तो दरवाजा बन्द रहने दें पर ताला न लगाऐं।
- गीले तौलिऐं को दरवाजे के नीचे लगाऐं ताकि धुऑ बाहर ही रहे।
- दमकल विभाग में फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बताऐं। उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराऐं। फिर दमकल विभाग जैसा–जैसा करने को कहें वैसा ही करें।
- शांत रहे और आग बुझाने वाले दल की प्रतीक्षा करें।

अगर मकान का फायर अलार्म काम न करेंः–

- दरवाजा खोलने के पहले उसे छूकर देखें अगर वो गर्म हो तो दरवाजा न खोलें।

- अगर दरवाजा ठण्डा हो तो जरा सा खोल कर देखें कि गलियारे में आग है या नहीं। यदि आग हो तो आगें न बढ़ें।
- यदि गलियारे में आग न हो तो दरवाजा बन्द करके बाहर निकलें। पर याद रखें सीढ़ियों से उतरें कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, हानिकारक हो सकता हैं।

अगर मकान के अन्दर आग लगी होः–

- जमीन के नजदीक रहें ताकि धुआं ज्यादा प्रभावित न करें।
- दमकल विभाग का नम्बर, पुलिस, व अन्य आपातकालीन सेवा सभी का नम्बर टेलीफोन के पास चिपका कर रखें, ताकि दुघर्टना के समय तुरंत फोन कर सके तथा उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करा सकें।
- अगर आपके घर में बाल्कनी है और उसके नीचे कोई आग नहीं लगी हो तो बाहर चलें जायें।
- अगर नीचें आग लगी हो तो खिड़की के करीब रहें पर उसे खालें नहीं।
- अगर नीचें आग नही लगी हो तो खिड़की खोल दें तथा उसके करीब रहे।
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप वहॉ है और आपको मदद चाहिए।
- शांत रहे और आग बुझाने वाले दल का इन्तजार करें।

(2) रसोई में लगी आगः–

यह बहुत जरूरी कि आपको पता हो कि आप सि तरह कर चूल्हा इस्तेमाल कर रहें हैं– गैस, हीटर, स्टोव। मिट्टी के तेल के स्टोव से सबसे ज्यादा आग लगने की संभावना होती हैं। ज्यादातर गाँवों में मिट्टी का चूल्हा या स्टोव प्रयोग में आता है और वहॉ लगी आग पूरे घर को जला देती है क्योंकि छप्पर फूस का बना होता हैं और पुआल बगैरह रसोई में ही रखा होता है। बिजली या गैस के चूल्हे में जैसे ही खाना बनाना खत्म हो तुरंत स्विच बन्द कर दें। बिजली से चलने वाले चूल्हे बन्द करने के बाद भी कुछ देर तक गर्म रहते है, जब तक कि वो ठंड़ा न हो जाऐ, सतर्क रहें।

मिट्टी के चूल्हे जिसमें लकड़ी या कोयले का जलावन की तरह इस्तेमाल होता है, काफी खतरनाक हो सकता हैं क्योंकि खाना बनाने के बाद भी अंगारे रह जाते हैं।

जलावन को जलाते समय चूल्हें को ऊपर से ढ़क दें ताकि चिनगारी उड़ कर छप्पर या पास रखें पुआल तक ना पहुॅच सके। खाना बनाने के बाद ध्यान रखें कि आग पूरी तरह बुझ जाऐं। अंगार पर पानी डाल डें। पानी अवश्य डाल दें अगर खाना बनाने के बाद घर में कोई बड़ा न रहता हो तो चूल्हे के पास कोई जल सकने वाली सामग्री न रखें जैसे–किरासन तेल, फूस आदि।

सावधानियॉः– क्या करें :

- जब खाना बन रहा हो कोई व्यस्क जरूर हो, बच्चों को अकेला न छोड़ें।

- खाना बनाते समय अपने बालो को बॉध कर रखे और सिन्थेटिक कपड़े न पहनें।
- ध्यान रखें कि चूल्हे के पास की खिड़की में लगे पर्दे पीछे पास की तरफ कस कर बॉध दें।
- ध्यान रखें कि गैस का स्विच तुरंत बन्द कर दें अगर लौ नही जलता है और खाना पकाना खत्म होने के तुरंत बाद ही स्विच बन्द कर दें।
- हैंन्ड़ल को स्टोव के बीचोबीच ना घुमायें और इसे बच्चों से दूर रखें।
- ध्यान रखें कि फर्श हमेशा सूखी रखें, अन्यथा आग लगने के समय आप गीले फर्श के कारण गिर सकते हैं।
- बच्चों के पहुॅच से मॉचिस को दूर रखें।

सावधानियॉः– क्या न करें :

- तौलिये या बर्तन साफ करने वाले कपड़ों को स्टोव के आस–पास ना रखें।
- खाना बनाते समय ढ़ीले–ढ़ाले कपड़े ना पहनें और जब गैस जल रही हो गैस के ऊपर रखे सामान को ना उतारें।
- स्टोव या गैस के ऊपर तख्ता या सेल्फ पर कोई ना रखें। बेहतर होगा चूल्हे के ऊपर कोई तख्ता न ही लगाये, वरना छोटे बच्चे सामान लेते वक्त गैस पर गिर सकते है और आग लग सकती हैं।
- स्प्रे कैन या ज्वलनशील सामाग्री वाला डिब्बा स्टोव के पास कतई ना रखें।
- बच्चों को खुले अवन के पास न जाने दें।
- स्टोव के ऊपर ना झुकें।
- तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिऐ करें।
- बिजली के एक ही प्वांट पर कई स्विच या एक्सटैंसन न लगाऐं। तार पर अधिक भार पड़ने कारण आग लग सकती हैं।
- तैलिय पदार्थ से लगी आग पर पानी ना ड़ालें या सिर्फ बेकिंग सोड़ा, नमक ड़ाले या उसे ढ़क दें। हमेशा बेकिंग सोड़ा का डब्बा स्टोव के पास रखें।
- रेडियो मिक्सी आदि बिजली से चलने वाले वस्तुओं को बेसिन के पास ना रखें।

सुझावः–

- दमकल विभाग का नम्बर फोन के पास रखें और ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्यों को नम्बर का पता हों।
- मॉचिस या लाईटर बच्चों से दूर रखें।
- अपने कमरे का दरवाजा बन्द करके सोऐ ताकि आग फैलना धीमा किया जा सकें।
- अगर आपके कपड़ों में आग लगी हो तो कभी भी ना दौड़ें। रूके–नीचे लेट जाए। जमीन पर रोल कर आग बुझाने की कोशिश करें।

इस जनपद में अग्नि शमन केन्द्र पुलिस लाइन इटावा एवं अग्नि शमन केन्द्र सैफई में स्थापित हैं। इन केन्द्रों के टेलीफोन नम्बर निम्न प्रकार हैः–

अग्नि शमन केन्द्र पुलिस लाइन इटावा– 05688–254122, 9454418420

व्यवसायिक भवनों में अग्नि रोधी उपाय/प्राविधानः–

व्यवसायिक भवनों में अग्नि शमन व्यवस्था के मानक लागू होते हैं। जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम तल तक के लिए केवल फायर एक्सटीग्यूसर एवं अन्य व्यवस्थाएं भवन निर्माण के अनुरूप ही लागू होती हैं।

यदि भवन द्वितीय तल अथवा उससे अधिक मंजिल का है तो फायर एक्सटीग्यूसर के अतिरिक्त होजरील सिस्टम, बाटर टैंक, टेरिस पम्प इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य है। ऐसी भवनों का जीना 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। भवन में जीना ऐसे स्थान पर हो कि डेड इण्ड 30 मीटर से अधिक न हो तथा अन्य व्यवस्थाएं भवन बनावट के अनुसार भी लागू होती हैं।

लू/लहरः–

लू से लोग मर भी सकते है। इसके असर को कम करने के लिऐ और लू से हरने वाली मौत की रोकथाम के लिऐ निम्नलिखित सावधानियॉ बरतें।

- कड़ी धूप मे बाहर न निकलें, खासकर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच में।
- जितनी बार हो सके पानी पिएं, प्यास न लगे तो भी पानी पिएं।
- हल्के रंग के ढ़ीले–ढ़ाले सूती कपड़े पहनें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें।
- ज्यादा तापमान में कठिन काम न करें।
- सफर में अपने साथ पानी रखें।
- शराब, चाय, कॉफी जैसी पेय जल का इस्तेमाल ना करें जो आपके शरीर को निर्जलित कर सकती हैं।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन ना करें।
- अगर आपका काम बाहर का है तो टोपी, गमछा या छाता का इस्तेमाल जरूर करें और गीले कपड़ों को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
- बच्चों और पालतू जानवरों पार्क किए हुए वाहनों में ना छोड़ें।
- अगर आपकी तबियत ठीक ना लगे या चक्कर आये तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
- पेय जल जैसे लस्सी, जोराणी, नींबूपानी, छाछ/आम का पना इत्यादि का सेवन करें।
- जानवरों का छॉव में रखें और उन्हें खूब पानी पाने को दें।

- अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, शटर आदि का इस्तेमाल करें। रात में खिड़कियों को खुली रखें।
- फैन, गीले कपड़े का उपयोग करें। ठंडे पानी से बार–बार नहाएं।

लू लगने पर क्या करें:– कुछ सुझाव

- लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दें।
- ठंड़े गीले कपड़े से शरीर पोछें या फिर ठंड़े पानी से नहलाएं। सामान्य तापमान का जल सिर पर डालें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शरीर का तापमान कम हो जाऐ।
- व्यक्ति को नींबू पानी या तोराणी पीने को दें जो कि शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सकें।
- व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वाथ्य केंन्द्र लें जाऐं। चूँकि लू जानलेवा भी हो सकती है अतः तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक हैं।

<u>जलवायु अनुकूलनः–</u>

वैसे लोगों को ज्यादा परेशानी होंती है जो ठंड़े वातावरण में आते हैं। उन्हें कम से कम एक हफ्ते तक बाहर नहीं निकलना चाहिये जब तक कि उनका शरीर गर्म प्रदेश के जलवायु के अनुकूल ना हो जाऐं। खूब पानी पीना चाहियें। बाहर निकलते वक्त सर्तकता बरतनी चाहिये, टोपी, छाता, और पानी साथ रखें।

———————————

आकाशीय बिजली/तड़ित और बज्रपातः–

वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली से जन धन की हानि होती है। बज्रपात के दौरान निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखीं जाय।

1. आंधी आने के पहले टी0वी0, रेडियो और कम्प्यूटर सभी के मोडेम और पावर प्लग निकाल दें।

2. सारे पर्दे लगा दें। खिड़कियॉ बन्द रखे। बिजली से चले वाली बस्तुओं का इस्तेमाल न करें।

3. टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। आपातकाल में फोन करें पर विद्युत चालक वस्तुओं का न छुएं। खाली पैर फर्श या जमीन पर न खड़े रहें।

4. जब किसी पर बिजली गिरती है तो वो जल नहीं जाता बल्कि उसके हृदय और श्वास नली पर असर होता है।

5. अगर आपके कपड़े गीले हैं तो आप बज्रपात का उतना असर नहीं होगा क्योंकि आवेगित चार्ज कण गीले कपड़े से गुजर जायेगा न कि शरीर से।

6. एक ही जगह पर बज्रपात कई बार हो सकता है।

7. बिजली गिरने की आशंका होने पर किसी मकान का सहारा लें। मैदान में या पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रायः बिजली कोई आश्रय लेकर गिरती है।

8. बड़े मकानों/संरचनाओं पर तड़िक चालक अवश्य लगवाया जाय।

———————————————

भूकम्प

भूकम्प कभी भी कहीं भी बिना किसी चेतावनी के आ सकता है लेकिन इस आपदा के लिए पूर्व से की गयी तैयारी से इस आपदा से बचा जा सकता है तथा मानव एवं पशु हानि को कम किया जा सकता है। जो क्षेत्र में भूकम्प से प्रभावित होता है वहां आपदा के बाद गांव व शहर का सम्पर्क अन्य जगहों से कट जाता है और राहत कार्य प्रारम्भ होने में अक्सर बिलम्ब होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति/परिवार को भूकम्प से बचाव के लिए सामान्य जानकारी होना ही तत्काल राहत के एक मात्र उपाय हैं।

भूकम्प से पहले घर की देखभाल

भारी वस्तुओं को हमेशा नीचे रखें।

टूटने वाला सामान जैसे बोतल, ग्लास खाने की वस्तुएं आदि को बक्से में रखें।

विस्तर के ऊपर लटके सामान जैसे फोटो, शीशा, तस्वीर आदि को हटाकर अन्य स्थान पर रखें ताकि किसी व्यक्ति को हानि न पहुंचे।

आग लगने की सम्भावना वाली सभी वस्तुओं को ठीक किया जाये जो आग को जन्म दे सकती हैं। जैसे जगह–टूटी विद्युत लाइन, खाना बनाने वाली गैस एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ

बचाव के सुरक्षित स्थानों की पहचान

1. मजबूत फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी आदि।
2. ऐसे दरवालजे के नीचे जिनके ऊपर स्लैव पड़ा हो।
3. शीशे लगी खिड़कियों, आईना या किताबों की अलमारी के बगल में या किसी भी ऐसे स्थान जहां भारी वस्तु गिरने का खतरा हो, से दूर रहें।

घर के बाहर सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करना

1. परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह जानकारी आवश्य होनी चाहिए कि भूकम्प के बाद किस व्यक्ति को क्या करना है।
2. परिवार के हर सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि घर में बिजली, रसोई गैस एवं पानी आपूर्ति को बन्द किया जाये।
3. परिवार के प्रत्येक सदस्य को भूकम्प से बचाव के उपयों की जानकारी समय समय पर दिया जाना आवश्यक है।

आपात कालीन संचार सेवा।

कभी–कभी परिवार के सदस्य भूकम्प के दौरान अलग–अलग होते हैं (दिन की अवधि में जब बड़े लोक काम पर गये होते हैं तथा बच्चे स्कूल में होते हैं) ऐसीस्थिति में कोई स्थान कदाचित चयनित कर लें जहां पर परिवार के सभी सदस्य एकत्र हो सकें।

गावं या शहर के बार रिश्तेदारों और दोस्तों के परिवार का सम्पर्क फोन नम्बर होना चाहिए ताकि आपदा के बाद उन सदसयों से सम्पनकै बनाया जा सके। यह भी आवश्यक है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास सम्पर्क करने वाले व्यक्ति का नाम पता व फोन नम्बर अवश्य हो।

घर के अन्दर होने पर बचाव के उपाय

मजबूत टेबिल या अन्य वस्तु के नीचे शरण लें। घर के अन्दर ही बने रहें। व्यर्थ की भागदौड़ न करने जब पूरा घर हिल रहा होता है ऐसीस्थिति में अफरातफरी में घर के बाहर निकलना सबसे खतरनाक होता है क्योंकि भारी वस्तुएं ऊपर गिर सकती हैं। उचित होगा कि आपदा के समय सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें।

यद्यपि भूकम्प के बाद आने वाले झटके , मुख्य झटके से कम प्रभावशाली होते हैं फिर भी इनसे पहले से कमजोर पड़े भवनों को नुकसान पहुंचता है। ऐसीस्थिति में भवन के अन्दर रहना खतरनाक होता है। ऐसे भवनों में तभी वापस आये जब विशेषज्ञ भवन को सुरक्षित बता दें।

घर के बाहर होने पर बचाव के उपाय

- भवन से दूर खुले स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि भवन का मलवा, बिजली के खम्भे आदि ऊपर न गिरें।
- खुले स्थान से तब तक वापस नहीं आना चाहिए जब तक भूकम्प के झटके कम न हो जायं।

भूकम्प के बाद पालतू पशुओं का व्यवहार।

1. देखा गया है कि भूकम्प के बाद पालतू जानवरों के व्यवहार में नाटकीय रूप से परिवर्तन होता है। सामान्यतः शान्तिप्रिय कुत्ते एवं बिल्ली आक्रमक रूप से दिखने लगते हैं। यद्यपि इस धारणा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इनको सुरक्षित स्थान पर बन्द कर देना चाहिए।

घायल एवं फंसे हुए व्यक्तियों की सहायता

1. जहां तक उपयुक्त हो प्राथमिक उपचार करें। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे तुरन्त नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले जायें।
2. आपात काल में बच्चे, बूढ़े एवं अपंग व्यक्तियों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है अतः ऐसे व्यक्तियों को भवन से तुरन्त बाहर खुले सथान में ले आयें।
3. आपात काल में पड़ोसियों का भी ध्यान रखें।
4. क्षतिग्रस्त भवन में न रहें और अपने मकान में तभी जायें जब विशेषज्ञ कहे कि भवन सुरक्षित है।
5. विद्युत लाइन यदि स्पार्क कर रही हो तो मेन स्विच का सर्किट हटा दें।
6. रसोई गैस एवं ज्वलनशील पदार्थो का निरीक्षण कर लें। गैस रिसाव की स्थिति में घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें।

———————————

शीतलहरी/कोहरा/ठंड से बचाव हेतु जनपद की प्रबन्ध योजना

1. शासनादेश संख्या 3837/1–10–2010 दिनांक 3.12.2010 के अनुपालन में जनपद स्तर पर शीतलहरी/कोहरे से बचाव हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसका विवरण निम्न है–

1–जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–अपर जिलाधिकारी	सचिव
3–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4–मुख्य चिकित्साधिकारी	,,
5–क्षेत्रीय प्रबन्धक रोडवेज	,,
6–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन/प्रशासन	,,
7–अधिशाषी अभियन्ता विद्युत प्रथम व द्वितीय	,,
8–अधिशाषी अभियन्ता, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इन्डिया	,,
9–नगर मजिस्ट्रेट इटावा।	,,
10–समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	,,
11–समस्त तहसीलदार जनपद इटावा।	,,

2. शासनादेश संख्या 13890/पी0एस0आर0/2011 दिनांक 8.01.2011 के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 43/दै0आ0–शीतलहरी दिनांक 21 जनवरी 2011 के द्वारा जनपद स्तर पर एक स्थाई समिति भी गठित की गई जो कि विभिन्न श्रोतो के माध्यम से प्राप्त शीतलहरी/ठंड से मृत हुए व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर उसकी जॉच हेतु स्थाई जॉच समिति निम्न प्रकार गठित की गई है–

1–घटना से सम्बन्धित तहसीलों के उपजिला मजिस्ट्रेटो से भिन्न उनके लिंक आफीसर्स
2–घटना से सम्बन्धित तहसील/पी0एच0सी0 से भिन्न पी0एच0सी0 के चिकित्सक।

इस समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के साथ–साथ मृतक के परिवार के सदस्यो के ब्यान भी लिए जावेगे तथा समिति अपनी रिपोर्ट अधिकतम 3 दिन में जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौपेगी। जिलाधिकारी वांछित कार्यवाही कर शासन को तुरन्त ही रिपोर्ट भेजेगे।

3. अलाव की व्यवस्था हेतु जनपद में सार्वजनिक स्थान चिन्हित है, जो आवश्यकतानुसार परिवर्तित/बढ़ाए भी जा सकते है, सूची संलग्न है।

जनपद में अलाव हेतु चिन्हित स्थलों की सूची

क0सं0	अलाव जलाने वाली स्थलों के नाम	समीपवर्ती मोबाइल नम्बर	व्यक्ति का नाम
1	2	3	4
तहसील इटावा			
1	विजय नगर चौराहा	05688.266071	हंसराज
2	नौरंगाबाद चौराहा	9411224013	सफर टेलर
3	पक्का तालाब चौराहा	9457329847	भदौरिया जूस सेन्टर
4	रेलवे स्टेशन	9758048276	गुप्ता जी रेस्टोरेन्ट
5	बस स्टेण्ड	9259817213	मो0 हासिम नाई
6	साबितगंज	9411869800	मो0 इस्तियाक कुरैशी
7	नुमाइश चौराहा	9412283095	एम0पी0सिंह
8	पचराहा इटावा	9411865786	सलमा बेगम सभासद
9	भरथना चौराहा	9412575356	नेत्रपाल सिंह यादव
10	इकदिल चौराहा	9759970807	दुकानदार
11	ब्लाक बसरेहर	9411864442	मु0 जाकिर
12	स्टेट बैक के पास बसरेहर	9917062013	श्रीमती आशा यादव
13	शेखूपुर सरैया तिराहा	9411990731	अवनेन्द्र पाठक
14	राहिन तिराहा	9719214186	अमन पाठक
15	सहकारी संघ बरालोकपुर	9719596897	श्री राजेन्द्र
16	बीना बाजार	9720134388	श्री शहजादे लाल
17	उदी मोड चौराहा	9917491026	श्री राम बाबू
18	पछायगांव चौराहा	9756178746	श्री राजकुमार
19	कोकपुरा	9837439013	श्री राजू पाण्डे
20	अड्डा ऊसर	9110800892	श्री शैलेन्द्र सिंह
तहसील– भरथना			
1	रेलवे स्टेशन बुकिंग कार्यालय भरथना	-	–
2	ऊसराहार बस स्टेण्ड बालूगंज भरथ्ना	9758766956	श्री प्रमोद कुमार
3	मन्दिर दान सहाय विधूना रोड भरथना	5457362238	श्री मुहर सिंह प्रधान
4	बकेवर बस स्टेण्ड भरथना	-	–

5	इटावा बस स्टैण्ड भरथना	-	–
6	तहसील कार्यालय भरथना	9411867361	श्री कमलेश कुमार
7	उपजिलाधिकारी कार्यालय भरथना	05680-225358	
8	छोला मन्दिर भरथना	9412184061	श्री बदन सिंह चौहान
9	बजाजा लाइन भरथना	-	–
10	सती मन्दिर तिराहा मंडी रोड भरथना	9411480497	श्री रामप्रकाश पाल
11	बाईपास हाईवे चौराहा महेवा	9760052077	श्री दीपू तिवारी
12	महेवा– अछल्दा चौराहा महेवा	9897056202	श्री राजीव शुक्ला
13	इटावा –औरैया रोड महेवा	8057267480	श्री कल्लू चौधरी
14	पुराना बस स्टेण्ड महेवा मन्दिर	9411240370	श्री अखलेश कुमार
15	बाईपास तिराहा लखना	9808839277	श्री जितेन्द्र कुमार
16	नया पुल लखना	9756597356	श्री मनोज कुमार
17	पुराना पुल लखना	9837726320	श्री जनक सिंह
18	बेरीखेडा तिराहा लखना	800656285	श्री रामकृष्ण यादव
19	सब्जी मण्डी लखना	9412800020	श्री राजू
20	बाईपास चौराहा मुहल्ला खेडा लखना	9411864557	श्री रामऔतार दोहरे
21	पुलिस चौकी के पास अहेरीपुर	8126395355	सी0के0 चौकी इंचार्ज
22	नवीन मण्डी के पास अहेरीपुर	9456475930	श्री चुन्नी सिंह प्रधान
23	महेवा अछल्दा मार्ग पर	9456475930	श्री चुन्नी सिंह प्रधान
24	पनी की अंकी पुरानी तहसील के सामने भरथना	9258909833	श्री निभव श्रीवास्तव
25	अनवर गंज भरथना	-	–
26	आजाद पार्क तिराहा बालूगंज भरथना	9259352181	श्री अमित कुमार
27	गिरधारीपुरा की पुलिया भरथ्ज्ञना	9259618044	श्री उपदेश कुमार यादव
28	गांधी आश्रम चौराहा भरथना	9259618044	श्री अमित कुमार
29	ब्यापुरा तिराहा औरैया रोड बकेवर	9456475071	श्री स्वीकृत शरण
30	चन्दपुरा बंबा तिराहा बकेवर	9719077961	श्री जयचन्द्र यादव
31	इण्टर कालेज के सामने बकेवर	9536475463	श्री आनन्द कुमार
32	डाकघर के पास इटावा रोड बकेवर	9760646435	श्री भूप सिंह यादव

33	कृष्णा नगर भरथना	—	—
34	मस्जिद के पास औरैया रोड बकेवर	—	—
35	बस अड्डा बकेवर	—	—
36	टाकीज के पास आदर्शनगर बकेवर	9927462577	श्री सुखवीर सिंह
तहसील जसवन्तनगर			
1	बस स्टेण्ड चौराहा	9837119762	
2	तहसील प्रागंण	8057368487	
3	सिसहाट तिराहा	9412408695	
4	रेलेवे स्टेशन जसवन्तनगर	9412880596	
5	केस्त तिराहा	9759416564	
6	बडा चौराहा	9045181900	
7	छोटा चौराहा नदी के पुल के पास	9997547704	
8	पुलिस चौकी हेंवरा	9456216036	
9	रेलवे स्टेशन बलरई	9258284113	
10	रेलवे क्रासिंग सराय भूपत	9634586263	
11	नया बस स्टेण्ड सैफई तिराहा जसवन्तनगर	9837900201	
तहसील चकरनगर			
1	चौराहा चकरनगर	9411057335	श्री वीर सिंह
2	ट्रेजरी चकरनगर	8057398340	श्री संजय सिंह
3	हनुमन्तपुर चौराहा	9917322120	श्री भानुप्रताप सिंह
4	तहसील चौराहा	9411020787	श्री रामबालक
5	सिन्डौस बस स्टाफ	9675222477	श्री ओमकार सिह
6	बल्लो की मडैया	9675222477	श्री ओमकार सिंह
7	सहसों चौराहा	9411435328	श्री सुनील कुमार
8	डिभौली घाट	05680.685740	श्री उम्मेद सिंह
9	पिपरीली गडिया	9627707077	श्री धनश्याम
10	राजपुर स्वास्थ्य केन्द्र	05680.221204	
11	प्रतीक्षालय चिण्डौली	9639366764	श्री रविन्द्र सिंह
12	विकास खण्ड कार्यालय	05680.221099	
13	चौराहा ईश्वरीपुर	9219098112	श्री साहव सिंह
14	बिठौली बस अडडा	9634285699	श्री अवधेश डीलर

15	आसई तिराहा	9412429876	श्री रवन्द्रि सिंह
16	नवादाखुर्द कलॉ चौराहा	9027360099	श्री असलेन्द्र सिंह
17	बहादुरपुर चौराहा	9557156615	श्री जय राम
तहसील सैफई			
1	सैफई थाने के सामने	9411056540	तारा सिंह यादव
2	तहसील मुख्यालय	9412880883	श्री सुरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू
3	छिमारा तिराहे पर	9410439481	श्री प्रभुदयाल यादव
4	सैफई हास्पीटल चौराहे पर	9412503582	श्री अरूण कुमार चौवे
5	कुम्हावर बाजार में	9410267155	श्री स्वदेश कुमार यादव
6	बैदपुरा बाजार में	9456844269	श्री महाराज सिंह यादव
7	हवाई पटटी पुलिस चौकी से	9410800459	श्री राजेश यादव
तहसील ताखा			
1	भरतिया, चौराहा	9212658989	श्री रोधश्याम
2	ऊसराहार चौराहा	9758100528	श्री प्रदीप यादव
3	राना मेडिकल, ऊसराहार	9897263067	श्री मनोज कुमार
4	तहसील/ब्लाक भवन, ताखा	9412320587	श्री विजय कुमार
6	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरसईनावर	–	–
7	पशुचिकित्सालय चौराहा, ताखा	–	–
8	मेन बजार, समथर	–	–
9	एस0एस0 मेमोरियल पब्लिक स्कूल सुतयानी मोड, ताखा	–	–

बाढ़

अध्याय–1

बाढ़ सुरक्षा के कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके निम्नांकित सदस्य है।

1– अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी, इटावा।
2– सदस्य	–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
3–सदस्य	–	जिला बाढ़ राहत अधिकारी/अपर जिलाधिकारी इटावा।
4–सदस्य	–	जिला कृषि अधिकारी, इटावा।
5–सदस्य	–	जिला पूर्ति अधिकारी, इटावा।
6–सदस्य	–	अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 इटावा।
7–सदस्य	–	वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड इटावा।
8–सदस्य	–	अधिशाषी अभियन्ता एवं समन्वय अधिकारी (बाढ़), इटावा।
9–सदस्य	–	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम इटावा।
10–सदस्य	–	अधिशाषी अभियन्ता, भोगनीपुर प्रखण्ड इटावा।

<u>उपर्युक्त कमेटी के दायित्व</u>

(1) जनपद में बाढ़ के समय बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करके आवश्यक प्रबन्ध एवं कार्यवाही करना।

(2) बाढ़ निरोधक कार्यो पर बाढ़ के समय आवश्यक सामग्री कार्य स्थल पर पहुंचाने हेतु साधन उपलब्ध कराना।

(3) बाढ़ निरोधक कार्यो के क्षतिग्रस्त स्थल पर मरम्मत के लिये मजदूर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।

(4) बाढ़ निरोधक कार्यो की सुरक्षार्थ आवश्यकता पड़ने पर पी0ए0सी0/पुलिस/होमगार्ड द्वारा पेट्रोलिंग का प्रबन्ध करना।

(5) शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ निरोधक कार्यो के क्षतिग्रस्त स्थलों पर जहां रात्रि में भी कार्य करने की आवश्यकता हो, वहां रोशनी का उचित प्रबन्ध करना।

(6) जलमग्न क्षेत्रों में पानी को निकालने के लिये पम्पों, डीजल और बिजली इत्यादि की समुचित व्यवस्था करना।

(7) राहत कार्यो सें संबंधित विभागों, संस्थाओं से समन्वय का कार्य ।

(8) बाढ़ से संबंधित अन्य कार्य ।

बाढ़ का आकार तथा प्रकार

जिले में बाढ़ की सम्भावनायें काफी कम है किन्तु किसी अपरिहार्य स्थिति से मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि यमुना व चम्बल गहराई में बहती हैं। इन नदियों के किनारे के कगार ऊंचे–नीचे है। किसी–किसी वर्ष वर्षा अधिक हो जाने के कारण अथवा चम्बल में पश्चिम से पानी छोड़ देने के कारण बाढ़ आ जाती है। यमुना, चम्बल, क्वारी, सेंगर सिरसा, एवं अहनैया नदियों के आस पास के तहसील चकरनगर के 36 ग्राम, तहसील इटावा के 51 ग्राम, तहसील सैंफई के 17 ग्राम, तहसील जसवन्तनगर के 43 ग्राम, तहसील भरथना के 26 ग्राम,प्रभावित होते हैं। नदियों के किनारे प्रभावित होने वाले ग्रामों का विवरण **परिशिष्ट 'क'** में है।

बाढ़ के समय नदियों के किनारे ऊंचे–नीचे बीहड़ व नालों के कारण जल प्लावन समस्या उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में यातायात के साधन अवरूद्ध हो जाते हैं। जल प्लावन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की सूची **परिशिष्ट 'घ'** में है। बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की सूची मय नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियों सहित **परिशिष्ट 'ख'** के रूप में संलग्न है। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर उपलब्ध रखी जाने वाली सामग्री एवं मात्रा का विवरण **परिशिष्ट 'ग'** में अंकित की गयी है।

इटावा जनपद में यमुना व चम्बल की बाढ़ से तहसील चकरनगर एवं तहसील इटावा व जसवन्तनगर, सैंफई के क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होते हैं लेकिन भरथना तहसील का भी कुछ अंश प्रभावित होता है। बाढ़ की चेतावनी अधिशाषी अभियन्ता, केनाल आगरा एवं सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रक लखनऊ से प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से 15 सितम्बर तक यह सुनिश्चित किया जाये कि अधिशाषी अभियन्ता, नहर विभाग, इटावा जिलाधिकारी इटावा को यह सूचना प्रेषित करे कि बाढ़ का पानी कितने क्यूसेक घण्टे की गति से चल रहा है और कितने घण्टे के उपरान्त इस जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कितना पानी आने की सम्भावना है। इस सूचना की प्रति प्रभारी अधिकारी आगरा को भी प्रेषित की जाये इसलिये बाढ़ की सूचना उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराने का दायित्व अधिशाषी अभियन्ता, इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा का होगा।

जनपद में बाढ़ मापन यंत्र की सुविधा तहसील इटावा में यमुना नदी स्थित राजघाट पर तथा चम्बल नदी पर उदी घाट पर उपलब्ध है। यमुना नदी राजघाट पर खतरे का बिन्दु 121–92 मीटर है। और चम्बल नदी पर उदी घाट में खतरे का बिन्दु 119–18 मीटर है। तहसील भरथना में बाढ़ मापी यंत्र अनुपलब्ध है। तहसील भरथना का क्षेत्र तहसील इटावा से लगा हुआ है। अतः तहसील इटावा के लिये जो खतरे बिन्दु निर्धारित किये जायें उसको ही तब तक भरथना के लिये सुनिश्चित माना जावे।

माह जुलाई से प्रतिदिन तहसील इटावा के संबंधित लेखपाल राजघाट यमुना पर उदी चम्बल पर जिला स्तर की सूचना तहसील स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष को प्रातः 8–00 बजे भेजना सुनिश्चित करेगें और प्रत्येक तहसीलदार सूचना की जिला बाढ़ अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता, इटावा प्रखण्ड इटावा के पास प्राथमिकता के आधार पर थानाध्यक्ष द्वारा बायरलेस से भिजवाने की व्यवस्था करेगें।

बाढ़ में संकेत निर्धारित किये गये जो इस प्रकार हैं–

पीला संकेत–

इस संकेत द्वारा यह ज्ञात होगा कि संबंधित तहसील में बाढ़ किसी भी समय खतरे के बिन्दु को पार कर सकती है इसके लिये खतरे के बिन्दु से नीचे का स्तर निर्धारित करना उचित प्रतीत होता है। अतः यह बिन्दु इस प्रकार हैं :–

1– राजघाट यमुना पर 120 मीटर के स्तर पर पीला संकेत प्रसारित किया जायेगा

2– चम्बल में उदी घाट पर 118 मीटर के स्तर पर पीला संकेत प्रसारित किया जायेगा।

उक्त विवरण के अनुसार जब जल स्तर संबंधित घाटों पर पहुंच जायेगा तो संबंधित तहसीलदार पीले संकेत की चेतावनी का प्रसारण अपने स्टॉफ के माध्यम से प्रभावित ग्रामों में व्यापक प्रचार करवाकर करेगें। और उस क्षेत्र में पड़ने वाली समस्त बाढ़ चौकियों का स्टाफ पूर्णतया सतर्क हो जायेगा व संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को ड्यिूटी पर भेज दिया जायेगा और जब तक निर्धारित जल स्तर में घटने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है व हरे संकेत के लिये निर्धारित जल स्तर कायम नहीं हो जाता है, तब तक यह चौकियां पूर्ण सतर्कता के साथ अपने दायित्व को वहन करने के लिये तत्पर रहेगीं।

लाल संकेत :–

पीले संकेत के प्रसारण के पश्चात यदि संबंधित घाटों पर नदियों का जल स्तर बढ़ता रहता है और वह जल स्तर तहसील इटावा यमुना नदी से 121–92 मीटर और तहसील औरैया शेरगढ़ घाट पर 113 मीटर पहुंच जाता है तो तुरन्त संबंधित तहसीलदार के द्वारा प्रत्येक चौकी पर लाल संकेत का प्रसारण किया जायेगा। और प्रत्येक चौकी के कर्मचारी अविलम्ब चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में सभी आवश्यक राहत कार्यों एवं बाढ़ संबंधी अन्य कार्य में जुट जायेगें। आवश्यकता पड़ने पर उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करके प्रभावित ग्राम के निवासियों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाना उनको नाव की सुविधा उपलब्ध करवाना, सभी आवश्यक खाद्य सामग्री को पहुंचाना, प्रार्थमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना व पशुओं के लिये सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने एवं भूसे आदि की व्यवस्था करना, बाढ़ चौकी इंचार्ज का मुख्य कार्य होगा। जिसको वह अपनी चौकी के स्टॉफ के सहयोग से पूरा करेगें और प्रत्येक स्थिति की सूचना से निरन्तर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें। जब यह जल स्तर पुनः पीले संकेत के स्तर तक जायेगा तब यह समझा जायेगा कि खतरा टल गया ।

हरा संकेत :–

यदि लाल संकेत के पश्चात पीले संकेत में गुजरने के बाद अपना केबल पीले संकेत से निरन्तर जल स्तर में गिराबट आने की स्थिति में और उसके निरन्तर कायम रहने की स्थिति पाई जाये जिससे राजघाट यमुना पर जल स्तर केवल 118 मीटर, चम्बल उदी घाट पर केबल 116 मीटर तथा तहसील औरैया में शेरगढ़ घाट पर केवल 105 मीटर रह जाये तो हरे संकेत का प्रसारण किया जायेगा। और बाढ़ के बाद समस्त उपचार अपनाने से संबंधित आवादी एवं पशुओं को पुनर्स्थापित एवं व्यवस्थित करने के लिये तत्काल कदम उठाया जायेगा। लेकिन यदि पुनः जल स्तर में कमी पाई जाती है और पीले संकेत पर जल स्तर पहुंच जाता है तो पुनः उसी प्रकार के सभी व्यवहारिक एवं ठोस कदम सतर्कता पूर्वक उठाये जायेगें। जो कि संबंधित संकेत के लिये निर्धारित किये गये है।

यह तीनों संकेत केबल नदियों में व्यवहारिक रूप से पानी आ जाने के कारण आने वाली बाढ़ के लिये संकेत देते हैं। इस जनपद में बाढ़ का भंयकर प्रभाव नदियों के पानी से उत्पन्न नहीं होता है अपितु जल प्लावन की समस्या से उत्पन्न होता है। वास्तव में स्थानीय नदियों में पानी बढ़ जाने और गांव के स्थानीय नालों के द्वारा बरसात के पानी का उचित ढ़ंग से नदियों के पेटे तक नहीं पहुंचता एवं जगह–जगह नालों का अवरूद्ध हो जाना और अंतिम रूप से चारो तरफ से अथवा दो–तीन और से गांव की खेती व आवादी बाली जमीन में पानी भर जाना ही इस जनपद की तहसील भरथना एवं बिधूना की मुख्य समस्या है। इस प्रकार बाढ़ का जल प्लावन वाला रूप ही इस जनपद के लिये ही एक उग्र समस्या है। इसके लिये संबंधित परगना मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार के द्वारा तहसील स्तरीय बाढ़ योजना के आधार पर तुरन्त सभी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें और यह भी सुनिश्चित करेगें कि विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर जितने समय तक संबंधित क्षेत्र में पानी भरा रहेगा उतने दिनो तक पानी निकलवाने एवं आवादी की समस्त आवश्यक खाद्य वस्तुयें पहुंचाने, पशुओं के चारे एवं भूसे की व्यवस्था करवाने एवं प्रार्थमिक चिकित्सा की दृष्टि से दवायें उपलब्ध करवाने के लिये समस्त व्यवस्था की जा जाएगी।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष

विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि इस जनपद में जुलाई के अन्तिम सप्ताह व अगस्त के प्रथम सप्ताह से बाढ़ की समस्या सामान्य अथवा उग्र रूप से उत्पन्न हो सकती है। जल प्लावन की समस्या अगस्त के प्रथम सप्ताह के पूर्व प्रायः उत्पन्न नहीं होती है। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि वास्तविक रूप से केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष को दिनाक 15–06–2011 से कार्यरत किया जावे। यद्यपि इस तिथि के संबंध में परिवर्तन हो सकता है। वास्तव में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष किस तिथि से कार्य करे यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनपद में बाढ़ की स्थिति किस तिथि से उत्पन्न हो रही है। जैसे ही तहसीलों से पीले संकेत की सूचना प्राप्त होने लगे अथवा तहसील से प्राप्त होने वाली आख्याओं के द्वारा यह ज्ञात होने लगे कि तहसीलों के ग्राम जल प्लावन से ग्रसित होने लगे हैं। वैसे ही यह नियंत्रण कक्ष गतिशील हो जायेगा। यदि अन्य किसी श्रोत से जैसे केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यालय, लखनऊ अथवा अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई विभाग इटावा प्रखण्ड इटावा से यह सूचना प्राप्त हो कि निकट भविष्य में बाढ़ की सम्भावना उत्पन्न होने वाली है तो यह नियंत्रण कक्ष ऑफिस के रूप में कार्यरत हो जायेगा।

यह बाढ़ नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारी (दैवी आपदा/बाढ़)/अपर जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में कार्य सम्पादित करेगा ।

प्रभारी अधिकारी के निर्देश में जिला प्रोवेशन अधिकारी, जिला बचत अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्य करेगें। प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करते हुये कि वास्तव में बाढ़ की अवधि में कितने लिपिक वर्ग एवं चपरासी वर्ग की आवश्यकता है। उसकी व्यवस्था के संबंध में पृथक से विचार विमर्श करके आवश्यक आदेश अपने स्तर से पारित करेगें।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में निम्न पेशानी पर एक रजिस्टर खोला जायेगा।

प्रारूप :–

क्र0सं0	दिनांक	नाम अधिकारी	नाम कर्मचारी	प्राप्त सूचनाओं का विवरण	की गई कार्यवाही	हस्ताक्षर कर्मचारी / अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7

इस रजिस्टर के रख–रखाव का दायित्व मुख्य रूप से प्रभारी अधिकारी का होगा। नाजिर सदर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की कार्य अवधि में आवश्यकतानुसार कार्यालय को खोले रहेगें। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के संबंध में समस्त स्थानीय आदेश एक पत्रावली पर रखे जायेगें और यह पत्रावली प्रत्येक समय कक्ष में उपलब्ध रहेगी। इस कक्ष में समस्त विभागों के फोन नं0, कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारियों के पते और जनपद के समस्त अधिकारियों के फोन नं0 एवं उनके आवास के पते उपलब्ध रहेगें। जिससे कि आवश्यकता होने पर अल्प सूचना पर बुलाया जा सके। प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि यदि आवश्यकता हो तो बाढ़ के दिनों में इस कक्ष को जिलाधिकारी से अनुरोध करके एक जीप भी उपलब्ध कराई जावे। इस कक्ष में जनपद का एक नक्शा रखा जायेगा इसके अतिरिक्त केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की कार्य अवधि में आवश्यकतानुसार नजारत खोले रहेगें। केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में पूर्ण जनपद की बाढ़ चौकियों का सम्पूर्ण विवरण एवं अधिकारियों की डियूटी का कार्ड प्रत्येक समय देखने को उपलब्ध रहेगा।

बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था

1– असामयिक एवं आकस्मिक बाढ़ से वचाव हेतु यह आवश्यक है कि व्यवस्था ऐसी हो जिसके द्वारा बचाव कार्य प्रभावी एवं सुनियोजित ढ़ंग से क्रियान्वित किया जा सके। अतः बाढ़ सुरक्षा हेतु प्रत्येक तहसील में बाढ़ चौकियों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ चौकियों पर लेखपाल तथा ग्राम विकास अधिकारी पीला संकेत पाते ही पहुंच जावेगें और सभी आवश्यक साधन उपलब्ध करावेगें तथा जीवनोपयोगी वस्तुयें जैसे चना, गुढ़, सत्तू, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल तथा मवेशियों का चारा एकत्रित कर लेगें। तहसीलदार पहले से ही बाढ़ चौकियों के विषय में पूरा–पूरा प्रचार जनता के बीच करायेगें। संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों का दायित्व होगा कि बाढ़ आशंकित क्षेत्रों के निवासियों को बाढ़ आने से पूर्व चेतावनी दे दें। बाढ़ आने पर तत्काल सहायता कार्य आरम्भ कर देना परम आवश्यक है।

2– इस जनपद में बाढ़ की सम्भावना बहुत कम होती है और जब कभी बाढ़ आती है इससे इटावा, भरथना, जसवन्तनगर, चकरनगर तहसीलों का क्षेत्र प्रभावित होता है और अतिवृष्टि के कारण जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ आने की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक तहसील में बाढ़ चौकियों की व्यवस्था की जायेगी।

————————————

परिशिष्ट 'क'

जनपद की विभिन्न नदियों के किनारे बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची :–

तहसील–इटावा

1–यमुना नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) असवा (2)धमना (3) परौली मुस्त कामेत (4) बेला (5) गाती (6) भाऊपुर (7)पड़राया (8)मुसावली (9)सिलायला (10)सुनवारा (11)बुलाकीपुर लुहन्ना (12)रम्पुरा (13)बाहुरी (14)हड़ौली (15)सितौरा (16)कसौंगा (17)कामेत (18)सकतपुरा (19)भटपुरा (20)बिजयपुरा (21)मानिकपुर विसू (21)रजपुरा जानिवरास्त (23)भगौतीपुर (24)सकरौली (25)प्रतापनेर (26)जरहौली (27)धिमरई (28)धूमनपुरा (29) बराखेड़ा ।

2–अहनैया नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1)संतोषपुर उनवा (2)ईश्वरपुर (3)आराजी गुवरिया (4)मूंज (5)मसनाई (6)सदनपुर (7)नीवासई (8)मोहनपुरा राहिन (9)भदियापुर राहिन (10)चौविया (11)रैपुरा (12)खेड़ाहेलू

3–सिरसा नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) मूंगापुरा (2) इटगांव

4–सेंगर नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1)चकवा बुजुर्ग (2)चकवा खुर्द (3)अहलादपुर (4)सिरसा इटावा (5)खुड़ीसर (6)मूंगापुरा (7)संतोषपुर घाट (8)कुनैया

तहसील–भरथना

1–अहनैया नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1)बिरसिंह पुर (2)तुरैया (3)कुर्रा (4)सिंहुआ (5)रौरा (6)नगला बहादुरपुर (7)सैंफी (8)अदलीपुर (9)कटहरा (10)बाहरपुर (11)ढकपुरा (12)नगला बुटहर (13)नगला भागी (14)गंसरा

तहसील–जसवन्तनगर

1–यमुना नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1)जसोहन (2) नगला तौर (3)बाउथ (4)कछपुरा बीबामऊ(5)अजबपुर बीबामऊ (6)सिरसा बीबामऊ (7)सरामई (8)पीहरपुर (9)गुरैया (10) कीरतपुर।

2–सिरसा नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1)मानिकपुर बीबामऊ (2)रौतई (3)तमेरा (4)तमेरी (5)कुरसैना (6)मलाजनी (7)महामई (8)दोंदुआ गोपालपुर (9)सिसहाट (10)रजमऊ (11)नागरी (12)धौलपुर (13)धरवार (14)जसवन्तनगर (15)लुधपुरा (16)सोनई (17)जैतिया (18)बीबामऊ (19)बलरई (20)धौरेरा (21)कैस्त (22)कुंजपुर

3–सैंगर नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1)बियारी भटपुरा (2)बनामई (3)परसौआ (4)धंनुआ (5)रनुंआ (6)लरखौर (7)चांदनपुर बीबामऊ (8)उतरई (9)भैंसान (10)रायनगर (11)नगला अनियां (12)ककरई

तहसील–चकरनगर

1–यमुना नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) गोहानी (2) खिरीटी (3) कंधेसी घार (4) मितरौल (5) अनेठा (6) करियावली (7) नीमरी (8) कचहरी (9) जाजेपुरा (10) गढ़ाकास्दा (11) भरेह (12) हरौली बहादुरपुर (13) डिभौली (14) कछपुरा (15) नदगंवा (16) चिण्डौली (17) बहादुरपुरघार (18) दिलीप नगर।

2–चम्बल नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) बंशरी (2) कतरौली (3) सलोखरा (4) अचरौली (5) पथर्रा (6) विहार (7) अमलिया (8) चकरपुरा (9) महुआसूड़ा

3–क्वांरी नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) ललूपुरा (2) चौरेला (3) सिण्डौस (4) विण्डवा खुर्द (5) चमराई तीर (6) रीतौर की मड़ैया (7) कुंअरपुर कुर्छा (8) बिड़ौरी (9) बिठौली

तहसील सैंफई

1–सिरसा नदी से प्रभावित होने वाले ग्रामः–

(1)उमराई (2)चकूपुर (3)जहांनाबाद (4)फूलापुर

2–सेंगर नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) छिमारा (2) खरदूली (3) बर्रा (4) सिपहरी (5) हीरापुर (6) बौराइन (7) भदेई काशीपुर (8) छितौनी (9) रामेत

3–अहनैया नदी से प्रभावित होने वाले ग्राम :–

(1) कथुआ (2) शिवपुरी टिमरूआ (3) परासना (4) मधैयापुर

तहसील ताखा

1– अहनैया नदी से प्रभावित होने वाले ग्रामः–

1. रौरा

परिशिष्ट ''ख''

बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों की सूची मय नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

तहसील इटावा

क्र.	बाढ़ सेक्टर /बाढ़ नियंत्रण केन्द्र का नाम	बाढ़ चौकी का नाम	सम्बद्ध ग्रामों के नाम	नाम प्रभारी बाढ़ नियंत्रण केन्द्र	सहायक कर्मचारी का नाम/पद
1	2	3	4	5	6
1	तहसील इटावा	तहसील मुख्यालय इटावा	1.पड़राया 2.धूमनपुरा 3.बुलाकीपुर लुहन्ना 4.प्रतापनेर 5.हडौली 6.बराखेड़ा 7.पृथ्वीपुर भौनकपुर 8.सितौरा 9.मानिकपुर विसू 10.मुसावली	नायब तहसीलदार इटावा	1–श्री शिवराज, लेखपाल 2–श्री रामआसरे, लेखपाल 3–श्री महेश सिंह, लेखपाल 4–श्री गुरू प्रसाद ,लेखपाल
2	,,	जनता इण्टर कालेज पूठन सकरौली	1.धिमरई 2.विजयपुरा 3.सकरौली 4.सकतपुरा 5.सिलायता	सहायक खण्ड विकास अधिकारी (कृषि) बढ़पुरा	1. श्री लालबहादुर सिंह, लेखपाल
3.	,,	बीजगोदाम इकदिल	1.इकदिल 2.जादौंपुर 3.अराजी जादौंपुर 4.महतुआ 5.शेखूपुर जखौली	सहा0खण्ड विकास अधि. (पंचायत) बढ़पुरा	1.श्री श्रीप्रकाश लेखपाल 2.श्री धर्म सिंह लेखपाल
4.	,,	सामुदायिक विकास केन्द्र, दतावली	1. घूघलपुरा 2. गौरापुरा 3. लोकासई 4. संतोषपुर इटगांव 5. दतावली 6. पचावली 7. पीताम्बरपुरा	सहा0खण्ड विकास अधिकारी, लघु सिंचाई, वढ़पुरा	1.श्री राजेश कुमार लेखपाल 2.श्री मेहरवान सिंह लेखपाल

5.	विकास खण्ड कार्यालय, बढ़पुरा (उदीमोड़) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी, बढ़पुरा।	प्रा0पा0 कामेत	1.कामेत 2.सुनवारा 3.भगौतीपुर नगला कछार 4.बढ़पुरा 5.रजपुरा जानिवरास्त 6.जरहौली 7.मिहौली 8.चिकनी 9.उदी 10.परौली मुस्ति0कामेत 11.अवारी 12.गाती 13.रमपुरा	सहायक खण्ड विकास अधिकारी लघु सिंचाई बढ़पुरा	1. श्री लालता प्रसाद लेखपाल 2., श्री राजेन्द्र कुमार सविता लेखपाल 3. श्री रमेश चन्द्र लेखपाल 4. श्री विद्या सागर लेखपाल
6.	,,	हाईस्कूल कुन्डेश्वर	1.बेला 2.भाऊपुरा 3.असवा 4.धमना 5.बाहुरी	सहा0 खण्ड विकास अधिकारी सहकारिता बढ़पुरा–इटावा	1.श्री जयराम लेखपाल 2.श्री रामआसरे लेखपाल 3.श्री राजेन्द्र कुमार सविता लेखपाल
7.	विकास खण्ड कार्यालय बसरेहर प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी, बसरेहर	विकास खण्ड कार्यालय बसरेहर	1.बसरेहर 2.अमृतपुर 3.चकवा बुजुर्ग 4.संतोषपुर घाट 5.सिंरसा इटावा 6.इटगांव 7.कुनैया	सहा0खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत बसरेहर।	1.श्री वीरेन्द्र कुमार लेखपाल, 2.श्री तालेसिंह लेखपाल 3.श्री मेहरबान सिंह लेखपाल 4.श्री सन्मान सिंह लेखपाल
8.	विकास खण्ड कार्यालय बसरेहर प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी, बसरेहर	प्रा0पा0 चौविया	1.चौबिया 2.मूंगापुरा 3.बिठौली 4.बीना 5.कृपालपुर 6.गनेशपुर 7.भूटा 8.कर्री 9.परौली रमायन 10.भदियापुर राहिन 11.नीवासई 12.बरालोकपुर 13.संतोषपुर उनवां	सहा0 खण्ड विकास अधिकारी, बसरंहर (कृषि)	1.श्री सूरज प्रसाद लेखपाल 2.श्री मेहरवान सिंह लेखपाल 3.श्री ओमप्रकाश लेखपाल 4.श्री राकेश कुमार यादव लेखपाल 5.श्री रजन सिंह लेखपाल

तहसील–सैंफई

1.	कार्यालय तहसील सैंफई	प्रा0पा0 चकूपुर	1.जहानाबाद 2.चकूपुर 3.फूलापुर 4.उमराई	श्री भारत सिंह प्र0 राज0नि0,	1–राकेश कुमार लेखपाल
2.	,,	प्रा0पा0 छिमारा	1.छिमारा 2.बर्रा 3.बौराइन 4.सिपहरी	श्री भारत सिंह प्र0 राज0नि0,	1.भारत सिंह लेखपाल
3.	,,	संकुल भवन छितौनी	1.भदैई काशीपुर 2.रामेत 3.हीरापुर 4.छितौनी	श्री भारत सिंह प्र0 राज0नि0,	1.श्री महाराज सिंह लेखपाल
4.	,,	प्रा0पा0 शिवपुरी टिमरूआ	1.कथुआ 2.शिवपुरी टिमरूआ 3.मधैयापुर 4.परासना	श्री भारत सिंह प्र0 राज0नि0,	1.श्री राजवीर सिंह लेखपाल

तहसील–चकरनगर

1.	तहसील कार्यालय चकरनगर	1.तहसील कार्या0 चकरनगर (यमुना नदी)	1.कंधेसी घार 2.खिरीटी 3.गौहानी 4.मितरौल	श्री राजेश सिंह चौहान रा0नि0 चकरनगर 9412184143	1.श्री अशोक बाबू शर्मा लेखपाल 9411663742 2.श्री अवधेश कुमार लेखपाल 8445309325 3.श्री राजेश सिंह चौहान लेखपाल 9412184143
2.	प्राथमिक पाठशाला गढ़ाकासदा	2.प्रा0आ0 इमिलिया चम्बल नदी	1.इमलिया 2.पथर्रा 3.अचरौली	सहा0वि0अधि चकरनगर (सांख्यिकी)	1.श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव लेखपाल 8445309325
3.	,,	3.प्रा0पा0 भरेह पचनद	1.भरेह 2.हरौली बहादुरपुर 3.चकरपुरा	,,	1.ग्र0वि0अधिकारी, भरेह 2.श्री सुखराम सिंह लेखपाल 9756597299 3.श्री अवधेश कुमार ले0 9412519725

4.	प्राथमिक पाठशाला गढ़ाकासदा	4.प्रा0 प्रा0 गढ़ाकास्दा (यमुना नदी)	1.गढ़ाकास्दा 2.महुआसूड़ा	सहा0वि0अधि चकरनगर (सांख्यिकी)	1.श्री जयनरायन लेखपाल 9411479575
5.	प्रा0 पा0 बिडौरी	5.प्रा0पा0 कचहरी	1.कचहरी 2.नीवरी 3.करियावली 4.सलोखरा	स0वि0 अधि0 चकरनगर (पंचायत)	1.श्री प्रभाकर सिंह लेखपाल 9456002603
6.	,,	6.प्रा0पा0 अनेठा	1.अनेठा 2.बिठौली	,,	1. श्री विशम्भर दयाल लेखपाल 9690398115
7.	,,	7.प्रा0 पा0 बंसरी	1.बंसरी 2.कतरौली	,,	1.श्री विशम्भर दयाल 9690398115 ग्रा0पं0वि0अधि0 बंसरी
8.	प्रा0 पा0 बिडौरी	8.प्रा0पा0 विडौरी	1.कुंवरपुर कुर्छा 2.विडौरी 3.रितौर की मड़ैया 4.विहार	,,	1.श्री बृजमोहन सिंह लेखपाल 9837034042 2.ग्रापं0वि0अधि0 विड़ौरी 3. श्री विशम्भर दयाल लेखपाल 9690398115
9.	जू0हा0 सिण्डौस	9.जू0हा0 सिण्डौस	1.सिण्डौस	स0वि0अधि0 (कृषि) चकरनगर	1.ग्रा0 पंचायत वि0 अधि0 सिण्डौस 2.श्री अहिवरन सिंह लेखपाल 9411869138
10	,,	10. प्रा0पा0 विण्डवा खुर्द क्वारी नदी	1.विण्डवाखुर्द 2.जाजेपुरा	,,	1.श्री रवीन्द्र सिंह ले0 9634976215 2.ग्रा0पं0वि0अधि0सिण्डौस
11	,,	11.प्रा0पा0 मरदानपुरा	1.चौरेला 2.ललूपुरा 3.चमराई तीर	,,	1.श्री बृजमोहन सिंह लेखपाल 7895253250

तहसील–भरथना

1	ऊमरसेड़ा सहकारी संघ	प्रा0 पा0 वाहरपुर	1.वाहरपुर 2.ढकपुरा 3.कटहरा 4.गंसरा	ए0डी0ओ0 पंचायत भरथना	1–श्री प्रेमलाल लेखपाल 9690526487 3–श्री रामभरोसे ले0 9791701359

2	ऊमरसेड़ा सहकारी संघ	ऊमरसेंड़ा सहकारी संघ	1.लखनपुर पचार 2.तुरैया 3.कुर्रा 4.सिंहुआ 5.न0 बहादुरपुर 6.न0भागी 7.अदलीपुर 8.सैंफी 9.न0 बुटहर 10.न0 उसीरी 11.दिवरासई 12.अपूरपुर 13.चन्देठी 14.आलमपुर तुरैया 15.विरसिंगपुर 16.वेर	ए0डी0ओ0 भरथना	1—श्री रामभरोसे,लेखपाल 9791701359 2—श्री उमेश सिंहलेखपाल 9411240318 3—श्री जगदीश सिंह लेखपाल 9411990555 4—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव लेखपाल9412614074 4—ग्रा0वि0अ0तुरैया

तहसील—जसवन्तनगर

1.	तहसील मुख्यालय जसवन्तनगर	1.किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बलरई	1.जसोहन 2.बलरई 3.मानिकपुर बीबामऊ 4.महामई 5.नागरी 6.बाउथ 7.कछपुरा बीबामऊ 8.सरामई 9.गुरैया 10.नगला तौर	ए0डी0ओ0 पंचायत जसवन्तनगर बीबामऊ	1.ग्राम विकास अधिकारी बीबामऊ 2.श्री मु0मुशीद कुरैशी ले0 9412745154 3.श्री नरेश बाबू लेखपाल 9456443785 4—श्री रामप्रकाश यादव ले0 5—श्री नगेन्द्र सिंहलेखपाल 9456442845 6—श्री सुधीर कुमार लेखपाल 9411941580
2.	तहसील मुख्यालय जसवन्तनगर	2. प्रा0पा0 सिरसा बीबामऊ	1.पीहरपुर 2.सिरसा बीबामऊ 3.न0—तौर, कीरतपुर	ए0डी0ओ0 एम0आई0 जसवन्तनगर	1.ग्रा0वि0अधि0 सिरसा 2.श्री रविलाल,लेखपाल 8979189633 3—श्री रामकुमार लेखपाल 9719445930

3.	तहसील मुख्यालय जसवन्तनगर	3.तहसील मुख्यालय जसवन्तनगर	1.धौरेरा 2.धरवार 3.कुरसैना 4.सिसहाट 5.तमैरी 6.तमेरा 7.जसवन्तनगर 8.लुधपुरा 9.कैस्त	ए0डी0ओ0 (सह0) जसवन्तनगर	1.ग्रा0 वि0 अधि0 धरवार 2.श्री मु0रशीद कुरेशी लेखपाल 9412745154 3.श्री शिवराज सिंह लेखपाल 9412614883 4.श्री गीतम सिंह लेखपाल 9410801905
4.	तहसील मुख्यालय जसवन्तनगर	प्रा0पा0 कैलोखर	1.रजमऊ 2.कुंजपुर 3.कैलोखर 4.सौनई 5.सैदपुर 6. जैतिया	ए0डी0ओ0 (सहा0) विकास खण्ड जसवन्तनगर	1.ग्रा0वि0अधि0 रजमऊ 2.श्री लाल सिंह लेखपाल 9411239601 3.श्री जयप्रकाश यादव ले0 9412452975
5.	तहसील मुख्यालय जसवन्तनगर	प्रा0 पा0 हेंवरा	1.परसौआ 2.रनुआं 3.लरखौर 4.बनामई	ए0डी0ओ0 कृषि वि0ख0 सैफई	1.ग्रा0पं0वि0अधि0 लरखौर 2.श्री पूरनमल लेखपाल 9720704925 3.श्री प्रेम नरायन लेखपाल 9411018161

तहसील –ताखा

1.	विकास खण्ड ताखा	विकास खण्ड ताखा	रौरा	अनिल कुमार प्र0 रा0नि0 9456269200	1–श्री उजागर लाल ले0 8859253385

अध्याय–06

बाढ़ के समय नावों की उपलब्धता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। नावों की कमी होने से न तो कार्यकर्ता ही ग्रामों में पहुंच सकते हैं और न वे बाढ़ पीड़ित जनता को खाद्य सामग्री ही पहुंचा सकते हैं और न बाढ़ से घिरे हुये परिवारों को ऊंचे स्थानों पर ले जा सकते हैं। अतः 30 जून तक प्रतिवर्ष तहसीलदार सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बाढ़ चौकी पर एक मीडियम साइज की नाव तथा एक छोटी नाव और छः मल्लाह उपलब्ध हों। प्रत्येक बाढ़ नियंत्रण केन्द्र पर एक बड़ी नाव व एक मीडियम साइज की नाव का होना आवश्यक है।

समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्रों में नावों की आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगें। तहसीलवार नावों की उपलब्धता सूची निम्नप्रकार है ।

तहसील–इटावा

क्र0सं0	घाट का नाम	नविक का नाम	नावों की संख्या			विवरण
			छोटी	बड़ी	मोटरबोट	
1	2	3	4	5	6	7
1	सुनवारा	1. श्री बाबूराम पुत्र गोपीचन्द्र	1	–	–	नवीन पुल निर्माण में स्थाई रूप से लगी है।
2	,,	2. श्री हरी सिंह पुत्र विद्याराम	1	–	–	
	,,	3. श्री बीरबल	1			
		योगः–	3	–	–	

तहसील–जसवन्तनगर

1.	यमुना नदी खंदिया घाट (बाउथ)	1.सियाराम पुत्र हरी सिंह व रामदास पुत्र श्री चन्द्र निवासी खंदिया, मौजा बाउथ तहसील जसवन्तनगर	1	–	–

तहसील–चकरनगर

1.	कंधेसीघार	1.श्री कुंवरसिंह पुत्र केदारसिंह	–	–	–
2.	सिखरोड़ी	2.,, बलराम पुत्र तुलसीराम	–	–	–
3.	नीमरी करियावली	3.,, रामऔतार पुत्र शिवदयाल	–	–	–
4.	गुपियाखार ततारपुर	4.,, सुघरसिंह पुत्र बाबूसिंह	–	–	–
5.	पचनदा(कंजौसा)	5.,,रामबहादुर पुत्र मन्नी	1	1	–
6.	अन्दावा घार	6.,, मिट्ठूलाल पुत्र सालिगराम	–	–	–
7.	गोहानी	7.,, ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में है। बेकार है।	(बेकार)	–	–
8.	महुंआ सूड़ा	8.,, रनवीर सिंह पुत्र बड़ेसिंह	–	–	–
9.	सहसों	9.,, जयवीर सिंह पुत्र अभिलाख सिंह	–	–	–

तहसील–भरथना

1.	मुड़ैना बिबौली	1. श्री श्रीराम	1	–	–

परिशिष्ट –'ग'

जनपद के प्रत्येक बाढ़ चौकी पर निम्न मात्रा में पूर्व सूचित स्टाक रखना आवश्यक होगा ।

क्र0	वस्तु का नाम	बस्तु की मात्रा
1.	मिट्टी का तेल	1 टीन
2.	दिया सलाई	1 दर्जन
3.	भुना हुआ चना	1/2 कुन्तल
4.	नमक	5 किलो
5.	लालटेन	चार
6.	गुड़	10 किलो
7.	बांस	10
8.	टार्च	02
9.	लाइफ बैल्ट	04
10.	लालदवा	1/2 किलो
11.	सत्तू	20 किलो
12.	फर्स्ट एड बॉक्स	एक
13.	पशुओं के चारे की व्यवस्था	पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें।

परिशिष्ट 'घ'

जल प्लावन से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

तहसील–इटावा।

(1)सराय दयानत (2)विचारपुरा (3)विशुनपुर लोहरई (4)आशानन्दपुर (5)सराय मलपुरा (6)बादरीपूठ (7)कस्वा इटावा (8)लुधपुरा मोहब्बतपुर (9)जाफरावाद (10)डूंगरी (11)सिराजमऊ (12)सुल्तानपुर कलां (13)शेखूपुर जखौली (14)रामपुर नावली (15)संतोषपुर इटगांव (16)अहलादपुर (17)लोकासई (18)सुन्दरपुर (19)सराय एसर (20)टिकूपुर (21)केशोपुर (22)मसनाई (23)राहिन (24)बहादुर पुर लुहिया (25)पीताम्बरपुर (26)कुनैरा (27)हरसौली (28)लाखापुर (29)घूघलपुर (30)हरिहरपुर (31)केशवपुर जादोंपुर (32)सरसई हेलू (33)किल्ली सुल्तानपुर (34)शंकरपुर (35)जुगरामऊ (36)कांधनी (37)महनेपुर (38)दतावली (39)पचावली (40)अराजी जादोंपुर

तहसील–भरथना

(1)तुरैया (2)कुर्रा (3)सैंफी (4)सिंहुआ (5)नगला बहादुरपुर (6)न0 बुटहर (7)न0 भागी (8)अदलीपुर (9)गंसरा (10)ढकपुरा (11)बाहरपुर (12)कटहरा

तहसील–सैंफई

(1) उझियानी (2) बधुईया (3) छिमारा (4) बर्रा (5) भदेही काशीपुर (6)कुम्हाबर (7) उद्यमपुर (8) नन्दपुर (9) उसरई (10) भागीपुर (11) सलेमपुर (12) ऐमए नगला मोहन (13) कुइया (14) मनिगांव (15) परासना (16) नगरिया कूकपुर (17) केशोपुर बेनी (18) बरौली कलां (19) बरौली खुर्द (20) ओड़मपुर (21) लाड़मपुर (22) मधैयापुर (23) कथुआ (24) शिवपुरी टिमरूआ ।

तहसील–जसवन्तनगर

(1) जगसौरा (2) बनकटी बुजुर्ग (3) नगरिया जसोहन (4) बहोरीपुर (5) सखौआ (6) सिरहौल (7) नगला सलहदी (8) हैंवरा (9) निजामपुर (10) जुगौरा (11) गारमपुर (12)अण्डावली (13) भीखनपुर (14) राजपुर तमेरी (15) भैंसरई।

तहसील– ताखा

(1)सरसईनावर (2)कुंइता (3)कौआ (4)खनांबांध (5)हिन्दूपुर बैदपुर (6)सौथना (7)नगला मेरहा (8)कुरखा (9)रिदौली (10)ताखा (11)समथर (12)दींग (13)शोरेा (14)रतहरीसरावा (15)बेलाहार (16)ककराही (17)राजीपुर (18)नगरिया सरावा (19)सरावा (20)बालापुर (21)मामनहिम्मतपुर (22)न0 मानिकपुर (23)अमथरी (24)कैशोंपुर (25)बनीहरदू (26)टकपुरा (27)आढ़रपुर (28)मेदीपुर (29)खिरिया (30)रौरा

———————————

राजस्व विभाग का दायित्व

जैसे ही नदी का जलस्तर संकट बिन्दु पर पहुंचे बैसे ही उसकी सूचना शासन व सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष को तत्काल देना और तब तक प्रतिदिन देते रहना जब तक कि जल स्तर संकट बिन्दु से नीचे न चला जाये। प्रत्येक तहसील के तहसीलदार का यह दायित्व होगा कि वह दिनांक 15 जून 2012 से निम्न प्रोफार्मा पर दैनिक रिपोर्ट जिला मुख्यालय पर प्रेषित करें।

दैनिक बाढ़ रिपोर्ट का प्रोफार्मा

क्र0 सं0	आइटम	(क) पूर्व की तिथि ..... .तक	(ख) आज दिनांक ..... को	(ग) कुल योग
1	वर्षा			
2	प्रभावित तहसीलों की संख्या			
3	प्रभावित ग्रामों की संख्या			
4	जलमग्न ग्रामों की संख्या			
5	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)			
6	प्रभावित क्षेत्रफल(है0में)			
7	प्रभावित कृषि क्षेत्रफल(है0में)			
8	प्रभावित बोया गया क्षेत्रफल (है0में)			
9	कृषि फललों की हानि (लाख रूपये में)			
10	मानव जीवन हानि की संख्या			
	(क)डूबने से			
	(ख)अन्य कारण से			
11	पशु जीवन हानि संख्या			
12	पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			
13	आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या			
14	क्षतिग्रस्त मकानों की अनुमानित क्षति(लाख रूपये में)			
15	सार्वजनिक सम्पत्ति की अनुमानित क्षति (लाख रूपये में)			

	राहत कार्य			
1	स्थापित राहत केन्द्रों/राहत शिवरों की संख्या			
2	सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये व्यक्तियों की संख्या			
3	प्रयुक्त नावों की संख्या			
4	मजदूरी /किराया			
5	राहत कार्यों हेतु पी0ए0सी0/सेना का प्रयोग			

	वितरित राहत सहायता			
1	अहेतुक सहायता			
	(क)वितरित सामग्री/खाद्यान्न मूल्य			
	(ख) नकद			
2	**अनुग्रह अनुदान**			
3	**गृह अनुदान**			
4	**वितरित सामग्री/खाद्यान्न का विवरण**			
	(क)– चावल (कुन्तल में)			
	(ख)– गेंहू/आटा (कुन्तल में)			
	(ग)– आलू(बोरों में)			
	(घ)– केरोसिन तेल(लीटर में)			
	(ड)– नमक(कुन्तल में)			
	(च)– लाई(कुन्तल में)			
	(छ)– चना(कुन्तल में)			
	(ज)– गुड़(कुन्तल में)			
	(झ)– मोमवत्ती (पैकेट में)			
	(ट)– पोलीथिन (मीटर में)			
5	**चिकित्सा सहायता**			
	(क)–उपचारित मनुष्यों की संख्या			
	(ख)–मनुष्यों के टीकाकरण की संख्या			
	(ग)–उपचारित पशुओं की संख्या			
	(घ)–पशुओं के टीकाकरण की संख्या			

सहायता कार्य

(क) घिरे हुये परिवारों को निकालना–

नदी का जल स्तर खतरा बिन्दु पार कर जाने पर लाल संकेत प्रसारित होने पर प्रभावित परिवारों के निकाले जाने का कार्य महत्वपूर्ण है। तहसीलदार ऐसे ग्रामों की सूची जो मीडियम फ्लड में और उन ग्रामों की सूची जो हाई फ्लड में घिर जाते हैं तुरन्त बना लें और उन स्थानों को पहले से चिन्हित /सुरक्षित कर लें जहां पर उनको बसाया जा सकता है। स्थान ऐसा होना चाहिये जहां पर उनके रहने के लिये स्कूल हो तथा उनके मवेशियों के लिये मैदान उपलब्ध हो। बाढ़ चौकी अधिकारी या तो उपलब्ध स्थानों द्वारा अथवा नियंत्रण केन्द्र के अधिकारी से सहायता प्राप्त करके यथा सम्भव ऐसे परिवारों को अवश्य निकाल लें जो चारो ओर से पानी से घिर गये हों और अधिक पानी बढ़ने की दशा में जिनकी जान को खतरा होने की आशंका हो यह कार्य तत्परता से होना चाहिये। होमगार्ड का इस कार्य में विशेष महत्व है। जहां ऐसी स्थिति आ जाये वहां निःसंकोच होमगार्ड की सेवायें प्राप्त की जानी चाहिये। क्योंकि बाढ़ कार्य में वहीं होमगार्ड लगाये जायें जो तैरना व नाव चलाना जानते हों गत वर्षों के आधार पर यह देखा गया है कि खतरा बिन्दु पर होने पर तहसील चकरनगर के हरौली, बहादुरपुर तथा भरेह में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहां के निवासियों को ग्रामों से निकालकर ऊंचे स्थान पर ले जाना पड़े। पीला संकेत प्राप्त होते ही सभी स्थानों पर बड़ी नावों की व्यवस्था तहसील चकरनगर को कर लेनी चाहिये। कठिनाई होने पर तुरन्त जिला बाढ़ अधिकारी से सम्पर्क किया जावे तो वह इस संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से नावें उपलब्ध करावें।

तहसील इटावा में ग्राम चकवा बुजुर्ग तथा इटगांव, सेंगर तथा सिरसा नदियों से बुरी तरह घिर जाते हैं तहसीलदार को चाहिये कि वह इन ग्रामों के विषय में विशेष ध्यान रखें और समय पड़ने के पूर्व इनके निकाले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला विकास अधिकारी अपने स्तर से अविलम्ब अधिशाषी अभियन्ता से सम्पर्क कर कार्य को अमल में लावें।

उपग्रामों की सूची जिनकी आवादी सामान्य प्रथम ऊंची बाढ़ से घिर जाती है **परिशिष्ट –क** में है ।

(ख) जान–माल की सुरक्षा–

जिस समय बाढ़ ग्रस्त परिवार अपनी जान–माल की सुरक्षा हेतु परिवर्तन में लगें हों यह सम्भव है कि असामाजिक तत्वों द्वारा उनका सामान इधर –उधर कर दिया जावे। अतः परगनाधिकारी अपने परगने से संबंधित थानाध्यक्षों से सुरक्षा–व्यवस्था करायेगें। प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा केन्द्र तथा बाढ़ चौकी पर बाढ़ की स्थिति में तैनात व उससे सम्बद्ध अधिकारी कर्मचारी का नाम भी सब की जानकारी में लाने के विचार से नामों की सूची लटकवाना आवश्यक है। उन केन्द्रों तथा बाढ़ चौकियों पर प्रयोग में लाई जाने वाली या उससे सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी नावों व नाविकों के पूर्ण विवरण पहले से ही तैयार रखे जावें।

(ग) बेसहारा परिवारों को रसद की आपूर्ति

इस कार्य में जिला पूर्ति अधिकारी का विशेष महत्व है। स्थानीय रूप से उपजिलाधिकारी व तहसीलदार पहले से ही सुनिश्चित कर लेगें कि बाढ़ आने की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुयें जैसे मिट्टी को तेल, दियासलाई, भुना हुआ चना, नमक, गुढ़ तथा गेहूं उपयुक्त स्थानों पर उपलब्ध है। इसके लिये पास के दुकानदारों से सम्पर्क स्थापित करके व्यवस्था कर ली जावे। यदि किसी वस्तु की प्राप्ति में कठिनाई हो तो जिला पूर्ति अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके उसकी व्यवस्था कराई जावे। बाढ़ सुरक्षा केद्रों पर जीवनापयोगी सामग्री स्टॉक रजिस्टर भी रखा जाये जिसमें समस्त उपयोगी सामग्री का उल्लेख होना चाहिये।

बाढ़ से घिरे परिवारों को हटाने में बिलम्ब होने की दशा में अथवा व्यक्तियों की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर अथवा बाढ़ के कारण मजदूरों की मजदूरी न मिलने के कारण ऐसी स्थिति आ सकती है कि उनको जीवन उपयोगी वस्तुयें दी जायें। बाढ़ संबंधी अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि किसी भी दशा में व्यक्ति को भूख के कारण न मरने दिया जाये। इस व्यवस्था का पूर्ण दायित्व बाढ़ नियंत्रण अधिकारी अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी पर होगा। आवश्यक स्टाफ जो प्रत्येक चौकी पर होना चाहिये उसका विवरण **परिशिष्ट –ख** में दिया गया है ।

(घ) पशुओं के चारे का प्रबन्ध

प्रभागीय निदेशक सामाजिक प्रभाग, इटावा अपने अधीनस्त कर्मचारियों को पहले से निर्देश प्रसारित करादें कि यदि उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के पास बाढ़ ग्रस्त परिवारों के जानवरों के चरने हेतु जंगलात की सुविधा मांगी जाती है तो बिना समय नष्ट किये हुये ऐसी सुविधा प्रदान करें। यह देखा गया है कि औपचारिकता की पूर्ति में बिलम्ब हो जाता है और बाढ़ पीड़ितों को समय से सहायता नहीं मिल पाती है ।

निर्धारित दर पर बाढ़ पीड़ितों को चारा उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का है। अतः मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पहले से ही आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लें ताकि समय पर बाढ़ पीड़ितों को बिना हानि लाभ के आधार पर चारा उपलब्ध हो सके। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भूसा को पहले से ही सुरक्षित कर लेगें। उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ट्रक, बस, ट्रेक्टर अधिगृहीत करवाकर उपलब्ध करायेगें।

उपजिलाधिकारी अपने–अपने स्तर पर स्वेच्छिक संस्थाओं जैसे इटावा क्लब आदि अन्य संसाधनों द्वारा भी सहायता की मांग करें जो सम्भावित बाढ़ क्षेत्रों में उपयोग में लावे ।

बाढ़ के कारण पशुओं में व्याप्त समस्याओं के लिए तहसीलवार पशुपालन विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है:–

1–तहसील इटावा।

(1) डा0 आर0बी0लाल उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी इटावा मो0 9412360075

(2) डा0 आर0के0गुप्ता उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदर, इटावा मो0 9452032832

(3) डा0 शिव कुमार शर्मा, पशु चिकित्साधिकारी, आर0पी0योजना, मो0 8937008989

(4) डा0 आरती पाठक, पशु चिकित्साधिकारी, गंगापुरा मो0 9026067879

(5) श्री इन्द्रेश सिंह चौहान, पशुधन प्रसार अधिकारी मो0 9758530052

(6) श्री विजयवीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2–तहसील भरथना

1– डा0 विपिन कुमार अग्रवाल उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भरथना मो0 9412442243

(1)श्री युवराज सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी मो0 9412572890

(2) श्री लज्जाराम वैट0फार्मा0 मो0 9412365614

(3) श्री करूणाशंकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2–डा0 सुनील कुमार गुप्ता पशु चिकित्साधिकारी बकेवर मो0 9415729443

(1) श्री प्रदीप कुमार वैट0 फार्मा0 मो0 9759990941

(2) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्म0

3– डा0 प्रमोद कुमार पशु चिकित्साधिकारी इकदिल मो0 8765446378

(1)श्री कंचन सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी मो09219748262

(2) श्री राजेश कुमार पशुधन प्रसार अधिकारी मो0 9412452900

(3) श्री प्रमोद कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्म0

तहसील जसवन्तनगर

1–डा0 सन्तोष कुमार गिरी उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जसवन्तनगर मो0 9412161967

(1) श्री प्रदीप कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्म0 मो09219748262

2–डा0 सरनाम सिंह पशु चिकित्साधिकारी धनुआखेड़ा मो0 9412503460

(1) श्री जितेन्द्र कुमार वैट0फार्मा0 मो0 9412320888

(2) श्री महावीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्म0

3–डा0शिवप्रसाद पशु चिकित्साधिकारी नगला रामसुन्दर मो0 9450865009

(1) श्री विमल कुमार पशु प्रसार अधिकारी मो09690001092

(2) श्री शिवराज सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्म0

तहसील सैफई

1–डा0 विश्वजीत सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सैफई मो0 9837189220

(1) श्री अनिल कुमार त्रिपाठी वैट0 फार्मा0 मो0 9410489152
(2) श्री शिव स्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2–डा0 अमित कुमार सचान पशु चिकित्साधिकारी वैदपुरा मो08057494973

(1) श्री राम औतार धनगर पशु प्रसार अधिकारी मो0 9837252532

3–डा0 योगेन्द्र सिंह पशु चिकित्साधिकारी हेंवरा मो0 9473954884

(1) श्री अखिलेश यादव पशु प्रसार अधिकारी मो0 9411989411
(2) श्री विश्राम सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

4– डा0 एन0के0यादव पशु चिकित्साधिकारी बसरेहर मो0 9536878464

(1) श्री जगजीवनराम पशु प्रसार अधिकारी मो0 9410068804

5–डा0 मंजू दोहरे पशु चिकित्साधिकारी बीना मो0 8960955437

(1)श्री महिपाल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

तहसील चकरनगर

1– डा0 मो0 जावेद इकबाल उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जसवन्तनगर मो0 9412161967

(1) श्री अजय प्रताप सिंह वैट0 फार्मा09927362334
(2) श्री बृजेश कुमार शाक्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
(3) श्रीमती लता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2– डा0 अनुपम कुमार चौधरी पशु चिकित्साधिकारी पिरौलीगढिया मो0 9411992425

(1) श्री राजेन्द्र सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

3–डा0 राहुल कुमार पशु चिकित्साधिकारी हनुमन्तपुर मो0 9451870133

(1) श्री धनंजय कुमार तिवारी वैट0 फार्मा0 मो0 9410801661
(2) श्री वीरेन्द्र कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

तहसील– ताखा

1– डा0 प्रेम प्रकाश वर्मा पशु चिकित्साधिकारी ताखा मो0 7599454672

(1) श्री धनश्याम तिवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मो0 9456215845

2– डा0 नीरज कुमार गुप्ता पशु चिकित्साधिकारी रतहरी मो0 9984232053

(1) श्री सुरेश चन्द्र प्रजापति वैट0 फार्मा0 9457621941
(2) श्री श्याम सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

3–डा0 वैभव मिश्रा पशु चिकित्साधिकारी समथर मो0 9026067879

(1) श्री शिवपाल सिंह वैट0फामा0 मो0 9411869165
(2) श्री सोहन सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

4– डा0एन0पी0 सिंह मेंदीपुरा मो0 9450203782

———————————————————

2–परगनाधिकारी के दायित्व

1–समस्त परगनाधिकारी अपनी तहसील के तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारी व एस0ओ0 को तत्काल स्तर पर बाढ़ सम्बन्धी एक बैठक बुलायेंगें और इस बैठक में प्रत्येक आवश्यक निर्णय लिये जायेगें। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर लेखपाल की डियूटी लगावेगें तथा नियुक्ति की सूचना प्रत्येक तहसीलदार बाढ़ नियंत्रण अधिकारी को भेजेगें। उक्त मीटिंग में उपजिलाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी, को भी बुलाया जावेगा तथा समस्त बाढ़ संबंधी बिन्दुओं पर विचार विमर्श करके प्रत्येक तहसीलदार सभी खादान्न सामग्री तथा अन्य वस्तुओं एवं पशुओं के लिये चारा आदि व्यवस्था करायेंगे।

2–बाढ़ नियंत्रण का इंचार्ज तहसीलदार/नायब तहसीलदार या ए0डी0ओ0 रहेगा । उनकी सहायता के लिये लेखपाल /ग्राम विकास अधिकारी /चौकीदार /होमगार्ड की डियूटी लगाई जावेगी।

3–तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण केन्द्र का उत्तर दायित्व उपजिलाधिकारी पर होगा और प्रत्येक बाढ़ चौकी इंचार्ज की नियुक्ति वह करेगें। इनकी सहायता हेतु अन्य ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करके जिला कार्यालय को सूचना देंगें। जिनमें नियुक्ति किये गये स्टाफ के नाम व पद की भी सूचना दी जावेगी ताकि स्टाफ की जांच की जा सके। परगनाधिकारी /तहसीलदार /नायब तहसीलदार /ए0सी0ओ0 के बीच बाढ़ चौकियों का बटवारा करेंगें। ताकि चौकियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। तहसीलदार /नायब तहसीलदार के साथ तहसील के दो चपरासी लगाये जायेगें जो संदेश बाहक का कार्य करेगें।

बाढ़ आपदा योजना में सम्बन्धित विभागों के कार्य

होमगार्ड, पुलिस विभाग, सेना, पी0ए0सी0 व अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यः–

1–होमगार्ड

ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी नदी में जल स्तर खतरा बिन्दु से पार करता है और आवादी में बसे हुये लोगों तथा उनके सामान को ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक हो जाता है तो लेखपाल अथवा ग्राम विकास अधिकारी जो अधिकतर तैरना अथवा नाव चलाना नहीं जानते हैं और कुछ भी ठीक कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं अतः बाढ़ योजना में होमगार्ड की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। प्रत्यके बाढ़ चौकी पर दो होमगार्ड तथा बाढ़ नियंत्रण केन्द्र पर चार होमगार्ड नियुक्ति किये जायेगें। पीला संकेत प्रसारित होते ही सम्बन्धित होमगार्ड को चेतावनी दे दी जायेगी कि वह डियूटी पर पहुंचने के लिये तैयार हो जायें। लाल संकेत पाने पर वह संबंधित बाढ़ चौकियों अथवा बाढ़ नियंत्रण केन्द्र पर पहुंच जायेगें। चूंकि होमगार्ड को प्रतिदिन का बेतन बाढ़ कोष से देना पड़ेगा। अतः उपजिलाधिकारी/तहसीलदार का यह कर्तव्य होगा कि वे होमगार्डों की सेवायें तभी प्राप्त करें जब बिलकुल ही आवश्यक हो जाये।

जिला कमाण्डेंट होमगार्डस जुलाई के प्रथम सप्ताह में तहसीलदारों से सम्पर्क स्थापित करके होमगार्डों का चयन कर लेवे। चयन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि जो होमगार्ड चुनकर आयें वे अच्छी तरह तैरना अथवा नाव चलाना जानते हों । होमगार्डों की सूची एक प्रतिलिपि जिला कार्यालय में प्रति वर्ष 15 जुलाई तक अवश्य भेज दी जावे। जिला कमाण्डेंट होमगार्डस अपना एक–एक प्रतिनिधि जनपद की पॉचों तहसीलों में जुलाई से मनोनीत कर देंगें जो तहसीलदारों से सम्पर्क रखकर होमगार्डों को लगाने में सहायता पहुंचायेगें।

2–पुलिस

पुलिस का कर्तव्य शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के साथ–साथ बाढ़ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में तथा यदि कोई गांव खाली कराया जाता है तो वहां के ग्रामीणों की रक्षा करने तथा जहां पर उनके निवास का अस्थायी प्रबन्ध किया जाता है वहां पर भी उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश पहले से ही निर्गत करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पहले से यह भी सुनिश्चित करेगें कि जिन चौकीदारों को तहसील द्वारा बाढ़ चौकियों पर लगाया जाये। वे अपना कार्य पूर्ण दायित्व से सम्पादित करें।

3–विकास विभाग

संबंधित खण्ड विकास अधिकारी बाढ़ सहायता कार्य के लिये परगनाधिकारी से सम्पर्क रखेगें वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवायें, चेतावनी प्रसारण एवं बाढ़ सहायता कार्य हेतु उपलब्ध करायेंगें। जिला विकास अधिकारी सुनिश्चित करें कि खण्ड विकास अधिकारी तथा उनके अधीनस्त कर्मचारी बाढ़ सुरक्षा कार्य में परगनाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों का सक्रिय रूप से पालन करें। बाढ़ के दिनों में परगनाधिकारी के नियंत्रण में तहसील एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा थानाध्यक्ष एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगें और बाढ़ के कार्य संचालन में जुट जायेगें। यदि उक्त सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे से कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेगें तो बाढ़ ग्रस्त जनता को निकालने में तथा सहायता पहुंचाने का कार्य सरल हो जायेगा ।

4–सिंचाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग–

नालों की सफाई व पुल, पुलियों की मरम्मत–इस जनपद में नालों से संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/अधिशाषी अधिकारी तुरन्त निरीक्षण कर लें तथा जिन नालों की सफाई की आवश्यकता हो वर्षा आने से पूर्व सफाई कराके निरीक्षण भी कर लें ।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की समस्त सड़कों पर बने पुल एवं पुलियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें किसी पुलिया की मरम्मत तो नहीं होनी है। अगर किसी प्रकार की मरम्मत आवश्यक है तो वर्षा से पूर्व पूर्ण करा ली जाये जिससे न तो यातायात में कोई रूकावट होवे और न जल प्लावन या जनहानि की आशंका रहे ।

5–चिकित्सा व पशुपालन विभाग–

बाढ़ के दौरान चिकित्साविभाग द्वारा सचल दल बनाकर भ्रमण करेगा तथा बाढ़ चौकियों पर पर्याप्त दवायें उपलब्ध रखेगें। प्रत्येक सेन्टर अधिकारियों के साथ एक चिकित्सक भी कार्यरत रहेगें। बाढ़ समाप्त हो जाने के उपरान्त इस बात की संभावना बनी रहती है कि जगह–जगह पानी एवं गंदगी जमाव से बीमारी फैल जाये। लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्र के बाबत तत्काल रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी, सहायक पशु चिकित्साधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर सूचित करेगें। बाढ़ आने की सूचना तहसीलदार द्वारा प्राथमिक चिकित्साधिकारी, सहायक पशु चिकित्साधिकारी को पहले ही दे दी जावेगी ताकि स्थिति से निपटने तथा नियंत्रण मे रखने हेतु प्राथमिक चिकित्साधिकारी सारी व्यवस्था पहले से ही कर लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर बीमारी के रोक–थाम के प्रयास किये जा सकें ।

6–पी0ए0सी0 की सहायता

कभी–कभी अतिवृष्टि तथा बाढ़ आ जाने पर स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि जिला प्रशासन के लिये केबल अपने ही सीमित संशाधनों से सम्हालना सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जन जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये पी0ए0सी0 की सहायता लेनी पड़ सकती है। अतः जैसे ही बाढ़ की स्थिति नियंत्रण के बाहर होने की आशंका उत्पन्न हो तो तुरन्त पी0ए0सी0 की सहायता हेतु मांग की जाये। बाढ़ वचाव कार्य में विशेष रूप से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित पी0ए0सी0 की कंपनिया व उनसे ली जाने वाली सहायता के संबंध में विस्तृत निर्देश शासनादेश संख्या 21/1/83(51)–रा0–11 दिनांक 30–04–1983 प्रस्तर–8 में दिये गये हैं। इस शासनादेश का भली–भॉति अध्ययन कर लिया जाना आवश्यक है।

(62)
बाढ़ोपरान्त तहसीलदार का दायित्व

किसी क्षेत्र में जिस समय बाढ़ समाप्त हो जाती है और हरा संकेत जारी कर दिया जाता है तथा पुनः बाढ़ की सम्भावना समाप्त हो जाती है तो उस समय तहसील स्टॉफ पर गम्भीर दायित्व आ जाते हैं ।

1–परिवारों की पुनः मूल स्थान की वापिसी–

जिस समय बाढ़ की स्थिति समाप्त हो जाती है उस समय सर्व प्रथम यह कार्य आवश्यक है कि परिवार अपने स्थानों को वापस हो जायें ताकि वह अपने–अपने घरों की मरम्मत कर लें जहां कहीं नदी के कटाव से कुछ घर ध्वस्त हो गये हों वहां के परिवारों को अन्य सुविधाजनक स्थान पर ग्राम सभा की ऊंची भूमि जो कि आवादी के निकट हो अथवा पास के किसी अन्य ग्राम में बसाने की कार्यवाही की जावे।

2–बेसहारा परिवारों की सहायता–

उक्त कार्यवाही के साथ–साथ आवश्यकता है कि विस्तृत जानकारी के पश्चात ऐसे परिवारों को जिनकी आय के साधन बाढ़ के कारण समाप्त हो गये हों उन्हें आय के साधन जुटाने के समय तक गुजर करने हेतु नगद सहायता दी जाये। लेखपाल ग्राम बार सूची तहसीलदार को राजस्व निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करें जिसपर अविलम्ब कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

3–नुकसान का तकमीना एवं गिरे हुये मकानों की क्षति का विवरण एवं निर्माण अनुदान व अहेतुक सहायता

उपुर्यक्त कार्यवाही के पश्चात बाढ़ से हुई क्षति तथा गिरे हुये मकानों की जांच नायब तहसीलदार करेगें। यदि आवश्यकता समझी जाये तो गृह अनुदान, अहैतुक सहायता अथवा अन्य सहायता हेतु संस्तुति करेगें। फसलों के नुकसान का तकमीना खेतों में पानी भरा होने के कारण न लगाया जा सके तो इस कार्य को पानी के उपरान्त किया जाये।

4–मकान बनाने हेतु सहायता–

यदि बाढ़ से प्रभावित किसी ग्राम में मकान पूर्णतया ध्वस्त हो जाते हैं और प्रभावित व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर किसी भी प्रकार जाने को तैयार नहीं हैं तो उपलब्धता के अनुसार उन्हें दिये जाने बाले गृह निर्माण का अंश सिरकी, पाल अथवा टीन की चादरों के रूप में दिया जा सकता है। सीमित मात्रा में टीन की चादरें जिला पूर्ति अधिकारी के पास उपलब्ध है। शिरकी पाल के लिये कंजरों से सम्पर्क करके तहसीलदार द्वारा उनकी उपलब्धि सुनिश्चित की जायेगी।

बाढ़ पीड़ितों को अन्य भवन निर्माण सामग्री जैसे नियंत्रित दर ईंट, सीमेन्ट की आवश्यकता हो सकती है। इसका प्रबन्ध जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से कराया जाये। मकान बनाने के लिये बांस बल्ली, फूंस का प्रबन्ध प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग से सम्पर्क करके किया जा सकता है। प्रभागीय निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि बिना किसी हानि–लाभ के आधार पर इसको उपलब्ध करायें। यदि इसकी व्यवस्था न हो सके तो तहसीलदार जिला बाढ़ अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके जो इसकी व्यवस्था बाहर से करायेंगें।

———————————

सामान्य

बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी स्थानीय निकायों, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना होगा इसके अतिरिक्त खादान्न विक्रेता संघ, कपड़ा संघ, लायन्स क्लब, रेड क्रास सोसाइटी जैसी संस्थायें बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इन संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया जाये तथा उनके द्वारा जो भी सहायता उपलबध कराई जावे उसे प्रभावित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाये। इन संस्थाओं की आवागमन की सुविधा नाव आदि भी तहसीलदार उपलब्ध करायेंगें। उप जिलाधिकारियों को ऐसी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना होगा।

दैनिक समाचार पत्रों द्वारा बाढ़ चेतावनी तथा बाढ़ से बचने के उपायों पर ग्रामीण जनता को विस्तृत जानकारी कराई जा सकती है। अधिशासी अभियन्ता एवं बाढ़ समन्वय अधिकारी इटावा को चाहिये कि सहायक सूचना निदेशक, इटावा के सहयोग से समय–समय पर बाढ़ संबंधी ''प्रेस–नोट'' निकलवाते रहें व जनसामान्य को बाढ़ की नवीन स्थिति से सूचित कराते रहे। यदि बाढ़ के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सूचना संज्ञान में आये तो उससे जिला प्रशासन को भी तत्काल अवगत कराया जाय।

इस बाढ़ योजना में जो निर्देश दिये गये हैं वे किसी भी दशा में सम्पूर्ण नहीं कहे जा सकते। बाढ़ के संबंध में सभी कार्य तुरन्त किये जाने चाहिये और सभी सम्भव संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिये। इस जिले में जैसा कि कहा जा चुका है कि जल प्लावन की समस्या बहुत गम्भीर है। नहर विभाग के अधिकारियों को चाहिए वह अपने स्वविवेक एवं उस क्षेत्र के सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर तात्कालिक रूप से जल प्लावित क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये ताकि जलप्लावित क्षेत्रों के निवासियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

:––––––––––––:

DAILY REPORT ON RAINFALL & FLOOD

Thasil Jaswant nagr Distte-Etawah

A	Rainfall position (indicat place and rainfall in cm)	during last 24 hours	cumulative rainfall since 1st june, 2008
1	2	3	4
1			
B	**Rivers in flood**		
1	Name of rivers flowing at: (indicat water level of each river)		
(1)	Unprecedented flood level		
(!!)	Hidhest flood level		
(!!!)	Moderate flood level		
(!v)	No, of breaches occurred on river banks (specify details with location-wise		
C	**Areas affected by flood**		
1	Number and names of affected districts		
2	Numer of affected talukas,		
3	Numer of affected villages		
D	**Extent of damage**		
SL	**Details of damage/loss**	**during last 24 hours**	**since 1st june, 2008 (cumulative)**
1	Population affected		
2	Numder of human lives lost district wise, (specify the cause death)		
3	Numder of cattle/livestock lost/prished		
4	Cropped area affected (in lakh ha)		
5	Estimated value of damaged crop (Rs in lakh)		
6	Numder of houses damaged		
(1)	fully		
(2)	partially		
7	Estimated value of damaged to houses (Rs in lakh)		
(1)	Fully damaged		
(2)	Partially damaged		
8	Estimated value of damaged to public properties (Rs in lakh)		
9	Estimated value of total damage (5+7+8)		
10	Any other releveant information		

E	**Impact of infrastructure (sector wise)**		
1	Empact of flood on infrastructure and essential services (sectoe wise I,e, power supply , water supply, road transport, health sector and tleecommunication etc.)		
F	**Resuse and Relife**		
1	Numder of persons evacuated (district wise)		
2	Numder of boats deployed for evacuation (district wise)		
3	Numder of relief camps opened (district wise)		
4	Numder of persion accommodated in the relief camps (district wise)		
5	Details of distrivution of essential commodities (en cluding air dropped food packets)		
6	GR paid, if any specify the items and amount		
7	Step taken to prevent outbreak of epidemic including the deployment of medical teams (district wise) whether outbrek of any epidemic occurred		
8	Whether assistance of from army, air force and navy sought (specify details of no. of column/helicopter/naval divers provided and their place of deployment etc.)		
9	Whether assistance of NDRF battalions sought, if so details of deployment		
10	Numder ofcattle camps opened & details of cattle accommodated there		
11	Specify if any other relief measures undertaken		

Thasildar

सूखा

सूखा प्रबन्ध योजना

सूखे की सम्भावित स्थिति का आभास होते ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा जिला परामर्श दात्री/आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित करायेंगे,जिसमें सम्भावित सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए समस्त सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को अपनी तैयारी करने के लिए सचेत किया जा सके। इसी प्रकार तहसील व विकास खण्ड स्तरीय समितियो की भी बैठक की जायेगी।

1–सूखा से उत्पन्न समस्यायें तथा उसके समाधान के लिए उत्तरदायी विभाग–

(1) पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर /कैनवैस बैग की आपूर्ति, हैण्डपम्प/पाइप लाइन से आपूर्ति तथा पानी के परिवहन की व्यवस्था आदि का उत्तदायित्व।

अधिशासी अभियन्ता,जल निगम।

(2) पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाने,राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखने ,दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत शीघ्र कराने आदि का उत्तरदायित्व।

अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग/नलकूप विभाग।

(3) पशुओं के चारे ,भूसा, तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा का उत्तरदायित्व।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,पशुधन विभाग।

(4) पशुओं के पेयजल व्यवस्था हेतु तालाव व पोखरों को भरवाने का उत्तरदायित्व।

अधिशासी अभियन्ता, नहर विभाग।

(5) वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान कराने का उत्तरदायित्व।

प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,इटावा।

(6) मनुष्यों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का उत्तरदायित्व।

मुख्य चिकित्साधिकारी,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

(7) खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग की आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने का उत्तरदायित्व।

जिला पूर्ति अधिकारी,खाद्य एवं रसद विभाग।

(8) खेती के लिए बीज,खाद कीटनाशक दवाइयों,फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी, कृषि निवेशो आदि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व।

जिला कृषि अधिकारी/कृषि रक्षा अधिकारी।

(9) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा अनुसूचित जाति,जनजाति के व्यक्तियों में पेयजल योजना का कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व।

ग्राम्य विकास तथा समाज कल्यांण विभाग।

(10) विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का उत्तरदायित्व–

अधिशासी अभियन्ता,विद्युत वितरण खण्ड विद्युत विभाग।

(11) समाज विरोधी तत्वों व उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण एवं दमन करने का उत्तरदायित्व–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग।

(12) निराश्रितों एवं असहाय व्यक्तियों को सहायता तथा राहत कार्य के समुचित प्रचार का उत्तरदायित्व –

राजस्व/विकास एवं समाज कल्याण विभाग।

———————

आपदा प्रबन्धन परामर्श समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्नवत् निर्धारित किये गये है–

क्र0	पदनाम अधिकारी	पद
1	2	3
1	जिलाधिकारी ,इटावा	अध्यक्ष
2	जनपद के समस्त माननीय संसद सदस्यगण के प्रतिनिधि	सदस्य
3	जनपद के समस्त माननीय विधायक गण के प्रतिनिधि	सदस्य
4	माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि।	सदस्य
5	मुख्यालय के नगर पालिका परिषद के मा0 अध्यक्ष के प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	सदस्य/सचिव
7	जनपद के तीन क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख जिनका चयन क्षेत्र पंचायत के वर्णानुक्रम में एक वर्ष के लिए किये जायेंगा।	सदस्य
8	विकास/पुलिस/लोक निमार्ण /सिचाई/चिकित्सा/वन/खाद एवं रसद/सूचना एवं जनसम्पर्क/पशुधन/कृषि/जलनिगम/परिवहन/विद्युत एवं समाज कल्याण विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी।	सदस्य
9	जनपद के सम्बद्ध सेना की वाहिनी के सेनानायक या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
10	जनपद के सम्बंधित रेलवे मण्डल के मण्डलीय रेलवे प्रबन्धक या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
11	भारत संचार निगम लि0 के महा प्रबन्धक/टी0डी0एम0।	सदस्य
12	जनपद में स्थित या जनपद से सम्बद्ध पी0ए0सी0 की वाहिनी के सेनानायक।	सदस्य
13	जनपद स्थित दूरदर्शन/आल इण्डिया रेडियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।	सदस्य
14	जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी।	सदस्य
15	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद की दो अग्रणी स्वंय सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि।	सदस्य
16	जनपद के अन्य तीन निकायों के प्रतिनिधि जिनका चयन निकायों के वर्णानुक्रम में एक वर्ष के लिए किया जायेगा।	सदस्य

सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना –

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रातः 10–00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर सूखा नियंन्त्रण कक्ष स्थापित है जिसका टेलीफोन नं0 259697 एवं टोल फ्री नं0 1077 होगा।

(2) सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर सभी तहसील स्तर पर भी सूखा नियन्त्रण कक्ष,तहसील कार्यालय में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो प्रातः 10–00 बजे सांय 5.00 बजे तक कार्यरत होगा।

तहसीलों के टेलीफोन नं0 निम्नवत् है–

(1)	तहसील इटावा	05688–252782
(2)	तहसील भरथना/चकरनगर	05680–225240
(3)	तहसील सैफई	05688–276034
(4)	तहसील जसवन्तनगर	05688–274132
(5)	तहसील चकरनगर	05680–221193

(3) सूखा नियंत्रण कक्ष में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचनाएं व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायेगा।

कृषि विभाग –

(1) जनपद इटावा का भौगोलिक/प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2,40,270 हैक्टेयर है ,जिसमें से कृषि योग्य भूमि 1,46,447 हैक्टेयर आच्छादित है। खरीफ में वर्षा सामान्यतः 20 जून से 30 सितम्बर के मध्य होती है।

जनपद में वर्ष का आगमन प्रायः 20 जून से होता है। पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय होने तथा अगस्त में दक्षिणी भाग से मानसून के सक्रिय होने के कारण वर्षा होती है। जनपद में वर्षा की निम्न चार स्थितियां सम्मिलित हैंः–

1–मानसूनी वर्षा विलम्ब से प्रारम्भ होने की दशा मेंः–

जनपद में वर्षा सामान्यतया जून के द्वितीय सप्ताह में प्रारम्भ होती है लेकिन दि वर्षा समय से प्रारम्भ नहीं होती है तो खरीफ उत्पादन में सम्भावित क्षति को रोकने अथवा कम करने के लिए निम्नवत् आकस्मिक योजना क्रियान्वित की जायेगी

1.1–यदि वर्षा विलम्ब से अर्थात् 30 जून के बाद प्रारम्भ होती है तो ऐसी स्थिति में धन की अधिक उपजदायी मध्यम अवधि की एन0डी0आर0 359, सरजू–52, पन्त–4, पन्त–10, सीता, आई0आर0–8, जया तथा पी0एन0आर0–381 आदि प्रजातियों की समय से बोई गई नर्सरी की रोपाई देर तक करनी होगी। बिलम्ब तक रोपाई करने पर पौधे से पौधे की दूरी कम करके एक स्थान पर 3–4 पौधे तथा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 65–70 स्थानों पर रोपाई करायी जाय।

1.2–यदि मानसूनी वर्षा 10 जुलाई के बाद अर्थात् और अधिक बिलम्ब से प्रारम्भ होती है तो उस सिंिति में धान की कम अवधि में तैयार होने वाली प्रजाति जैसे साकेत–4, नरेन्द्र–80, नरेन्द्र–97, नरेन्द्र–118, गोबिन्द, मनहर, पन्त–12 तथा आई0आर0–50आदि प्रजातियों की सीधी बुवाई करायी जाय।

1.3–धान वाले क्षेत्रों तथा निचले क्षेत्रों में यदि 15जुलाई के बाद वर्षा होती है और रोपाई के लिए नर्सरी उपलबध नहीं है तो उस दशा में जल्दी पकने वाले धान यथा–साकेत–4, नरेन्द्र–80, नरेन्द्र–97, नरेन्द्र–118, गोविन्द, मनहर, पन्त–12तथा आई0आर0एम0–50आदि प्रजातियों की सीधाी बुवाई करायी जाय।

1.4–यदि मानसूनी वर्षा अति बिलम्ब से प्रारम्भ होती है और जुलाई माह में धान की रोपाई/बुवाइ न होने के कारण खेत खाली रह जाते हैं तो उस दशा मं उपहार क्षेत्रों में कम समय में तैयार होने वाली बाजरे की संकर/संकुल प्रजातियों तथा उर्द ,मूॅग एवं तिल की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि इन फसलों की क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त प्रजातियों के बीजों की समुचित व्यवस्था पहले से ही कर ली जाय तथा खरीफ के अन्य कृषि निवेशों जेसे उर्वरक,कृषित रक्षा रसायन, कृति यंत्रों तााि उनके क्रय के लिए किसानों को और अधिक फसली ऋण की व्यवस्था भी कर ली जाय और इनकी उपलब्धता तथा देय राजकीय सुविधाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय जिससे प्रभावित किसान इनका भरपूर लाभ उठा सके।

2– मानसूनी वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में अवर्षण की दशा में।

कभी–कभी खरीफ में वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में रूक जाती है और यदि अवर्षण की स्थिति 10–15 दिनों से अधिक होती है तो बोई गयी फसलें सूखने लगती हैं। अतः ऐसीस्थिति में फसलों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई की व्यवस्था परम आवश्यक है जिसके लिएः–

1. नहरों के अल्पिका वार रोस्टर तैयार कराते समय क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय।
2. नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुॅचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।
3. नहरों के अवैध कटानों का नियंत्रण किया जाय।
4. समस्त राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाय।
5. खराब होने वाले नलकूपों की त्वरित मरम्मत कराई जाय।
6. डीजल/विद्युत की नियमित एवं निर्विघ्न आपूर्ति कराई जाय।

इस प्रकार से सिंचाई के उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग करते हुए फसलों की क्षति को बचाया जाय। आवश्यक होगा कि इस अवधि में विभिन्न स्तारों पर उपरोक्त संसाधनों के सुचारू रूप से चलते रहने की सामायिक समीक्षा की जायेगी। यदि बीच में अवर्षण स्थिति के कारण कुछ खेतों में फसलों सूख जाती हैं तो बाद में वर्षा होने की दशा में कम समय में तैयार होने वाली संकर बाजरा, उर्द,मूॅग तथा तिल की बुवाई करायी जाय। खड़ी फसलों वाले खेतों में भूमि में नमी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिए फसलों में इण्टर कल्चर एवं मल्चिंग क्रियाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया क्यों कि निराइ–गुड़ाई करके फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखने से भूमि की नमीं फसलों को ही मिलेगी तथा खेतों में नमी का संरक्षण भी होगा।

यदि अवर्षण की स्थिति अगस्त के तीसरे सप्ताह में बनी रहती है तो उस दशा में उर्द,मूॅग एवं तिल की बुवाई की जाय तथा सितम्बर के प्रथम पखवारे में अगैती राई–सरसों तथा तोरिया की बुवाई करायी जाय।

3–मानसूनी वर्षा समय से पहले समाप्त होने की दशा में:–

जनपद में वर्षा सामान्यतः 20 जून से प्रारम्म होकर 30सितम्बर तक होती है और अक्टूबर के प्रथम माह में भी छुट–पुट वर्षा हो जाती है। कभी –कभी यह मानसूनी वर्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह या सितम्बर माह में ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर जनपद में खरीफ की प्रमुख फसल धान को भारी क्षति हो सकती है। इस सम्भावित क्षति को रोकने/कम करने के लिये मध्य में अवर्षण की स्थिति के लिए उल्लिखित बिन्दुओं–2(1)एवं 2(3)के अनुसार कार्यवाही कराई जाय। नहरों तथा नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रक्षा जाय ताकि किसानों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाय कि वे खाली खेतों में जुताई सायंकाल करके अगले दिन प्रातः पटा लगायें जिससे रात में पड़ी ओस नमी के रूप में भूमि में अधिकतम संचय हो सके।

4– मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होने तथा जलमग्नता की स्थिति में:–यदि सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो बहुत से क्षेत्रों में जल भराव एवं जलमग्नता की स्थिति हो सकती है जिसके फलस्वरूप समय से बोई गयी धान की नर्सरी या रोपी गयी धान की फसलें बाढ़ में बह जाती है और यदि जल भराव की स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो बोई गयी अन्य फसलें भी नष्ट हो जाती है। जुलाई माह में अधिक वर्षा हो जाने के कारण समय से बुवाई अथवा बोई गई फसलों नष्ट होने की सम्भावना रहती है।

सामान्यतः जल भराव तथा जलमग्नता वाले क्षेत्र पहले से मालूम रहते हैं। अतः उन क्षेत्रों में धान की उपयुक्त प्रजाति महसूरी, टाइप–36, टाइप–100 एवं क्रास–100, जल लहरी, मधुकर, जलप्रया, जलनिधि आदि को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य स्तर से इन प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था कराई जायेगी। अधिक वर्षा से जल भराव के कारण यदि फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा उनकी दोबारा बुवाई/रोपाई में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ऐसी स्थिति में फसलों की उन प्रजातियों को ही बोया जाय जो जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। यदि अगस्त के महीने में अत्यधिक वर्षा के कारण जलमग्नता की स्थिति आती है, तो बाढ़ कम होने के तुरन्त बाद फसलों में यूरिया की टाप ड्रेसिंग का अभियान चलाया जायेगा क्योंकि इससे काफी सीमा तक फसलों की क्षति कम हो सकती है। यदि बाढ़ की स्थिति सितम्बर माह के प्रारम्भ में आती हो उस दशा में तोरिया, उर्द, मूँग, या सूरजमुखी की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।

स्थानीय सूखे की स्थिति के अनुसार शस्य कियाओं को अपनाने हेतु कृषकों को सामयिक संस्तुतियां दिया जानाः–

वर्षा की स्थिति जैसे कम या अधिक बीच–बीचमें गैप होने, एकाएक अधिक वर्षा होना या एकाएक सूखे की स्थिति बनने इत्यादि स्थितियों की निरन्तर समीक्षा करके कृषकों को शस्य कियाओं को अपनाने हेतु सामयिक संस्तुतियां करना एवं युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार करना सबसे महतवपूर्ण कार्य हैं। प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार हैंः–

1– फसलों में बिरलीकरण करके पौधे की संख्या कम कर दी जाय ताकि पत्तियां से उड़ने वाली नमी का ह्रास कम हो।

2– अवर्षण की सिीति में फसलों के खर'पतवार निकालने हेतु निराई–गुड़ाई की जाय ताकि प्राकृतिक महत्व की स्थिति बन सके और भूमि की सतह से कम पानी उड़े। कम वर्षा होने पर यह प्रकिया मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द , मूॅग एवं मूॅगफली के लिये लाभ प्रद एवं महत्वपूर्ण होती है। मानसून बीच में रूक जाने एवं उसके बाद पुनः वर्षा होने की स्थिति में धान, मक्का,ज्वार एवं बाजरा की फसलों में प्रति हैक्टेयर 45–50 किलोग्राम यूरिया की टाप ड्रेसिंग करना लाभप्रद होती है। ढालू क्षेत्रों में ढाल के विपरीत जुताई एवं बुवाई करने से पानी क्षेत में रूकता है ओर नमी का संचय होता है। इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जाय।

3– धान की अधिक उपजदायी मध्यम एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की पौध तीस दिन एवं दीर्घ कालीन प्रजातियों की पौध 35 दिनों की हो जाने के पश्चात् रोपाइ करने से लिर्स/कल्ले कम निकलते हैं। ऐसीस्थिति में एक स्थान पर 3–4पौधे रोपने एवं एक वर्ष मीटर में औसतन 65–70 हित रखने की संस्तुति की जाय। यदि धान की पौध अधिक बढ़ जाती है तो ऊपर से एक चौथाई काटकर रोपाई की जाय।

4– उसरीले क्षेत्रों में धान की पौध 30–35 दिन की रक्षी जाये और प्रति वर्गमीटर 65–70 स्थानों पर 4 से 6 पौधे लगाने की संस्तुति की जाय।

5– जिन क्षेत्रों में गत वर्ष धान में षैरा रोगा की शिकायत रही हो या भूमि उसरीली हो तो 25 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से जिंग सल्फेट का प्रयोग किया जाय।

6. आकस्मिक कार्य योजना हेतु बीजों की व्यवस्थाः–

आवश्यक बीजों की प्रजातिवार मांग कृषि निदेशालय के बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग को तत्काल आवश्यकतानुसार प्रेषित की जायेगी।

सिंचाई साधन –

पशुओं एवं पक्षियों आदि के पेयजल हेतु भोगनीपुर शाखा रोस्टर के अनुसार चलाना प्रस्तावित है। इस अवधि में नहरों के कमाण्ड में पड़ने वाले तालावों /पोखरों को भरवाना भी प्रस्तावित है जनपद इटावा में सभी प्रखण्डों से व नलकूप खण्ड से कुल 453 तालावों को भरवाने का लक्ष्य है जिसमें से 218 नलकूप खण्ड से एवं 235 नहरों से भरा जाना प्रस्तावित है। जिसे नहरों की संचालन अवधि में भरवाने हेतु प्रयास किये जायेगें। नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाया जायेगा।

नहरों की अवैध कटान को रोकने हेतु विभागीय स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है एवं संवेदनशील स्थानों जहॉ कटिंग अराजक तत्वों द्वारा की जाती है,उसकी सूची तैयार कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानों को सहयोग हेतु प्रेषित की जा रही है।

वर्तमान में नलकूप खण्ड में जनपद के समस्त ब्लाकों में कुल 394 चलित श्रेणी के हैं। नलकूप खण्ड के नलकूपों में सेक्शन्स में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्शन के नलकूपों की देखभाल (रखरखाव) के लिऐ एक सेक्शन मिस्त्री एवं एक सींच पर्यवेक्षक तैनात है। सेक्शन मिस्त्री एवं सींच पर्यवेक्षक के कार्यों पर निगरानी रखने के लिऐ अवर अभियन्ता एवं जिलेदार नियुक्त हैं। प्रत्येक नलकूप के संचालन एवं रखरखाव के लिऐ नलकूप चालक तैनात है।

किसी भी राजकीय नलकूप के खराब होने पर नलकूप चालक संबन्धित सेक्शन एवं अवर अभियन्ता को सूचित करेंगे। सम्बन्धित सेक्शन मिस्त्री उस नलकूप को तत्काल चैक करेगा और नलकूप की खराबी को सही करेगा। यदि नलकूप में कोई बड़ी खराबी है तो वह उसी दिन अवर अभियन्ता को सूचित करेगा। अवर अभियन्ता खराब नलकूप को दूसरे दिन खुलवाकर मोटर/पम्प मरम्मत हेतु केन्द्रीय कार्यशाला भेजेंगे तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सहायक को प्रेषित करें।

केन्द्रिय कार्यशाला में मोटर/पम्प की मरम्मत/वाइन्डिंग तथा कार्यशाला में उपलब्ध स्टाक की मोटर/पम्प से सम्बन्धित कूप को 3 दिन के अन्दर सिंचाईरत कर दिया जाऐगा।

यदि राजकीय नलकूप विद्युत खराबी (टी0एफ0 जल जाने से) विद्युत केबिल जल जाने या विद्युत लाइन आदि टूट जाने के कारण बन्द होता है तो उसकी सूचना नलकूप चालक द्वारा तत्काल विद्युत उपकेन्द्र पर दी जायेगी। विद्युत उपकेन्द्र पर तैनात लाइन मैन/अवर अभियन्ता द्वारा खराबी को अतिशीघ्र सही किया जाऐगा।

यदि नलकूप के कमाण्ड एरिया के तालाबों/पोखरों को पानी से भराया जाना आवश्यक है ताकि पशुओं को पीने के लिऐ पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिऐ नलकूप चालकों को निर्देश दे दिये हैं।

नलकूप विभाग की ओर से प्रस्तुत कार्य योजना में नगरीय क्षेत्र में 200 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2630 हैण्ड पम्प रीबोर कराने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जिसके लिए कुल रू0 1188.60 लाख की आवश्यकता दर्शायी गयी है।

पशुपालन विभाग–

जनपद में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर पशुओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु निम्न योजना प्रस्तावित है। सूखे के कारण पशुओं को किसी प्रकार की हानि न हो इसके लिये सूखे की स्थितियों में चौपालों एवं पशुओं को गोष्टियों के माध्यम से पशुपालनकों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उचित एवं उपयोगी जानकारियॉ पशुपालकों को उपलब्ध कराई जायेगी। सूखा होने पर निम्न समस्यायें उत्पन्न होती हैः–

पशुओं के चारे का अभाव –

विगत बर्षों के अनुभव के आधार पर इटावा जनपद के विशेष रूप से सूखा का प्रभाव विकास खण्ड चकरनगर व बढपुरा में पड़ता है। क्योंकि इन दोनों विकास खण्डों की भौगोलिक स्थिति यमुना और चम्बल नदियों के मध्य होने के कारण अधिकांश क्षेत्र बेहड़ी भूमि में है। इस क्षेत्र में पशुओं के लिए इन दोनों नदियों के जंगल की उगी घास पर अधिकांशतः निर्भर होना पड़ता है। वारिस न होने की दशा में जंगल की घास सूख जाती है और इस क्षेत्र के ग्रामों में चारे का अभाव हो जाता है। ऐसी दशा में इन दोनों विकास खण्डों के पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था आवश्यकतानुसार भूसा का क्रय बिना लाभ हानि के पशुपालकों को सूखा राहत केन्द्रों से उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त इस समस्या के सामाधान हेतु आवश्यक है कि नहरों के किनारे के क्षेत्रों में तथा निजी ट्यूबवैलों के सुविधाजनक क्षेत्रों में जहॉ पानी की अधिक सुविधा हो अधिक से अधिक मात्रा में हरी फसल के अन्तर्गत चारा उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाऐगा। गत् वर्षों में इसका काफी लाभ हुआ है।

पीने के लिए पानी का अभाव–

पशुओं को पीने के पानी की कमी से होने वाली क्षति से निपटने के लिए जिन ग्रामों में पोखर तालाव है उनमें नहरो, टयूववैलो जहॉ जैसी सुविधा हो उन्हे खण्ड विकास अधिकारियों, नहर विभाग के, नलकूप विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

हरे चारे की विषाक्तता –

सूखा के समय ज्वार बाजरा एम0पी0 चरी की पत्तियॉ सूख जाती है एवं उनमें हाइड्रोसाइनिक एडिनामक एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है जिसके खाने से पशु अपाहिज हो जाता है एवं 80प्रतिशत तक पशु असमय मौत के शिकार हो जाते है। इसके बचाव के लिए गोष्ठियों के माध्यम से पशुपालकों को विशेष जानकारी दी जायेगी। बड़े पशु को 55–60 ग्राम सोडियम थयोसल्फेट नामक औषधि 750 ग्राम पानी में तथा छोटे पशु जैसे भेड़ , बकरी में औषधि की खुराक 15–20 ग्राम पानी में घोलकर तुरन्त पशुओं को पिलाई जायेगी। यह दवा पशु चिकित्सालयों पर कैम्प लगाकर पशुपालकों को उपलब्ध कराई जायेगी।

यदि सूखी चरी चारे के अभाव में खिलाना आवश्यक है तो उसे नमक के पानी में 05 प्रतिशत घोल में भिगोकर धोकर खिलाऐं। ऐसा करने पर चारे की विषाक्ता खत्म हो जाती है और पशुओं को हानि नहीं होती।

सूखा होने पर चारे की पत्तियां सुखाकर उसमें जहरीला पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसको खाने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है तथा अन्य विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपरोक्त के बचाव हेतु विशेष चिकित्सा शिवरों का आयोजन करके पशु पालकों को जागृत किया जाऐगा। विशेष टीकाकरण अभियान बनाकर पशुओं में सुरक्षात्मक टीकाकरण किया जाऐगा।

बैक्सीन की व्यवस्थाः–

जनपद में बैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यक्ता पड़ने पर पशुपालन विभाग निदेशालय बादशाह बाग, लखनऊ से शीघ्र ही प्राप्त कर ली जाऐगी।

दवाइयों की व्यवस्थाः–

सूखे की स्थिति से निपटने के लिऐ प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर प्रति माह एक कैम्प आयोजित किया जाऐगा जिसमें निम्न लिखित दवाईयों की आवश्यकता होगी।

1. सोडियम थायो सल्फेट
2. एण्टीवायोटिक एवं जीवन रक्षक औषधियां
3. प्लूड एवं इलैक्ट्रोलाइट्स
4. बैक्सीन
5. एन्टीपायरेटिक जो विभागीय मानकों के अनुसार क्रय की जाऐगी।
6. भूसा

सूखे की स्थिति में दवाईयों के क्रय करने के लिऐ धनराशि की आवश्यक्ता होगी जो सूखा राहत कोष से धनराशि प्राप्त होते ही दवाइयों क्रय कर प्रत्येक पशु चिकित्साल्य को उपलब्ध करा दी जाऐगी। इसके अतिरिक्त जनपद के कुल 09 पशु सेवा केन्द्रों (उदी, पछायगांव, सहसों, हनुमन्तपुरा, बलरई, भदेही काशीपुर, चितभवन, जखौली एवं विजपुरी खेड़ा) पर पशुपालन चौकियां बनायी जायेगी।

सूखा के कारण पशुओं में व्याप्त समस्याओं के लिए तहसीलवार पशुपालन विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त किया गया हैः–

1–तहसील इटावा।

(1) डा0 आर0बी0लाल उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी इटावा मो0 9412360075

(2) डा0 आर0के0गुप्ता उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदर, इटावा मो0 9452032832

(3) डा0 शिव कुमार शर्मा, पशु चिकित्साधिकारी, आर0पी0योजना, मो0 8937008989

(4) डा0 आरती पाठक, पशु चिकित्साधिकारी, गंगापुरा मो0 9026067879

(5) श्री इन्द्रेश सिंह चौहान, पशुधन प्रसार अधिकारी मो0 9758530052

(6) श्री विजयवीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2–तहसील भरथना

1– डा0 विपिन कुमार अग्रवाल उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भरथना मो0 9412442243

(1)श्री युवराज सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी मो0 9412572890

(2) श्री लज्जाराम वैट0फार्मा0 मो0 9412365614

(3) श्री करूणाशंकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2—डा0 सुनील कुमार गुप्ता पशु चिकित्साधिकारी बकेवर मो0 9415729443

(1) श्री प्रदीप कुमार वैट0 फार्मा0 मो0 9759990941

(2) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्म0

3— डा0 प्रमोद कुमार पशु चिकित्साधिकारी इकदिल मो0 8765446378

(1)श्री कंचन सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी मो09219748262

(2) श्री राजेश कुमार पशुधन प्रसार अधिकारी मो0 9412452900

(3) श्री प्रमोद कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्म0

<u>तहसील जसवन्तनगर</u>

1—डा0 सन्तोष कुमार गिरी उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जसवन्तनगर मो0 9412161967

(1) श्री प्रदीप कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्म0 मो09219748262

2—डा0 सरनाम सिंह पशु चिकित्साधिकारी धनुआखेड़ा मो0 9412503460

(1) श्री जितेन्द्र कुमार वैट0फार्मा0 मो0 9412320888

(2) श्री महावीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्म0

3—डा0शिवप्रसाद पशु चिकित्साधिकारी नगला रामसुन्दर मो0 9450865009

(1) श्री विमल कुमार पशु प्रसार अधिकारी मो09690001092

(2) श्री शिवराज सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्म0

<u>तहसील सैफई</u>

1—डा0 विश्वजीत सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सैफई मो0 9837189220

(1) श्री अनिल कुमार त्रिपाठी वैट0 फार्मा0 मो0 9410489152
(2) श्री शिव स्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2—डा0 अमित कुमार सचान पशु चिकित्साधिकारी वैदपुरा मो08057494973

(1) श्री राम औतार धनगर पशु प्रसार अधिकारी मो0 9837252532

3—डा0 योगेन्द्र सिंह पशु चिकित्साधिकारी हेंवरा मो0 9473954884

(1) श्री अखिलेश यादव पशु प्रसार अधिकारी मो0 9411989411
(2) श्री विश्राम सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

4– डा0 एन0के0यादव पशु चिकित्साधिकारी बसरेहर मो0 9536878464

(1) श्री जगजीवनराम पशु प्रसार अधिकारी मो0 9410068804

5–डा0 मंजू दोहरे पशु चिकित्साधिकारी बीना मो0 8960955437

(1)श्री महिपाल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

तहसील चकरनगर

1– डा0 मो0 जावेद इकबाल उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जसवन्तनगर मो0 9412161967

(1) श्री अजय प्रताप सिंह वैट0 फार्मा09927362334
(2) श्री बृजेश कुमार शाक्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
(3) श्रीमती लता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

2– डा0 अनुपम कुमार चौधरी पशु चिकित्साधिकारी पिरौलीगढिया मो0 9411992425

(1) श्री राजेन्द्र सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

3–डा0 राहुल कुमार पशु चिकित्साधिकारी हनुमन्तपुर मो0 9451870133

(1) श्री धनंजय कुमार तिवारी वैट0 फार्मा0 मो0 9410801661
(2) श्री वीरेन्द्र कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

तहसील– ताखा

1– डा0 प्रेम प्रकाश वर्मा पशु चिकित्साधिकारी ताखा मो0 7599454672

(1) श्री धनश्याम तिवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मो0 9456215845

2– डा0 नीरज कुमार गुप्ता पशु चिकित्साधिकारी रतहरी मो0 9984232053

(1) श्री सुरेश चन्द्र प्रजापति वैट0 फार्मा0 9457621941
(2) श्री श्याम सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

3–डा0 वैभव मिश्रा पशु चिकित्साधिकारी समथर मो0 9026067879

(1) श्री शिवपाल सिंह वैट0फामा0 मो0 9411869165
(2) श्री सोहन सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

4– डा0एन0पी0 सिंह मेंदीपुरा मो0 9450203782

———————————

जनपद के भूसा आपूर्ति ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	नाम व पता भूसा ठेकेदार	मोबाइल नम्बर
1	श्री श्याम मनोहर दीक्षित पुत्र प्रतिभा रंजन दीक्षित निवासी 411 छिपैटी इटावा।	9411239174
2	श्री रामबाबू पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम सहायल औरैया	–
3	श्री होम सिंह पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम सहायल औरैया	7895945274
4	श्री आशाराम पुत्र रामबहादुर निवासी मुहल्ला शाहग्रान इटावा	–
5	श्री मनीष पुत्र अपरबल सिंह निवासी 178बी ब्लाक आवास विकास इटावा।	
6	श्री रामगोपाल यादव निवासी मुहल्ला नखासा इटावा	–
7	श्री कल्लू शाक्य निवासी शान्ती कालोनी इटावा	–
8	श्री बदन सिंह निवासी रामनगर फाटक इटावा	–
9	श्री राधेश्याम पुत्र श्री गेंदालाल निवासी धनुआं खेड़ा जस0	9759413530
10	श्री राम लखन पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद निवासी बृजराजनगर भरथना	9720372948
11	श्री मुन्नालाल पुत्र श्री रामगोपाल निवासी पुराना भरथना	9045836549
12	श्री नरेश पुत्र छोटे लाल निवासी पुराना भरथना	9634969334
13	श्री श्याम बाबू पुत्र रामचरन निवासी बृजराजनगर भरथना	–

विद्युत विभाग –

नलकूपों/निजी पम्पसेटों के लिऐ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना –

प्रणाली नियंत्रण, उ0 प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा ऊर्जा उपलब्धता का रोस्टर किया जाता है जिसके अनुसार ही ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना –

जनपद इटावा के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिऐ 33 के.वी. के 22 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं, जिनके द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। सभी विद्युत उपकेन्द्रों का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

खराब ट्रान्सफार्मर निर्धारित समय के अन्दर बदलना –

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा के निर्देशानुसार खराब ट्रान्सफार्मर को 72 घंटे में बदल दिया जाता है।

सूखे से निपटने हेतु एक अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों की टीम गठित की गई है।

कम से कम ब्रेक डाउन हेतु उपाय –

1. लाइनो का अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।
2. जर्जर तारों को बदलने का कार्य किया जा रहा है।
3. क्षतिग्रस्त एवं टेड़े पोल बदलने/मरम्मत कार्य किया जा रहा है।
4. ढीले तारों की सेंगिंग भी करायी जानी प्रस्तावित है।
5. बिजली घरों पर स्थापित स्विचगेयर की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।

जिला पूर्ति विभागः–

खाद्यान्न सुरक्षा वर्तमान में ए0पी0एल0 राशन कार्ड पर वितरण हेतु नियमित ए0पी0एल0 गेहूँ का आवंटन प्राप्त हो रहा है। सूखा आपदा की स्थिति में उक्त प्राप्त आवंटन को आपदा से प्रभावित क्षेत्र हेतु आवंटित किया जायेगा।

मिट्टी का तेलः– जनपद में कुल 06 मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता हैं, जिनको 1284 कि0ली0 मासिक आवंटत प्राप्त होता है। आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं को आवंटित करते हुए आपदा प्रभावितों के लिए आरक्षित करके आवश्यकतानुसार वितरण कराया जायेगा।

घरेलू गैस जनपद में आई0ओ0सी0, वी0पी0सी0 तथा एच0पी0सी0 गैस कम्पनियों के कुल 18 गैस वितरक कार्यरत हैं सूखा आपदा की स्थिति में तत्काल गैस एजेन्सियों पर घरेलू गैस सिलेण्डर आरक्षित करा दिये जायेंगे ताकि सूखा प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार गैस उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि गैस उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होने है तो उस स्थिति में गैस कम्पनी के अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल समाधान करा दिया जायेगा।

डीजल/पेट्रोल व्यवस्था– जनपद में कुल 46 पेट्रोल पम्प कार्यरत है। गर्मी की भीषणता (सूखा) से निपटने हेतु सभी डीजल/पेट्रोल पम्पों पर सूखा के समय 2000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल आरक्षित कराये जाने की योजना है। डीजल की उपलब्धता सामान्य है। उल्लेखनीय है कि इस जनपद में 46 पेट्रोल/डीजल पम्प तथा 43पेटी डीजल डीलर कार्यरत है।

दैनिक उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धता–

जनपद इटावा में बी0पी0एल0 योजना के गैंहूं का मासिक आवंटन 1120.755 एम0टी0 चावल 1494.340 एम0टी0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना के गैंहूं का मासिक आवंटन 691.230 एम0टी0 तथा चावल 921.640 एम0टी0 प्रतिमाह है जिसका वितरण राशन कार्डधारकों में कराया जाता है।

जनपद की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित की दुकानों से सूखा की स्थित उत्पन्न होने पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण जिला पूर्ति अधिकारी, इटावा द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित कराया जायेगा।

सूखा के समय स्टॉक में रखे जाने वाली राहत सामग्री–

दैवीय आपदा के समय सूखा नियन्त्रण केन्द्र पर उपसम्भावित विपणन अधिकारी इटावा राहत सामग्री की उपलब्धता एवं आपूर्ति बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त थोक बिक्रेताओं तथा केन्द्र प्रभारियों के यहॉ आटा,भुने हुऐ चने, गुड़, नमक, मोमबत्ती, माचिस आदि की उपलब्धता जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

जनपद में कुल 07 विपणन केन्द्र हैं जिन पर ए0पी0एल0 एवं अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना का खाद्यान्न अवशेष मात्रा में उपलब्ध है, जिसको सूखा आपदा की स्थिति में प्रीावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वितरण कराने हेतु निम्न प्रकार गेहूँ एवं चावल को आरक्षित किया गया हैः–

क्र0 सं0	विपणन केन्द्रों के नाम	ब्लाक का नाम	ए0पी0एल0		अरिक्त बी0पी0एल0	
			गेहूँ (कु0 में)	चावल (कु0में)	गेहूँ (कु0 में)	चावल (कु0में)
1	पक्का तालाब	नगर इटावा/बढ़पुरा	32.33	0.00	0.00	0.00
2	पक्का बाग	बसरेहर	12.11	0.00	0.00	0.00
3	भरथना	भरथना	40.51	0.00	10.61	16.59
4	ऊसराहार	ताखा	01.31	0.00	0.00	0.00
5	महेवा	महेवा	37.47	0.00	09.94	0.70
6	चकरनगर	चकरनगर	01.06	66.68	09.35	0.38
7	जसवन्तनगर	जसवन्तनगर/सैफई	09.15	485.55	0.00	0.00
		योग	**133.94**	**552.23**	**29.90**	**17.67**

उपरोक्त खाद्यान्न को प्रभावित क्षेत्र हेतु निकटस्थ हॉट केन्द्र से नियमानुसार उठान कराकर वांछितों को वितरण करा दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रतिमाह नियमित ए0पी0एल0गेहूँ 8683.65 कुन्तल में से समुचित मात्रा में प्रभावित क्षेत्र हेतु ब्रेकअप परिवर्तित करके तत्समय नियमानुसार वितरण करा दिया जायेगा।

चोर बाजारी रोकने के लिए कार्यवाही–

सूखे की स्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में व्यवधान डाला जाता है। इसके लिए सभी परगनाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी सम्यक रूप से आकस्मिक जॉच सम्पन्न करेंगें। सहकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की भी व्यापक जॉच की जायेगी,ताकि इस पर पूरा नियंत्रण हो सके।

जनपद में आपूर्ति विभाग से जुड़े प्रतिष्ठानों /हाट केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

जनपद इटावा के थोक मिटटी के तेल के बिक्रेताओं की सूची

1	मै0 काजी नूरूल हसन हामिद हुसैन,, इटावा	255157, 9258512470
2	मै0 राज नारायण एण्ड सन्स इटावा	255171, 9412183345
3	मै0 सतीश चन्द्र राठौर एण्ड कम्पनी, इटावा	9758553364
4	मै0 दीप ट्रेडिंग कम्पनी, भरथना इटावा	9235556555
5	मै0 नावेल्टी आयल कम्पनी, इटावा	9897695053
6	मै0 नावेल्टी आयल कम्पनी, भरथना इटावा	05680–253650, 9719637786

पेयजल व्यवस्था –

जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 27545 सरकारी हैण्डपम्प है जिसमें स्थाई रूप से 2630 हैण्डपम्प खराव है। शहरी क्षेत्र (स्थानीय निकाय) में 2216 स्थापित है जिसमें से 200 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं। सरकारी नलकूप पेयजल ग्रामीण क्षेत्र में 65 एवं शहरी(स्थानीय निकाय) में 97 नलकूप स्थापित है। प्रयास यह किया जायेगा कि जो हैण्डपम्प वर्तमान में कार्यरत है वह कार्यरत बने रहें। पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर टैंकर्स से भी पानी पहुॅचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कुओं से पानी की व्यवस्था–

जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में जनपद में कुल 1969 प्रयोज्य कूप हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कुओं में पानी में दबा डालकर विसंक्रमित किया जायेगा, ताकि ग्राम वालों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। राजकीय नलकूपों व निजी नलकूपों से भी आवश्यकता पड़ने पर पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

स्वास्थ्य विभाग–

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए निम्नांकित योजना तैयार की गई है–

सूखा व दैवीय आपदा से बचाव हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है।

प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संक्रामक रोगी नियंत्रण कक्षों की स्थापना की जा चुकी है तथा उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सूचना प्राप्ति पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक जीवन रक्षक दवाऐं, ओ0आर0एस0 पाउडर, क्लोरीन गोली, ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध करा दिया गया है।

गम्भीर रोगियों को जिला चिकित्सालय इटावा मे संदर्भित (रैफर) करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है।

किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग होने पर त्वरित कार्यवाही एवं सूचना देने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारियों/अधीक्षकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कड़े निर्देश दिये गये है। पेय कुओं का नियंत्रण चक्रवार कराया जा रहा है।

संक्रामक रोग/दैवीय आपदा की साप्ताहिक रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त कर समीक्षा की जा जाऐगी।

संक्रामक रोगों के नियंत्रण टीम निम्न प्रकार गठित की गयी हैः–

1–डा0 देवी प्रसाद अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी इटावा मो0 9415483841

2–डा0 ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान चिकित्साधिकारी मो0 9450093696

3–श्री रमेश चन्द्र सक्सेना एच0एस0 मो0 8171267278

4–श्री जितेन्द्र प्रसाद एम0पी0डब्लू0 मो0 9456002390

5–श्री पुरूषोत्तम दुबे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 9419450345

राहत हेतु कल्यांणकारी योजनायें–

(1) निराश्रितों को खाद्यान्न–

निराश्रितों को समाज कल्यांण विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

(2) खेतिहार मजदूरों व अन्य जरूरत मन्द लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय व जरूरत मंद श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायतों में खुली बैठक आहुत कर कार्य योजना तैयार करके सम्बंधित पंचायतों द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत कराकर खेतिहार मजदूरों एवं अन्य जरूरत मंद लोंगो को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) राहत कार्यों का परीक्षण–

राहत कार्यों का निरीक्षण परगनाधिकारी/अपर जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि प्रति सप्ताह कार्यरत योजना का निरीक्षण हो सके। उक्त अधिकारी अपने साथ एक सहायक अभियन्ता भी रखेंगे ताकि इन कार्यों के गुणवत्ता की परख की जा सके।

विविध–

(1) स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग –

इस जनपद में स्वैचिछक संस्थाऐं जैसे लाइंस क्लब,रोटरी क्लब ,भारत विकास परिषद जायन्टस ग्रुप आफ इटावा आदि संस्थायें है। जिन्होने पूर्व में भी दैवी आपदाओं के साथ जन कल्यांण के कार्य किये है। सूखे में उनके द्वारा पानी पहुॅचाना खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

सूखा की स्थिति में कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित तैयारियों की सूचीः–

1. जनपद में खरीफ की मुख्य फसल धान एवं बाजरा है। अतः कृषकों को सूखे की स्थिति में धान एवं बाजरा की कम अवधि में पकने वाली प्रजातियों का चयन करने हेतु विभिन्न गोष्ठियॉ एवं कृषि मेलों में जनपद स्तरीय अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा अवगत कराया जायेगा।
2. पम्पलेट के माध्यम से कृषिकों को सलाह दी जायेगी कि सूखा की सम्भावना को देखते हुए जल के संरक्षण का प्रयास करें जैसे वर्षा शुरू होने पर ग्राम के तालाबों में पानी का भण्डारण एवं खेतों में पूर्व में ही मेड़बन्दी कर ली जाये जिससे पानी बाहर न जा सके, जो खेत में संरक्षित बना रहे तथा भूमि में जीवांश की मात्राा बढ़ाकर भी नमी संरक्षित की जा सकती है।
3. सूखे की स्थिति में धान की खेती केवल सुनिश्चित साधनों यथा व्यक्तिगत नलकूपों राजकीय नलकूपों एवं नहरों के माध्यम से सिंचाई द्वारा ही सम्भव है। सूखे की स्थिति में सिंचाई करते समय विशेष ध्यान यह देना है कि खेतों में पानी अधिक न भरे जिससे भसल गलने व जलने की स्थिति पैदा हो। सिंचाई हल्की एवं उतनी हो जिससे खेतों में नमी बनी रहे।

4. वर्षा के इन्तजार में यदि धान की पौध 30–35 दिन की भी हो जाती है और सुनिश्चित सिंचाई के क्षेत्र में धान की रोपाई करना चाहते हैं तो पौध का ऊपरी पांचवां भाग काटकर एक स्थान पर 3–4 पौध तथा प्रति वर्ग मीटर 60–65 पुंजों की रोपाई की जायेगी।
5. मक्का,ज्वार, सोयाबीन एवं मूँगफली व ऊपरी क्षेत्रों में रोपे गये धान यदि नष्ट हो जाय तो वहां उर्द, मूँग व दीर्घकालीन अरहर एवं तिल की बुवाई की जा सकती है।
6. सूखे में कीट एवं व्याधियों का प्रकोप में खास तौर से दीमक का होता है दीमक से बचाव हेतु खड़ी फसल में क्लोरो पाइरीफास 20 दई0सी0 की 2.5लीटर मात्रा सिंचाई के समय प्रति हैक्टेयर प्रयोग की जायेगी एवं बुवाई से पूर्व 5 मि0ली0 प्रति किलोग्राम बीज शोधन कर बुवाई की जा सकती है।
7. बीज जनित रोगों के बचाव हेतु 03 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम कार्बन डाजिम 50 प्रतिशत प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन किया जाय।
8. ज्वार का हरा चारा यदि सूख रहा है तो उसमें टाइडोसाइविक ऐसिड नाम विष बनने की सम्भावना रहती है जो पशुओं के खाने पर उनकी मौत का कारण बन सकता है। इसलिए सुरक्षा हेतु चारे को 05 प्रतिशत नमक के घोल में धोने के उपरान्त ही पशुओं को खिलायें।
9. सभी फसलों की बुवाई हल के पीछे कूँड़ में अथवा टेक्टर द्वारा सीड कम फर्टिड्रिल से ही करें क्यों कि इस प्रकार बोने से सभी बीज समान एवं उचित गहराई में पहुंच जाते हैं और कम नमीं की दशा में भी अच्छा अंकुरित होता है एवं पौधों द्वारा उर्वरकों का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है जिससे जड़ें विकसित होकर नमी का अधिकाधिक उपभेग करती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आदि के निराकरण हेतु दूरभाष संख्या 254617 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
10. यदि बिलम्ब से वर्ष होने पर डाली गयी पौध नष्ट हो जाती है या पौध की कोई व्यवस्था नहीं है तो धान सुगन्धा–3, धान पी0आर0–113 आदि प्रजातियों के 100 से 120 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से धान को 24 घंटे पानी में भिगोकर छाया में 36 से 48 घंटे तक ढेर के यप में रहने से अंकुरित होने पर पानी भरे खेत में छिटक दें एवं एक सप्ताह बाद खरपतवारनाषी दवा डाली जायेगी। इस तरह बुवाई से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
11. जनपद में विकास खण्ड स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर कृषकों की मॉग के अनुरूप खरीफ के उन्नतिशील बीजों (आधारीय ,प्रमाणित ,शंकर) को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. सूखें की स्थिति से फसल में लगने वाले कीट एवं बीमारियों के निदान हेतु पर्याप्त मात्रा में कृषि रक्षा रसायन उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

13. किसान क्रेडिट कार्ड,फसलीऋण,कृषि बीमा योजना पर कृषकों की मांग को देखते हुए कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराया जायेगा।
14. धान की फसल में विलम्ब की दशा में धान की रोपाई के लिए पौधे से पौधे की दूरी कम करके एक स्थान पर तीन से चार पोधे तथा एक वर्गमीटर क्षेत्रफल में 65 से 70 स्थानों पर रोपाई करने की सलाह कृषकों को दी जायेगी। यदि धान की पौध अधिक बढ गई हो तो ऊपर से एक चौथाई काटकर रोपाई करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जायेगा।
15. सूखे की दशा में मृदा में नमी संरक्षण हेतु आयोजित गोष्ठियों में कृषकों को सलाह दी जायेगी। कृषक शाम को जुताई करने के बाद उसमें तुरन्त पाटा न लगाने के लिए सलाह दी जायेगी। पाटा दूसरे दिन सुवह लगायेंगे जिससे रात को पड़ने वाली ओस को नमी भूमि में अधिकतम संचय हो सके। जिससे नमी संरक्षण को बढाया मिलेगा।
16. ढालू क्षेत्रों में ढाल के विपरीत जुताई एवं बुबाई करने से पानी खेत में रूकता है एवं नमी का संचय होता है।,इसके लिए किसानो को प्रेरित किया जायेगा।
17. खड़ी फसलों वाले खेतों में भूमि में नमी संचय हेतु फसलों में इनटरकल्चर एवं मल्विंग क्रियाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया हे। ऐसा करने से भूमि में नमी संरक्षित होगी।

————————————

परिशिष्ट 'क'

इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर–इटावा

स्थान जहॉ पर अधिकांश पटरी काटी जाती है, की सूची।

क्र0 सं0	नहर का नाम	स्थिति				नाम ग्राम	थाना
		मील	फलिंग	फुट	पटरी		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	रजवाहा बिलन्दा	4	7	–	–	उसरई नगला सेवा,लडडूपुर भालासैया	सैफई
2	माइनर पाली	5	0	0	–	सूजीपुर ,पाली कला पाली खुर्द	भरथना
3	रजवाहा ऊमरसेंडा	6	0	0	–	रमायन	भरथना
4	रा0 वांसक	0	6	0	दायी	मामन,सरावां	ऊसराहार
5	''	32	3	–	दायी	सरावां	भरथना
6	''	27	3	–	दायी	अहिबरनपुर	ऊसराहार
7	सूतियानी	0	5	–	दायी	कैशोपुर	ऊसराहार
8	राज0 गांगसी	25	2	300.	दायी	हटीला	ऊसराहार
9	मा0उमरैन	4	1	500	बायी	हरगनपुर	ऊसराहार

परिशिष्ट 'ख'

जनपद इटावा के पेट्रोल /डीजल पम्प स्वामियों के नाम एवं पते का विवरण

क्र0	फर्म	टेलीफोन नं0	ला0नं0
1	मै0 सरन एण्ड ब्रादर्श पक्का बाग,इटावा	252791	4
2	मै0 विशुन सर्विस स्टेशन पक्का बाग,इटावा	253956	12
3	मै0 काजी नूरल हसन हामिद हुसैन,इटावा	255157	11
4	मै0 चौधरी सर्विस स्टेशन माल गोदाम रोड,इटावा	255363	8
6	मै राज नारायण हाइवे सर्विस जसवन्तनगर	274256	53
7	मै0 सुशील फिलिंग स्टेशन बसरेहर	272264	51
8	मै चम्बल शैली हाइवे सर्विस उदी मोड	273233	13 ए
9	मै काशिम भाई उपलेटावाला भर्थना	225786	1
10	मै नारायण फिलिंग स्टेशन महेवा	220032	77
11	मै इकड्डिल ऑटो सर्विस इकदिल	271214	1
13	मै विघ्नेरूवर फिलिंग स्टेशन कॉटीहार	274514	61
14	मै राज सर्विस स्टेशन कैस्त जसवन्तनगर	253307	63
15	मै गोमती सर्विस स्टेशन सराय मिटठे बकेवर	223469	86
17	मै0 शहीद डी0एस0यादव एण्ड संस बलरई		67
18	मै सिंह फिलिंग स्टेशन उदी मोड इटावा		68
19	मै चर्तुवेदी ब्रादर्श नगला गौर उदी इटावा		70
20	मै0 राजनरायन हाइवे सर्विस एडोक ऊसराहार		71
21	मै0 सपना भदावर रोड लाइन्स उदी इटावा		72
22	मै0 सैफई फिलिंग स्टेशन करहल रोड सैफई		76
23	मै0 लाला राम प्रकाश गुप्ता एण्ड सन्स काल्पी सरकुलर रोड सुन्दरपुर इटावा		75
24	मै0 विद्या फिलिंग सेंन्टर ग्राम भोली तहसील भरथना		90
25	मै0 वरूण सर्विस स्टेशन सुनवरसा–भटपुरा बकेवर इटावा		91

26	मै0 दुर्गा फिलिंग सेन्टर बरालोकपुर इटावा		77
27	श्री वीरेन्द्र सिंह चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री यदुनाथ सिंह चतुर्वेदी सावित्री शीत गृह इटावा		78
28	मै0 प्रदीप फिलिंग स्टेशन सीहरपुर भरथना		92
29	मै0 राज फिलिंग स्टेशन सराय जलाल कानपुर रोड इटावा		93
31	मै0 प्रेम एच0 पी0 सेन्टर सराय दयानत,इटावा		
32	मै0 राधिका किसान सेवा केन्द्र भावलपुर जसवन्तनगर		
33	मै0 अंकुर फिलिंग स्टेशन इटावा		
34	मै0 राजीव फियूल बिरारी इटावा		
35	मै0 कुण्डेश्वर किसान सेवा केन्द्र, कुण्डेश्वर बढ़पुरा		

जनपद इटावा के तहसीलवार पेटी डीजल विक्रेताओं की सूची

क्र0	नाम	पता	ला0नं0
1	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री दुलारे लाल	ग्राम कुअटिया	44
2	श्री राम सजीवन पुत्र श्री जगतनाथ	ग्राम चौपला	49
3	श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह	ग्राम इटगांव	58
4	श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह	बीना	59
5	श्री सत्य नारायन पुत्र श्री गंगाचरन	बीना	60
6	श्री बाबूराम पुत्र श्री दीना नाथ	ग्राम राहिन	62
7	राजपूत बाल्मीकि पुत्र श्री पुतईलाल	पछायगॉव	64

तहसील जसवन्तनगर के पेटी डीजल बिक्रेताओं की सूची

1	श्री भुवनेश सिंह पुत्र श्री तिलक सिंह	बलरई नहर पुल के पास	47
2	श्री श्रीचन्द्र यादव पुत्र श्री नाथूराम	प्रेम नगर हैंवरा मैनपुरी रोड	48

तहसील सैफई के पेटी डीजल बिक्रेताओं की सूची

1	श्री विश्राम सिंह पुत्र श्री लज्जाराम यादव	कुम्हावर	54
2	श्रीमती मंजू देवी मिश्रा पत्नी श्री सहदेव मिश्रा	हरदोई	46
3	श्री अमलेश कुमार पुत्र श्री माहर सिंह	कुम्हावर	65
4	श्री वीरेश कुमार पुत्र श्री मेवाराम	नगला किशोरी	66

तहसील भरथना के पेटी डीजल बिक्रेताओं की सूची

1	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री विद्याराम	ऊसराहार	3
2	श्री प्रेम नारायण सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह	ऊसराहार	54
3	श्री संत कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी	निवाड़ीकलॉ	55
4	श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री सुघर सिंह यादव	लखना	7
5	श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री बाबूराम गुप्ता	लखना	8
6	श्री मुश्ताक पुत्र श्री प्रेम खां	अहेरीपुर	21
7	श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री मुन्नू लाल	बकेवर	33
8	श्रीमती फूलनदेवी पत्नी स्व0 श्री मोतीलाल गुप्ता	मल्हौसी	36 बी
9	श्री जिलेदार पुत्र श्री गुदई लाल	ऊसराहार	38
10	श्री बांके लाल पुत्र श्री राम दुलारे	नगरिया	39
11	श्री निधान सिंह पुत्र श्री लायक सिंह	कठौतिया	40
12	श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री राम प्रसाद	रम्पुरा	42
13	श्री सन्त कुमार दुवे पुत्र श्री राम शंकर दुवे	नहरबाजार लखना	51
14	श्री सुघर सिंह पुत्र श्री राम भरोसे	ताखा अस्पताल चौरहा	57
15	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री जोर सिंह	लखना	58
16	श्री श्रीचन्द्र पुत्र श्री सुगना सिंह	उमरसेड़ा	62
17	श्री शरीफुल हसन पुत्र श्री जैन्उल्ला खॉ	बकेवर	64
18	श्री असगर अली पुत्र श्री शौकत अली	समथर	67
19	श्री अवध विहारी पुत्र श्री मौजी लाल	उमरसेड़ा	68
20	श्री राधेश्याम यादव पुत्र श्री सोवरन सिंह यादव	भरतिया चौराहा	69
21	श्री शिवराम पुत्र श्री दर्शन सिंह	उद्धैतपुरा	70
22	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र रूप लाल	ताखा	73
23	श्री श्याम बाबू पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद	ऊसराहार	77
24	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी	पक्का तालाब ढकपुरा	83 ए
25	श्री सत्य नारायण पुत्र श्री राम दुलारे यादव	उद्धैतपुरा	83
26	श्रीमती साहरा बेगम पत्नी नसरूददीन	समथर	88

27	श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री राम भरोसे यादव	नगला दुली	79
28	श्री अमर सिंह पुत्र श्री गोवर्धन लाल	नगला शाला पीपरीपुरधार	80 ए
29	श्री विजय मिश्रा पुत्र श्री राम नरायण मिश्रा	कर्वा बुजुर्ग	81 ए
30	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगत सिंह	नगरिया यादवान	82 ए

तहसील चकरनगर के पेटी डीजल बिक्रेताओं की सूची

1	श्री अनिरूद्ध सिंह सेंगर पुत्र श्री अंगद सिंह	ग्राम महुआ सूडा	48
2	श्री हरचरन सिंह पुत्र श्री जंग सिंह यादव	चकरनगर	11
3	श्री सतीश चन्द्र जैन पुत्र श्री उग्रसेन जैन	पिपरौली गढ़िया	65
4	श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री दलेल सिंह	हनुमन्तपुरा	71
5	श्री वीर बहादुर सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह	हनुमन्तपुरा चौराहा	72
6	श्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी पुत्र श्री लालसहाय तिवारी	चकरनगर	74
7	श्री रामकृष्ण वर्मा पुत्र श्री शिवनरायण	ईश्वरीपुरा	78

जनपद इटावा के थोक मिटटी के तेल के बिक्रेताओं की सूची

1	मै0 काजी नूरूल हसन हामिद हुसैन,, इटावा	255157
2	मै0 राज नारायण एण्ड सन्स इटावा	255171
3	मै0 सतीश चन्द्र राठौर एण्ड कम्पनी, इटावा	9412818280
4	मै0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, इटावा	94123549614
5	मै0 दीप ट्रेडिंग कम्पनी, भरथना इटावा	9412284300
6	मै0 नावेल्टी आयल कम्पनी, इटावा	9412284300
7	मै0 नावेल्टी आयल कम्पनी, भरथना इटावा	253650

रासायनिक हथियारों / पदार्थो से सम्बन्धित आपदा

रासायनिक हथियारों/पदार्थो से सम्बन्धित आपदा

अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ/जहरीली गैसें, द्रव या ठोस रूप में भ्यानक आपदाएं पैदा कर सकती हैं, जो मनुष्यों, पशुओं, फसलों आदि के लिए खतरनाक हो सकती है। इसमें से अधिकांश जलन, आन्तिरिक अथवा बाह्य चोट अथवा अपंगता पैरा कर सकते हैं। अवा के माध्यम से फलकर ये आंख , फेफडों,चमड़ी आदि पर घतक असर डालते हैं। संक्रमित खद्य पदार्थो के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमि, जल एवं वायु पर ीाी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर करती है। इस प्रकार की आपदाएं दुर्घटनावश भी हो सकती है और आसा उपलब्धता के कारण आतंवादी भी इसका दुरूपयोग कर सकते हैं। इस जनपद में कोई इतिहास आतंकवादी घटना का नहीं है। पेट्रोल टैंकर, एल0पी0जी0 टैंकरआदि का उपयोग ीाी आतंकवादी इस प्रकार की घटनाओं के लिए कर सकते हैं।

सभ्भावित स्थल

1. भीड़–भाड़ वाले इलाके
2. टोलीफोन ऐक्सचेंज ।
3. पी0ए0सी0 28वीं वाहिनी
4. पुलिस लाइन
5. विघुत उपकेन्द्र।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्नटीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः–

1. जांच दल– इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतेरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. विसंक्रमण दल– यह दल संक्रमण/खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणें एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. बचाव दल– यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलों को अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4. चिकित्सादल– दुर्घटना स्थल पर यथा संभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।
5. सुरक्षा अधिकारी– सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा। जैसे जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलैंस, वाहन, मानव श्रम।

क्या करें –क्या न करें।

क्या करें:–

1. प्रभावित क्षेत्र खाली करें तथा आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 05688–250077(टोल फ्री–1077) पर पुलिस एवं अस्पताल को तत्काल सूचित करें।
2. जहरीली गैसों के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पडे तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढाचे के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे, खिड़कियां , पंखे एयर कंडीसनर बन्द कर दें।
3. रेडियो,टी0वी0 की घोषणाएं सुने और जब कहा जाय तब बाहर निकलें।
4. बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करें एवं कपड़े प्लास्टिक के बैंक में अलग रख दें।
5. यदि खुले में हो तो मुंह व नाक गीले कपड़े से बन्द रखें।
6. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थो से दूर रहें।
7. 100 मीटर के दायरे को बंद किया जाय।
8. हवा की दिशा में 500 मीटर तक तत्काल खाली किया जाय।
9. पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाय।
10. Three Colour Detector Paper(TCD)paper और RVB- Residual Vapeur Detection Kit का प्रयोग कर Chemical agent की खोज करना।
11. Chemical agent Moniter AP2C/CAM का प्रयोग कर Nerve /Glister agent का पता करना। यदि Nerve agent है तो विष रोधी दवाओं हेतु Autojet Injectors (AJI) का प्रयोग करना। यदि Glister Agent है तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु PDK – Personal Decontamination Kit का प्रयोग करना।
12. स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy) आधारित CAM का प्रयोग कर संक्रमित क्षेत्र का चिन्हीकरण या फलेम फोटोमेट्री आधारित मानीटर AP2C का प्रयोग ।
13. विसंक्रामक सूट पहन कर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण और विसंक्रमण Solution से करना।
14. प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिए Casulty बैग का प्रयोग करना।
15. व्यक्तिगत सुरक्ष कवच किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निम्नवत् पहनाया या उतारा जाय।

पहनने का क्रम	उतारने का क्रम
1–IPG-Indiviual Protective	1– विसंक्रमण किट से सफाई
2–Shoes	2–Shoes
3–सर्जिकल और व्यूटाइल सबर दस्ताना	3–व्यूटाइल रबर दस्ताना
4– मास्क एवं थैनिस्टर	4–IPG
	5–सर्जिकल दस्ताना
	6–थैनिस्टर व फेस मास्क

क्या न करें:–

1. किसी द्रव्य को न छुएं।
2. स्थल/पीड़ित के पास भीड़ न लगाएं।
3. हवा के अनुकूल दिशा में न जाएं।
4. अफवाह न फैलाएं।
5. बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारें जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिये जाये।
6. किसी भी संक्रमित वस्तु को न छुएं। इन्हें सील प्लास्टिक बैग में ही रखें।
7. जब तक कहा न जाए अपने शरण स्थल से बाहर न निकलें।
8. नंगे पैर न निकलें।
9. अनावश्यक टेलीफोन न करें।

———————

परमाणु आपदा

परमाणु आपदा

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्घटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदाथों के विकरण के कारण इस प्रकार की आपदा आ सकती है। आतंकवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल धनी आबादी वाले इलाकों, फसलों , खाद्य भण्डारों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने काप्रयास कर सकते हैं। दुर्घटनावश यह आपदा न्यूक्लियर प्लाण्ट पर आ सकती है या रेडियोधर्मी पदाथों के परिवहन के दौरान ो सकती है इस क्षेत्र में देश की संस्था Atommic Energy Regulatory Board (AERB) है, जो Atomic Energy Act-1962 के तहत मुख्य नियंत्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण परिवहन, प्लान्ट आदि पर रहता है। मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमले के रूप में हो।

मानव आदिकाल से प्रकृति के श्रोंतो से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है। भारत के केरल के तटीय इलाकों, चीन, ब्राजील, ईरान आदि में इससे अधिक मात्राा में विकिरण लोगों को प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशन का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है :–

1. विद्युत उत्पादन में परमाणु विखंडन (Nuclear fission)का प्रयोग किया जाता है।
2. कोबाल्ट –60 और Cs-137 का इस्तेमाल खनन तथा गैस एवं तेल उद्योग में किया जाता है।
3. कोबाल्ट –60 और Cs-137 का Y-श्रोंत के रूप में मूडिकल उत्पादों, मांस, सब्जियों आदि के परिशोधन हेतु उपयोग होता है।
4. कैंसर के इलाज हेतु Teletherapy में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

परमाणु या रेडियोलाजिकल आपदा उस स्थिति को कहते हैं, जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्यधिक हो।

<u>परमाणु विस्फोट का प्रभाव–</u> विस्फोट का प्रभाव परमाणु अस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊॅचाई, हवा के के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव –प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार से पड़ता है।

1. विस्फोट प्रभाव– अचानक विस्फोट से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और आस पास के हवा में दबाव बन जाता है। गर्म और संधनित (Compressed) वायु फैलती है और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर , पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है। इससे सम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है। तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यन्त गतिशील हवा भी चलती है, जिससे चीजें उड़ने लगती हैं।
2. गर्मी का प्रभाव– अत्यधिक गर्मी, तीब्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है और इससे गर्मी विकिरण होता है, जिससे आग लग जाती है तथा कई कि0मी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के मिलते जाने से आग का तूफान का आ जाता है।
3. विकिरण– शुरू के एक मिनट में प्रारम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता है। इसके बाद गैस या धूल कणों के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते हैं तथा कई सौ कि0मी0 तक के क्षेत्रफल को संक्रमित कर सकते हैं जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन, आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है।

परमाणु दुर्घटना/हमले से निपटने के लिए विशेष मेडिकल तैयारीः–

1. विसंक्रमित कक्ष का निर्माण– चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।
2. धूल रहित वायु– इलाज के लिए एक ऐसा वार्ड होना चाहिए जहॉ शुद्ध वायु मिल सके।
3. रेडियोएक्टिव वस्तुओं के निस्तारण की पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव रहित क्षेत्र में एक टैंक होना चाहिए।
4. सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सकें।
5. सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुॅचेगी। इनके पास आवश्यक उपकरण होंगे।
6. पुलिस एवं फायर सर्विस के कम्रचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होगे।

7. जिले में रेडियोएकक्टिव पदाथों का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टाफ, डाक्टर,एम्बुलेंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ ही दुष्प्रभाव कम करने एवं फलाव रोकने तथा विसंक्रमण के लिए भी टीमें, उपकरण एवं औषधियां होनी चाहिए।
8. इन कार्यो के लिए मुय चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरादयी होंगे। प्रशिक्षण आदि के उपरान्त घटना उपरान्त बाहरी सहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीत करेंगे।
9. विकिरण मानिटर संवेदनशील स्थनों पर लगाए जा सकते हैं जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खेजी उपकरण होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जांच आदि कार्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए जो वर्तमान में सबसे नजदीक लखनऊ में है।

घटना के दौरान व्यवस्थाएं।

इस प्रकार की किसी आपात स्थिति में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटन स्थल को प्रस्थान करे। ये दस्ते शिफटों में काम करेंगे। विभिन्न दस्ते एवं इनकी जिम्मेदारियां इस प्रकार होगीः–

1. **खोजी टीमः–** यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जांच के लिए उत्तरदायी ओगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जांच के लिए नमूने लेकर उसे प्रयोगशाला में भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपने वरिश्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किस क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते हैं और कितना क्षेत्र प्रतिबंधित होना है, का निर्धारण यह टीम करेगी।
2. **विसंक्रमण टीमः–** यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसंक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मेडिकल टीम को देगी। कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों को मेडिकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल पानी को टैंको में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसका निस्तारण पूर्व निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने के पूर्व साघन सर्वे भी यह टीम करेगी।

3. **बचाव एवं विस्थापन टीमः–** यह टीम मुख्य रूप से लोगों के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी। जिन्हें विसंक्रमित स्थान पर ले जाया जाएगा। लोगों को सही सूचनाएं देकर अफववाहों पर विराम लगाएगी तथा पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुॅचाएगी।
4. **मेडिकल टीम–** यह टीम घटना स्थल पर प्रथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर रोगियों को चिन्हित कर उस्पताल भेजवाने हेतु जिम्मेदार होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।
5. **समन्वयी टीमः–** उक्त सभी टीमों के कार्यो में समन्वय रखने , शिफटवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान प्रदान के लिए सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

- घायलों एवं पीड़ितों को हआने के बाद क्षेत्र एवं चल , अचल सामग्री विसंक्रमित की जायेगी । मृतकों के शरीर प्लास्टिक बैग में पूर्व निर्धारित स्थानों या मोर्चरी में ले जाया जायेगा।
- मिट्टी, वायु एवं जल में विकिरण की सम्भावनाओं के दुष्टिगत इन्हें विसंक्रमित किया जाएगा।
- विसंक्रमण के लिए रेडियोएक्टिव सामग्री को मशीनों से इकट्ठा किया जायेगा तथा धूल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जायेगा। क्षेत्र को पानी से धुल कर भी विसंक्रमित किया जायेगा।

क्या करें –क्या न करें।

1. संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों/पदार्थों से दूर रहें।
2. आवास में एक वेसमेंट बनाये या चिन्हित करें जहां पर पूरा परिवार रह सकें।
3. यदि वेसमेंट न हो तो घर के सामाने गढ्ढा खोदकर बंकर बना लें।
4. घर पर नष्ट व खराब न होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों को सुरक्षित रखें।
5. शरणालय में मूत्रालय व शौचालय की भी व्यवस्था रखें।
6. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें।
7. बैट्री संचालित रेडियो रखें।
8. खिड़कियों एवं शीशे के दरवाजों पर काला पेपर चिपका दें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के दौरान

1. 4 से 5 फीट गहरे गढ्ढे की तलहटी में गामा विकरण से बचाव हो सकता है।
2. प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3. यदि खुले में है तो तत्काल जमीन पर लेट जाय तथा तब तक पड़े रहें जब कि मिट्टी कंकड़ लकड़ी के टुकड़े गिरना बन्द न हो जाय।
4. आंख व चेहरे को हाथों से ढंक लें।
5. कानों को भलीभांति अंगुली से बन्द कर लें।
6. यदि वाहन में तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे कर वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण लें।

क्या करें परमाणु हमला या दुर्घटना के बाद

1. चोट एवं जलन तथा क्षति अत्यधित घबड़ाहट पैदा कर सकते हैं। अतः मानसिक दृष्टि से मजबूत एवं शान्त बने रहे क्यों कि यदि दुघटना स्थल के बहुत पास नहीं है और विस्फोट में बच गये हैं तो विकिरण के खतरे की आशंका कम हो जाती है।
2. छोटी–मोटी आगों को फलने से पहले बुझा दें।

———————————

जैविक आपदा प्रबन्धन

जैविक आपदा प्रबन्धन

विभिन्न प्रकार के बैक्टिीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल , पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहुॅचाते हैं। युद्ध में शत्रु और आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। भौगोलिक सीमाओं से परे ये मानव से मानव में, पशुओं से मानव में और फसलों से मानव में फैल सकते है।

एन्थ्रेक्स, छोटी चेंचक,प्लेग, स्वाइन फ्लू,एड्स,कालरा आदि इसके उदाहरण हैं। लगभग 17 देश जैविक हथियों पर कम कर रहें हैं। कई छोट– बड़े आतंकवादी गुटों के पास भी जैविक हथियार होने का अनुभान है। कोई भी व्यक्ति , पशु–पक्षी या पेड़–पौधा प्राकृतिक रूप से ये रोग फला सकते हैं। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तेमान हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यान रखने योग्य बिन्दु निम्न हैंः–

2. रेगिस्तानी, हिमालयी क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमले की आशंका कम है, किन्तु नौ सेना बेस या ऐसा मिलिट्री /नागरिक ठिकानों जो भैगोलिक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।
3. आतंकवादी एन्थ्रेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते हैं।
4. बर्ड फ्लू से पोल्ट्री उघोग को व्यापक क्षति पहुंचती है। साथ ही मनुष्यों को शारीरिक क्षति और परेशानी होती है। इस प्रकार कृषि उत्पाद और पशु पक्षीयों को भी निशाना बनाए जा सकता है।
5. शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या धनत्व इस प्रकार के रोगों की स्थिति में आतंक के साथ ही रोग के वास्तविक फैलाव में अहम है। इसका असर दो प्रकार से हो सकता है। ऐन्थ्रेक्स की श्रृंखला नहीं बनती, जबकि छोटी चेंचक, प्लेग की श्रृंखला बनती है।

निरोधात्मक उपाय

1. हर स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र/प्रयोगशालाओं का केन्द्रीयकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगा।
2. विभिन्न संस्थाओं की केन्द्रीय कृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक स्थिति से निबटने में सक्षम हो।
3. विद्यमान आपातिक संचार तंत्र, स्वास्थ्य तंत्र, प्रेस मीडिया आदि का नेटवर्क बनाना।
4. हर स्तर पर मेडिकल प्लानिंग, चिन्हित अस्पतालों को व्यवस्थित करना, मोबाइल टीमें विकसित करना। एक बस में पर्याप्त दवाएं एवं सुसज्जित स्टाफ आदि की व्यवस्था करना।
5. चिन्हित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त होने पर पानी, भोजन,स्वच्छता–सामग्री आदि की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था।
6. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निबटने के बैकल्पिक उपायों का विकास। वैकल्पिक आवास, परिवहन, चारा/भोजन संग्रह।

बचाव

सर्व प्रथम बचाव की बात आती है। बचाव के विभिन्न पहलू हैः–

1. सम्बेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकन– विद्यमान रोग जो महामारी का रूप ले सकते हैं, या फिर से फैल सकते हैं या जानवरों के रोग जो मनुष्य में हो सकते हैं की जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूण्र स्थान/स्थान पर प्रवेश में सावधान तथा लक्षण प्रकरण होने पर गहन पर्यवेक्षण आवश्यक होगा। जानबूझकर ऐसे रोग फैलाने/युद्ध/आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर प्रतिरोध /पूर्व से ही प्रतयाक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।
2. पर्यावरण सुरक्षा– पानी के श्रोतों पर सतत निगरानी होनी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई,रोग वाहक वायरस– नियंत्रण, शव निस्तारण आदि भी महत्वपूर्ण बिन्दु है। रोग वाहन वायरस/ मक्खी, मच्छर नियंत्रण के लिए उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फैगिंग आदि की जा सकती है।

3. आपदा के बाद महामारी की रोकथाम–किसी आपदा के बाद महामारी की आशंका/सभावना अधिक रहती है।
4. एकीकृत रोग निगरानी व्यवस्था (IDSP-Integrated Disease Surveillance Systems) – वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आंकड़ों का आदान प्रदान एवं उनका विश्लेषण जरूरी होगा।
5. टीकरण– ऐसी दवाएं और उनका उत्पादन करने वाली संस्थाएं चिन्हित कर उनका उत्पादन और टीकाकरण का कार्य करना होगा।
6. स्कूल, कालेज बंद करना, मेला आदि पर रोक, कार्यालय, सिनेमा हाल बंद कर काफी हद तक रोगों के प्रसार को बिलम्बित किया जा सकता है।
7. **क्षमता विकास–** केन्द्र ,राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए।
8. **प्रशिक्षण एवं शिक्षा–** सभी स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक और आतंकी रोग में अंतर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।
9. **जन जागरूकता एवं सहभागिता–** क्या करें/क्या नकरें की शिक्षा,जिसमें सफाई, क्षान पान, आदि तथा सूचनाओं को उचित रूप से पहुॅचाने हेतु निर्दिष्टि करना और सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयं सेवा संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल –ड्रामा, प्रतियोगिता, पेन्टिगआदि द्वारा जागरूकता फैलाई जा सकती है।
10. **चिकित्सा–** मुख्य रूप से असपतालों में चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी। इस कारण अस्पतालों की सूक्ष्म– योजना तैयार होनी चाहिए।

आधारभूत संरचनाएं।

प्रयोग शालाओं का नेटवर्क– वर्तमान प्रयोगशालाओं को सशक्त करना होगा और जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगों की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना भी करना होगी। राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना समय की मांग है।

विभिन्न स्तरों पर निम्न जरूरतों के हिसाब से प्रयोगशालाओं की जरूरत हैः–

1. जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं जो रोग के कारण का पता लगा सकें।
2. मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाएं– रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं संदेह की स्थिति में गाइड करने हेतु।

स्वास्थ्य सम्बन्धी तैयारियां

ये तैयारियां स्टाफ एवं प्रथम सूचना देने वालों के टीकरण को ध्यान में रखते हुए निम्न पर केन्द्रित होगी।

- पूरा अस्पताल खाली कराया जा सकता है।
- न्यूनतम 50 से 60 मरीजों के इलाज की व्यवस्था हो तथा इसके लिए स्थान,उपकरण स्टाफ आदि हो।
- एम्बुलैंस
- संचार साधन
- सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के मध्य नेटवर्किग।
- मोबाइल दस्ते एवं मोबाइल अस्पताल।
- आवश्यक दवाओं/उपकरणों का भडारण।
- त्वरित प्रतिक्रिया
- मरोजों को लाना, पहुंचाना।
- खतरे से सावधान करना।
- खतरे वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी/चिकित्सा।
- मानसिक–सामाजिक देखभाल के प्रबन्ध।
- हर कार्य के परिणाम की monitoring और मूल्यांकन।

————————————

कृषि क्षेत्र में आपदा–प्रबन्धन

कृषि क्षेत्र में आपदा –प्रबन्धन।

कृषि एवं खाद्य उघोगों में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जानबूझकर आतंकी गतिविधियां की जा सकती है। क्षतिकारक कीड़े, वैक्टीरिया, वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो को भी जहरीला बनाया जा सकता है। आतंकी दृष्टि से यह अन्य हमलों से खतरनाक है।

वर्ष 1943 में कोट्टयम (केरल) में केले के पौध में एक रोग श्रीलंका से आया और धीरे–धीरे असम, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में फैल गया। प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय न होने से इसका बहुत खराब असर पड़ा और कुल क्षेत्राों से केले की फसल पूरी तरह से नष्ट होगयी।

भविष्य के लिए एक आपात कालीन केन्द्र बनाना होगा जो इस प्रकार की परिस्थितियों में समन्वय का काम करें। कोई आपात स्थिति न होने की दशा में यह निगरानी और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर कार्य कर सकता है। यह केन्द्र अति सुरक्षित होना चाहिए तथा संवाद की अत्याधुनिक सुविधाएं भी इसमें होनी चाहिए।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा।

1. जांच दल– इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा। यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनों की जांच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।
2. विसंग्रमण दल– यह दल संक्रमण/खतरे पर नियुत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणों एवं क्षेत्र का विसंक्रमण/सफाई भी करेगा।
3. बचाव दल– यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगों की समस्याओं के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोगा करेगा। घायलों को अस्पताल पहॅुचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।
4. चिकित्सा दल– दुर्घटना स्थल पर यथासंभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।
5. सुरक्षा अधिकारी– सुरक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आधिकारी होना चाहिए, जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे। अतिरिक्त संसाधनों की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा। जैसे– जनरेटर, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलैंस, बाहन, मानव श्रम।

क्या करें जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान।

1. शारीरिक स्वछता का ध्यान रखें। नाखून कटै हो तथा खाने के पहले हाथ साबून से धोयें।
2. पानी उबालकर पियें।
3. सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थो का सेवल करें।
4. उपलबध टीकारण का उपयोग करें।
5. नई सब्जियों को डिटरजेंट से धोकर पकाएं।
6. किसी तरह की बीमारी की सूचना आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष अथवा स्वास्थ्य विभाग को दें।
7. संक्रमित खाद्य पदार्थो , वस्तुओं, फसलों इत्यादि को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें।
8. मच्छरदानी का प्रयोग करें।

क्या न करें।

1. किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होने दें।
2. पानी एकत्रित न होने दें।
3. संक्रमित अथवा बासी खाद्य एवं पेय पदार्थो का सेवन न करें।

———————————

बम विस्फोट आदि से निपटने हेतु आपातकालीन योजना।

इण्डेन बाटलिंग प्लान्ट, चितभवन, इटावा।

Strictly Confidential

Indian Oil Corporation Limited

(Marketing Division)

Indane Bottling Plant, Vill- Keshopur Kalan, PO- Chitbhavan, Bharthna Road,
Etawah, Uttar Pradesh

CONTINGENCY PLAN TO DEAL WITH BOMB THREAT

1. INTRODUCTION:

Security is a continuous commitment for the safety of the Plant and its utilities and the people working therein, both from external and internal threats. Of late, militant activities have increased manifold. The vital oil sector is a tempting target for terrorist groups. With the addition of modern weapons and explosives to the terrorist arsenal, the threat has increased manifold. A contingency plan to deal with such threat to our company's assets is given below:

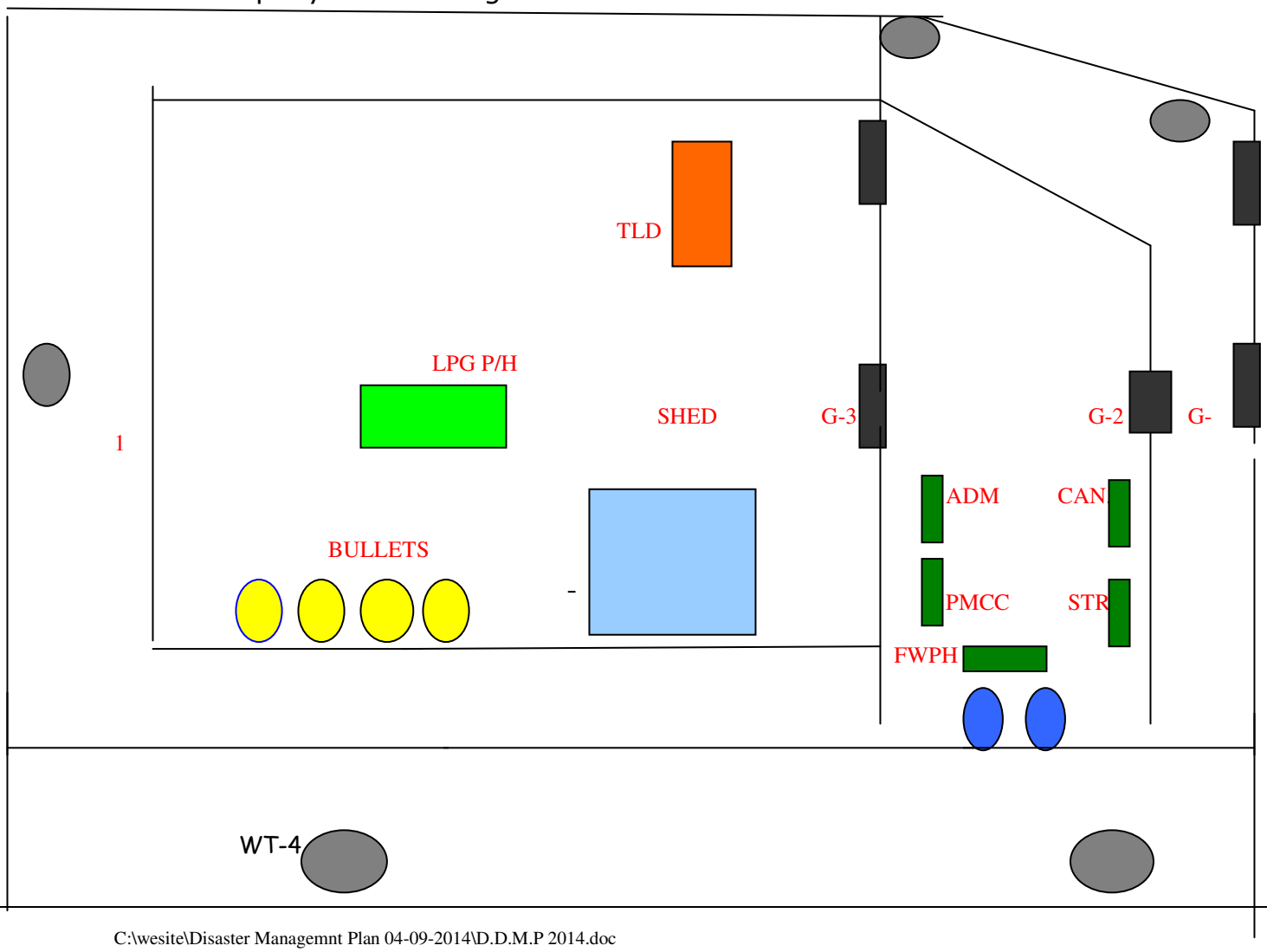

The oil sector is very vital to any economy & therefore can be made easy target by the terrorist/militants organizations. It may also be subject to law & order situations due to violence.

Etawah LPG Bottling Plant was commissioned in the year 2004. It is spread over an area of 76 Acres of land and is surrounded all along its periphery by 10 ft height compound wall over which 2.5 ft barbed wire fencing is provided.

The surroundings of the Bottling Plant are:

North : NH 91(A), Etawah-Bharthna Road
South : Agricultural land
East : Agricultural land
West : Agricultural land

Neighboring Industries / Mutual Aid Agencies are**:**

NIL

Working hours:

General shift : Monday–Saturday :- 0830-1700 hrs, with a lunch break from 1230 to 1300 hrs. every day

Storage: Four Bullets of 150 MT each

Total LPG Storage capacity is 600 MT

2. <u>Objective</u> :

The objective of this plan is to prevent, detect and neutralize any attempt to blast this installation by planting any explosive device in the Plant premises.

3. <u>Preventive Measures</u> :

We have 09 Unarmed security personnel and 06 armed guards (deployed in 3 shifts round the clock). Handheld metal detectors are used for entry to the Administrative block and TT entry gate.

(i) All employees are required to wear and display their identity cards inside the Plant premises.

(ii) Good housekeeping in and around Installation is ensured to reduce the opportunity for planting of any device.

(iii) Only authorized vehicles (cars, scooters/motor-cycles, etc.) are allowed to park at the designated parking place.

(iv) In-house Intelligence Cell keeps a watch over undesirable activities/behavior of employees and contractors' workers.

(v) Perimeter security receives special attention.

(vi) Main gate & emergency gate are monitored by Security.

(vii) Since the staff members are familiar with the layout of the plant, they will be advised to keep close watch on unusual activity or suspicious items. The staff will be encouraged to report matters of security concern.

Training will be provided at regular intervals to all concerned to execute the BTCP successfully. The same will be rehearsed through mock-drills.

The above guidelines are general in nature. The management may issue additional guidelines to meet any eventuality.

4. BOMB THREAT ASSESSMENT COMMITTEE (BTAC):

The following Committee will start functioning in the event of receipt of any bomb threat, either in the form of verbal or written communication:

S. No.	Position.	Name/Designation.	Office Phone	Res. Phone.
1.	Co-ordinator	Sandeep Yadav,Plant Manager	278064	9412721499
2.	Alt. Co-ordinator	Arvind Yadav, Asst. Mgr. (P)	278066	9412771716
3.	Member	Sandeep K. Meshram, H,S&E	278066	8650501333
4.	Member	Umesh B. Garg, DM(F)	278065	9760039414
5.	Member	Jayant, Asst. Mgr(P)	278065	9720103090
6.	Member.	DM, Etawah	252443, 252544	254499
7.	Member.	SSP, Etawah (Police Representative)	254041, 254978	254612
8.	Member	Fire Brigade, Etawah	254122	

Immediately on receipt of Bomb Threat, the above committee members shall assemble in **PM's cabin** in the Administrative Building to gather information and analyze the threat and act accordingly.

The BTAC shall act immediately without waiting for any specific member or all members because evaluation of the threat and taking of appropriate action cannot be delayed.

5. RESPONSIBILITIES:

Co-ordinator:

As soon as the message is received, the same shall be conveyed to the members. Further, the Co-ordinator will -

(a) Inform the Police Control Room, medical officer, fire station, Bomb Squad, concerned State/Regional office and Corporate Security.
(b) Inform all the members of **BTAC** and other **External Agencies.**
(c) Start a log of arrivals of all the members of the **BTAC.**
(d) Collect 'Information Form' from the receiver of the bomb threat call. Analyze the call as per annexure. If receiver is available at the unit, ask him to remain present to assist the **BTAC** in analyzing the call
(e) Request the concerned to be on duty even after dismissal time, to maintain continuity.
(f) Keep adequate number of sand bags ready.
(g) Submit report to State Office /Regional Office.

Alternate Coordinator:

In the absence of the Coordinator, the alternative Coordinator will function as the Coordinator. When the coordinator is available in station, alternate coordinator will assist him.

Members:

They will assemble immediately and help the Coordinator to take appropriate action in respect of the crisis.

Officer Floor

- They will assist the Coordinator in evacuating the area
- Close down the facility to avoid damage
- Help the search team in searching the suspected area(s)
- Assist Security personnel/Police Personnel.
- Ensure minimum movement of personal vehicle / support vehicles near the threatened site.
- Cordon off the area with unit security and assist local police.

Officer Security and Security Supervisor:

- They will assemble at the admin building gate and cordon off the affected area
- Arrange evacuation of premises in consultation with coordinator.
- Restrict movement of vehicles
- Assist search team in searching the area and later on help the explosive experts.
- Collect intelligence through local contacts.

6. SEARCH TEAM:

The following will be the members of **search team:**

Officer-Security, Officer S&D and 2 staff members

The Search Team will mobilize the following equipment:

A. Bomb Detector.
B. Bomb Separation Blanket, Bomb Circle.
C. Hook and line set.
D. Metal Detector.
E. Search Mirror.
F. Emergency Lights.
G. Flash Lights.
H. Stethoscopes.
I. Metallic & Non-Metallic probe.
J. Screwdriver set.
K. Chalks or Lime powder for marking searched areas.

All other implements required will be brought by the BDDS team.

The search team will not make a move to handle the suspicious object or attempt to dispose it. If possible, the object will be covered by bomb blanket or sand bags would be kept around it. The basic idea is to find the suspicious object and isolate the area till experts arrive to take charge.

7. SEARCH RULES:

The search team will follow the following search rules.

(a) Never use more searchers then absolutely necessary.
(b) Use searchers in alternate rooms to minimize injuries.
(c) Never assume that only one device has been planted. Continue the search till the whole area is cleared.
(d) Clearly mark the area, which is searched to avoid duplication.
(e) Trust nothing and assume nothing is safe.
(f) Do not accept any thing on face value
(g) Take rest during search process if needed.
(h) Clearly mark areas, which are suspected to be hazardous and inform the coordinator of BTAC immediately.
(i) Mark the area in bold letters " DANGER – BOMB".
(j) Detonation of an explosive device may be caused by alteration of the changing environment i.e., temperature variations, the presence of an electric current, etc. Therefore, those who conduct the search should never cause any change in the environment. They should not put on electric lights in dark rooms and should not change the settings of thermostats, etc. In dark rooms, flashlight should not be used.
(k) Medical personnel should be kept close at hand during the search.
(l) Fire brigade personnel should remain on the alert.

8. WHAT TO LOOK FOR:

The search team should look for the items listed below:

(a) Ground appearing to have been recently disturbed.
(b) Tin foil
(c) Disturbed carpet
(d) Scratch mark or new paint
(e) Fresh plaster or cement
(f) Greasy paper wrapping

(g) Brick dust/sand dust
(h) Partly opened windows/doors / drawers
(i) Unusual or out of place objects.
(j) Loose switch board, floor boards and paneling
(k) Loose electrical fittings
(l) Packing / wrapping material
(m) Disturbed vegetation
(n) Safety fuses
(o) Dirty rope
(p) Batteries
(q) Loose wires or pieces of insulation
(r) New brick work

The Above list is only indicative, not exhaustive. The search team will examine all suspicious objects.

9. WHERE TO LOOK:

(a) Visitors' room in Admin Building
(b) Rest rooms for workers
(c) In Admin building/Security gate
(d) Under stair cases - in Admin building
(e) Waste baskets- in each room.
(f) Flower pots- in open spaces and in buildings
(g) Bushes/ shrubs-in TT parking area
(h) Garden / Nursery in front of store
(i) Car / Scooter Parking Shed
(j) Drains, sewage, manholes, etc.
(k) Telephones, air – conditioners, coolers
(l) Store & Scrap Yard
(m) Toilets, water supply systems - In Admin, S&D room, Canteen
(n) False Ceilings - In Admin building
(o) Overhead tanks-Near Tube well-1, Admin building.
(p) Inflammable storage area - filling sheds for Loading of TTs

10. SEARCH TECHNIQUES:

(a) Open area: The area in front of Security Room at Main Gate No 1 and Gate No 2.

The open area will be visually scanned from a safe distance for any suspected objects:

(i) In case, no suspicious object is found on visual search then equipment like explosive detector, metal detector, etc. shall be used.
(ii) Sniffer dogs, if available, will also be used.

(b) Room Search:

The entire room will be divided into four levels for the convenience of searching.

(a)	First Level	-	upto waist level
(b)	Second level	-	from waist level to head level
(c)	Third level	-	from head level to ceiling level
(d)	Forth level	-	false ceiling area/roof

Before starting the search, the team comprising two persons will stand attentively near the door and try to pick up any ticking sound of a timing mechanism.

The members thereafter will stand back to back at a particular place and simultaneously start searching the room starting from up to waist level stage.

After completion of search, the team will mark clearly with chalk that the room has been searched.

11. EVACUATION OF AREA:

The ***BTAC*** after considering all pros and cons shall decide on evacuation and search. S&D Officer will be the in charge for **Communication**. The exit route and assembly area shall be decided and communicated as soon as the decision for evacuation is taken. **Plant Manager** shall guide the people with the help of the **Officer Security**. **S & D Officer** shall make an announcement over the public address system (walkie Talkie, Intercom, Handheld Loud speakers etc) about the threat and advise the employees to vacate the area peacefully via the prescribed evacuation route and assemble at the specified holding area. During evacuation, all safety and security measures shall be observed.

For effective and smooth evacuation

- The holding area should be earmarked in advance.
- An evacuation signal and evacuation route should be pre-arranged.
- The entire evacuation shall be supervised by the in-charge.

12. EVACUATION:

The main purpose of evacuation is to move people to a safe area from the danger area. The bomb threat assessment committee after considering all pros and cons may take any of the following decisions:

(a) Search without evacuation.
(b) Evacuate partially and search.
(c) Evacuate and search simultaneously.
(d) Evacuate fully and then search.
(e) Evacuate fully but desist from searching search.

13. EVACUATION PLAN:

(a) S&D Officer will be responsible for effective communication.
(b) Wireless / Walkie – talkie, Public Address System, Page Phone, Land line Telephone and Mobile telephones will be used for uninterrupted communication.
(c) Apart from the main gate, the Emergency Gate is the other designated route for emergency exit.
(d) Security Supervisor and security guards will work as guides during evacuation.
(e) Training to the designated employees, with particular responsibilities mentioned above, will be imparted from time to time.
(f) The assembly area will be in front of Admin Building.

EVACUATION ROUTE

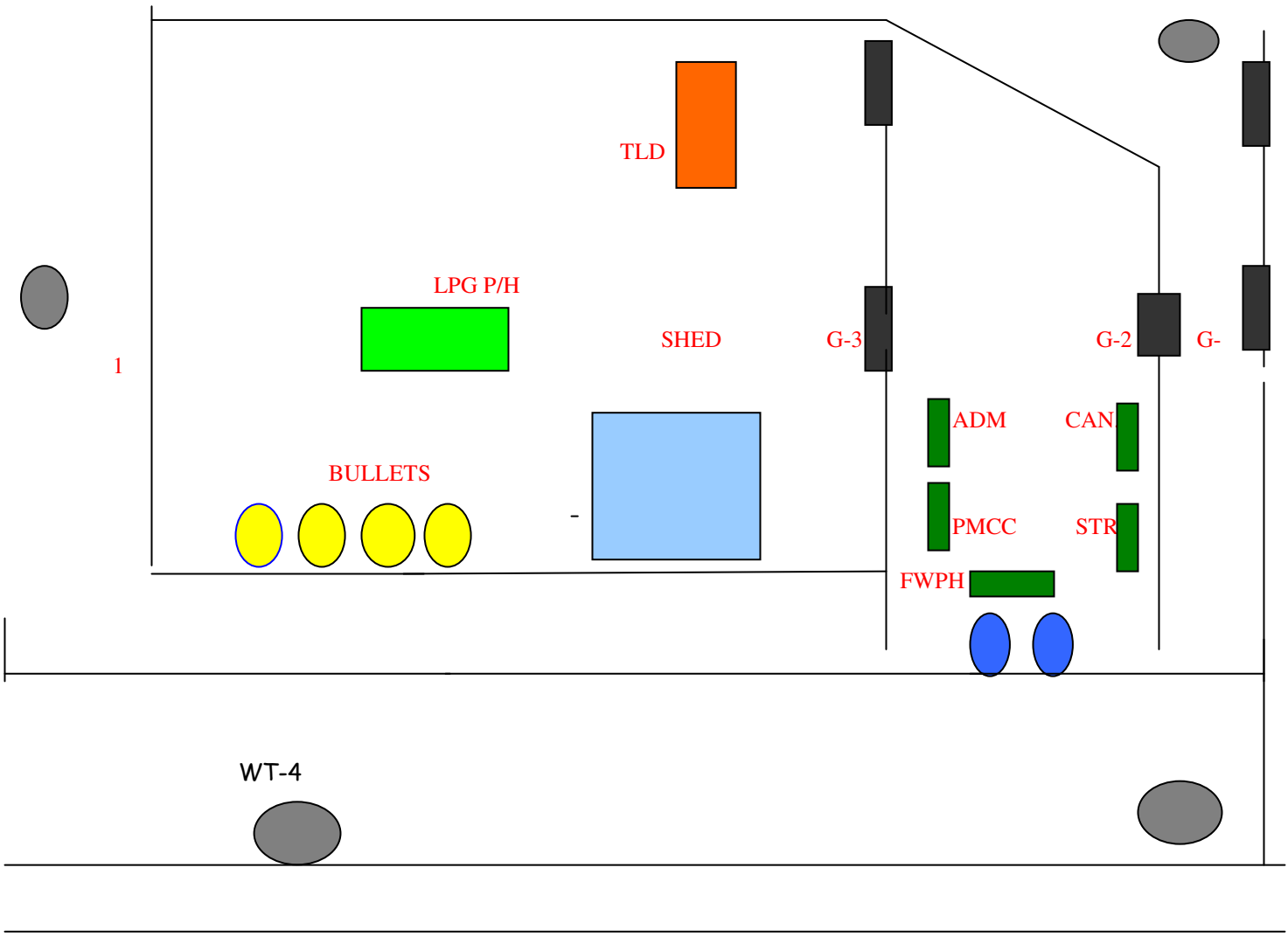

14. EVACUATION PROCEDURES:

Once the Bomb Threat Assessment Committee recommends evacuation, the designated member would announce the decision over the public address system in a manner calculated to cause minimum panic and confusion. The announcer should keep his calm and should not show any anxiety. He should specify the evacuation route and names of officials who would guide the employees to the assembly area. He would also state the importance of remaining in the assembly area till further instruction.

During evacuation the employees should follow the guidelines stated below:

(a) Remain calm.
(b) Walk out of the building quietly and orderly manner.
(c) Avoid running or jostling.
(d) Follow the evacuation route.
(e) Follow instruction from guides regarding the route to be followed.
(f) Do not indulge in speculation about the nature of the emergency, thereby causing loss of time.
(g) Do not obstruct the evacuation process in any way.
(h) Do not leave behind any personal belongings.
(i) Switch off the Plant machinery and power supply before leaving the area.
(j) Help ladies and old people to reach the safe area.
(k) Remain quietly in the assembly area until further instruction.
(l) Do not spread rumours.
(m) Check if all the employees have reached the assembly area. If anybody is missing, the matter should be immediately reported to the coordinator of the Bomb Threat Committee.
(n) Follow the rule **"DO NOT TAKE THE BOMB AWAY FROM THE PUBLIC. TAKE THE PEOPLE AWAY FROM THE BOMB".**

15. SIGNAL FOR EVACUATION:

Walkie-Talkie sets will be used to direct the employees in the affected area to evacuate. The specific code signal for evacuation will be "ALL EMPLOYEES SHOULD COME NEAR ADMN BLOCK AND S&D ROOM FOR MEETING CALLED BY PLANT MANAGER, ALL OTHER PERSONS LIKE CONTRACTOR WORKERS, VISITORS IF ANY, SHALL ALSO BE BROUGHT THERE."

16. EVALUATION OF THE BOMB THREAT:

BOMB THREAT:

The bomb threat may be received either on telephone or through written message. The threat may be genuine or false. Evaluating the bomb threat message correctly is an important task of the Bomb Threat Assessment Committee. Even a seemingly hoax call would have to be properly assessed before reaching a conclusion.

GENUINE MESSAGE

It is possible to form an idea as to whether a bomb threat call is genuine or not from the way the caller talks and gives information about the bomb. A genuine bomb threat caller would be able to describe the bomb in detail, as also the location of the bomb, time set for explosion, type of bomb, reason for planting the bomb, who is responsible for planting bomb, etc.

Genuine bomb threat caller is

a) The person who planted the bomb
b) Who knows about the placement of bomb

The genuine bomb threat caller would be very confident in passing on the message and replying to queries about the bomb.

HOAX MESSAGE

The hoax calls can be identified from the following:

a) The caller's voice shakes while giving details about the bomb.
b) He is unable to give full details of the bomb.
c) On being questioned the caller drops the telephone abruptly

ACTIONS TO BE TAKEN ON RECEIPT OF A BOMB THREAT

Whenever a bomb threat is received the message receiver must remain calm and try to extract as much information as possible so that the genuineness of the threat can be assessed.

A set of questions that may be posed to the caller, is given below:

a) What is your name?
b) What is your address?
c) What is your telephone number?
d) Where are you speaking from?
e) Where is the bomb right now?
f) When is it going to explode?
g) What kind of bomb is it?
h) What does it look like?
i) How to get rid of the bomb?
j) What will cause it to explode?
k) Who placed the bomb? How do you know about it?
l) Why has the bomb been placed?

ADDITIONAL DATA:

During the conversation with the bomb threat caller, the receiver of the call should also note:

a) The language of the caller
b) Mix of languages if any
c) Manner (calm, emotional, angry, vulgar, threatening, laughing, serious, jovial, etc.)
d) Voice (soft, loud, intoxicated, etc.)
e) Speech (slow, fast, nasal, etc.)
f) Whether the voice sounds familiar?
g) Background noises, like street sounds, house noises, animal noises, crockery, motor, music, train, factory machinery, office machinery, aircraft, traffic, etc.

The additional information will help to identify the genuineness of the threat and trace the caller.

17. EVALUATION OF BOMB THREAT MESSAGE:

Once the bomb threat call is received and the conversation is over, the person receiving the message will complete the "bomb threat information from" and forward it to the Coordinator of the bomb threat assessment committee.

The Bomb Threat Assessment Committee will immediately assemble at the designated place. While evaluating the bomb threat the committee will consider the exact message received, number of hoax calls received in last 3-4 months, recent incidents of bomb explosion in and around the plant in last one year, loss of production if the operation is discontinued, dangers involved to public, employees, properties and installation.

The Committee should be very careful in evaluating the bomb threat message because of its serious implications.

Bomb Threat Message Evaluation Method:

As soon as the Coordinator of the Assessment Committee is informed of the bomb threat evaluation, he should convene a meeting of the committee in the designated place. It will not be desirable to wait for all the members to assemble to evaluate the bomb threat message for further necessary action. The Committee will start functioning on the arrival of two or three members.

The Part-A of Annexure B - Bomb Warning Assessment Form (BWAF) will be completed in all respect by the **Coordinator** immediately. Part – A, will help to fix the details of bomb and its location.

From the detailed report submitted by the bomb threat message receiver, the **Part-B of Annexure B** will be filled, which will be helpful in identifying the exact place or location where the bomb has been planted.

Part-C of Annexure B indicates the exact type of device, likely time of explosion, the person or organization responsible, technical description of the device, etc.

One or more ticks in Part B and Part C of the evaluation form will lead to the bomb threat call as "RED" or SPECIFIC". **In that case, the following actions should be considered.**

a) Whole Area of Unit to be evacuated.
b) Thorough search by Search Team of whole unit, starting with suspect area, till the bomb detection and disposal squad arrives. The bomb detection and disposal squad will thereafter search the whole area, with the assistance of employees of the organization.
c) All safety measures will be adopted. Station fire fighting equipment should be moved near the threatened area.
d) Hospital to be alerted.
e) Local police to be informed for cordoning the unit from outside, moving people away and dispatching bomb squad to the site.
f) Vehicular traffic to be diverted away from roads adjoining the unit.
g) Power supply to threatened unit to be cut off.

In case the Part B or C of the evaluation form does not have sufficient information to categorize the bomb threat call as "RED" or " SPECIFIC", the information provided in **Part-D** of the evaluation form should be analyzed. Part D contains background data, such as history of bomb warnings and state of internal security, status of industrial relations at the time, etc. The details of part D will suggest the nature of precautionary measures to be adopted.

In case part B and Part C **do not** have sufficient information to merit classification of the message as "RED" or "SPECIFIC" but part D has information which indicates need for taking certain precautionary measures, the call will be classified as "**Amber"**. In the case of "**Amber**" threats following steps are indicated:

1. Police Control Room, Bomb Detection and Disposal Squad, Superintendent of Police and District Magistrate to be informed.
2. Security arrangements to be augmented in the area.
3. Search team to start searching without affecting normal functioning of unit.
4. Station Fire fighting equipment be put on alert.
5. Specific area threatened to be evacuated and declared out-of-control for everyone.

If Part-A, Part B, Part C and Part D contain **no information** indicating that the call is genuine, it will be termed as **"Green**", in which case **normal** functioning will be continue, while the **target area is searched for suspicious objects.**

Hence, the bomb threat call will be labeled "RED" or "SPECIFIC" "AMBER" OR "GREEN" as per information available in Part A, Part B, Part C and Part-D.

Note**: In case of difference of opinion amongst the members about the nature of the threat, it would be advisable to err on the side of caution.**

The decision of the committee will be recorded in the bomb threat evaluation Performa and signed by all the members.

The evaluation of bomb threat will be done as quickly as possible as time lost may prove costly.

18. PROCEDURE TO BE FOLLOWED AFTER IDENTIFICATION OF SUSPECTED OBJECT:

Actions to be taken:

A. In case, any suspicious object is located during search, the area is to be cordoned off and a sign reading "DANGER - BOMB" is displayed in the Area.

B. The Coordinator of the Bomb Threat Assessment Committee is to be informed about the finding of the suspicious object.

C. The Coordinator in turn will inform all the members of the Committee, Bomb Disposal Squad, Police, Fire Brigade, Medical Authorities and Civil Authorities.

D. The BTAC considering all the factors shall decide the extent of the evacuation required.

E. The designated officer shall order the evacuation of the area. The safe distance for evacuation shall also depend on the size, nature and location of the explosive device.

F. It is advisable to evacuate the employees to an assembly area, which is at least 300 meter away from the suspected object.

G. The evacuation route and the assembly area should be checked for any bombs or IEDs.

H. The object should be delicately covered with bomb blanket and then a 3 ft. high wall of sand bags should be built around it. A minimum of 100/200 sandbags may be kept at each location for this purpose.

I. In the absence of Bomb blankets, mattresses or cushions can be used to reduce the blast effect.

J. The bomb separation ring consisting of a pre-cast concrete structure with adequate wall thickness can also be used in place of sandbags. An efficient method for quickly transporting the concrete structure should be worked out.

K. If the suspected object is found in an office building or in any room, the windows and doors should be opened to minimize the extent of the bomb blast damage.

L. In case, the suspected object is located adjacent to very important rooms like control room, MCR and Power House Control room or compressor and generator room, etc., wall buttressing can be done by stacking sandbags along the wall of the adjacent room to minimize the damage from blast and shock effect.

M. In a confined room the bomb blast wave will travel all round in case the room is big enough. But if there are any outlets, the blast wave will try to escape first through these outlets. This will lead to severe damage around the outlets. Therefore, no employee should be allowed to move or assemble in such areas.

N. The evacuated employees should not be permitted to re-enter the building, or the affected area, until the bomb squad clear the bomb, declare the area safe and final clearance certificate is issued by the Bomb Threat Assessment Committee.

19. ALL CLEAR/COMPLETION CERTIFICATE:

The all-clear signal/message is to be communicated to the employees and people of the affected area after the bomb threat search procedure is completed. We have decided to announce over Handheld loudspeaker and Walkie Talkie "MEETING WITH PLANT MANAGER IS OVER, ALL ARE REQUESTED TO GO TO THEIR RESPECTIVE WORK PLACES". The BTAC shall prepare the Bomb Threat Search Completion Certificate which will be signed by all the members. Copies of the certificate will be forwarded to the higher authorities for information and record.

If the bomb Search has been carried out by Army/Police Bomb Disposal Squad then they shall issue a clearance certificate and the same will be counter signed either by the SP or his representative available at the Command Centre/Control Room.

After completion of all the above exercises the BTAC will ensure that normalcy is restored and all the agencies are informed accordingly. The PR Section (Corporate Communication) will ensure that the press releases are issued only in consultation with the Unit Head.

20. IMPORTANT:

The list of DO's and DON'Ts covered in **Annexure-D,** procedure for dealing with suspected objects/bombs shall be circulated to all the Employees and displayed prominently at some place where it will receive maximum exposure**.**

21. DAMAGE CAUSED BY A BOMB:

A bomb causes damage both by blast effect and by flying shrapnel, which are scattered over a fairly wide area but cause damage only to points, struck with sufficient force.

22. APPEARANCE AND SIZE OF HOME-MADE BOMB:

Homemade bombs are not manufactured to any fixed standards. Therefore, their materials of construction, shape, size explosive charge, finish and workmanship vary widely. A homemade bomb may look like anything from a ball of jute yarn to well-finished service type ammunition. Bamboo tubes, cigarette, tins, glass bottles, coconut shells, earthen capsules, metal pipes and shells of various types have been and are used in making home made bombs.

23. APPARENT DIFFERENCE BETWEEN SERVICE (MILITARY BOMBS) AND HOME MADE BOMBS:

All service bombs have very good finish of a manufactured article and bear markings in the form of letters, figures or monograms.

Home made bombs generally have a crude finish and do not bear markings, even if the finish is good.

24. DIFFERENT TYPES OF HOME MADE BOMBS:

Homemade bombs may be classified as under: -

(i) Bomb, which explodes at a preset time.
(ii) Bomb, which explodes when its position is disturbed.
(iii) Bomb, which explodes on impact.
(iv) Bomb initiated by the action of sulfuric acid.
(v) Bomb initiated mechanically.
(vi) Bomb fitted with fuse, which has to be lighted.
(vii) Booby trap bomb.
(viii) Letter bomb.

A) TIME BOMB:

A time bomb may have one of the following timing arrangements:

(a) A time piece or watch acting as a time switching device in an electrical circuit consisting of a flash light battery with a filament of resistance (torch light bulb with its glass globe broken).
(b) Corrosive acid or chemical in a corrodible capsule.
(c) A special alloy which fatigues at a specified rate when under tension.
(d) A long length of safety fuse or a slow burning fuse.
(e) A time pencil, which triggers the explosion at a preset time.

WARNING: The timing device is usually concealed in the bomb. It is rarely possible to identify a Time Bomb or to ascertain the set time. There is therefore a measure of risk in dealing with a Time Bomb.

B) LETTER BOMB:

All letter bombs contain a charge of explosive and a suitable initiating device. The weight of explosive in a letter bomb is not very great. Neither need a letter bomb be too bulky. A LETTER BOMB CAN KILL A PERSON WHO OPENS IT.

Letter bombs can also be made with explosive charge which is sufficiently sensitive to rough handling and does not need any special initiating arrangement. Such a bomb may be expected to be delivered only through a messenger and not by post as it may result in premature explosion. However, such sensitive letter bombs may also be sent by post as in the Patiala Post Office blast case.

C) POCKET/PARCEL/BOOK BOMB:

A packet/parcel/book bomb contains a charge of explosive with a suitable initiating device. The weight of a bomb of this type will be much more than that of a letter bomb. In general, the effects of explosion of this type of bomb will be far more serious than that of a letter bomb.

In the case of packet/parcel/book bomb delivered through messenger, the initiating device may be modified to make it work when the packet/parcel/book is upturned.

D) DETECTION OF LETTER BOMBS, PACKET /PARCEL / BOOK BOMBS:

The following pointers should be looked for in determining a suspected letter/packet/parcel/book bomb.

i	Over stamped but unregistered
ii	Unevenly balanced
iii	It has a bulge
iv	Too heavy for its size
v	There is a small pinhole in one corner
vi	Thin wire protrudes out of it
vii	It has grease marks
viii	It gives off odour of almond
ix	It has springiness on top, bottom or sides. Don't press or bend.
x	If shaken gently, there is noise of loose metal inside
xi	It gives the feeling of containing a cardboard or a stiff liner.
xii	NOTE: A letter bomb may, be marked "Personal" or "Confidential" to make sure that it gets to the intended victim.

25. EQUIPMENT / MATERIALS REQUIRED FOR DEALING BOMBS:

The following materials should be kept ready at all times as a kit for dealing with bombs:

(i) Strong, smooth string of well twisted cotton yarn or plastic yarn approximately, 3mm in diameter and 30 meter long.
(ii) 2 meters long pole of bamboo or wood (long police lathi)
(iii) A bucket or tin can with its top open
(iv) A sharp knife or a pair of scissors

***

ANNEXURES

***

A. - BOMB THREAT MESSAGE FORM

B - BOMB WARNING ASSESSMENT FORM

C - BOMB THREAT DRILL PROCEDURE

D - BOMB THREAT EVALUATION & MANAGEMENT COMMITTEE

E - IMPORTANT TELEPHONE NOS

***

ANNEXURE-A
[1/4]

BOMB THREAT MESSAGE FORM

UNIT

LOCATION TIME DATE

Forwarded to ----------

Exact wording of the threat:

---

1. Where is the bomb right now?

---

2. When is it going to explode?

---

3. What does it look like?

---

4. What kind of bomb is it?

---

5. What will cause it to explode?

---

6. Did you place the bomb?

---

7. Why are you doing this?

ANNEXURE-A
[2/4]

8. Who are you?

---

9. What is your name?

---

10. What is your address?

---

11. What is your telephone number? ----------

12. Where are you now?

---

13. Origin of call.

☐ Public phone ☐ Private phone
☐ Internal ☐ Long call

14. Specific number dialed by the caller ----------

15. Sex ----------

16. Approximate age ----------

17. Call received: Time -------- Completed ----------

Duration --------

18. Nationality ----------

19. Threat Language:

A. Well Spoken B. Irrational
C. Taped D. Foul
E. Incoherent F. Message read by threat maker

ANNEXURE-A
[3/4]

20. Voice characteristics:

A.	Loud	B.	Pitched	C.	Rasping
D.	Intoxicated	E.	Soft	F.	Deep
G.	Pleasant				

21. Callers voice:

A.	Calm	B.	Crying	C.	Excited
D.	Stutter	E.	Rapid	F.	Deep
G.	Disguised	H.	Familiar	I.	Clearing throat
J.	Angry	K.	Slow	L.	Fast
M.	Laughter	N.	Nasal	O.	Lisp
P.	Hoarse	Q.	Slowered		

22. Accent:

☐	Local	☐	Not local
☐	Foreigner	☐	Regional

Language used by the caller ----------

23. Back ground sound:

☐	Quite	☐	Mixed	☐	Street Noises
☐	Music	☐	Crockery	☐	House Noises
☐	Motor	☐	Voice	☐	Animal Noises
☐	PA system	☐	Booth	☐	Factory Machinery
☐	Children	☐	Traffic	☐	Office Machinery
☐	Train	☐	Buses	☐	Airport Activities
☐	Party Atmosphere			☐	Others

24. Did the caller appear familiar with the area by his description of the bomb location ?

---

25. If the voice sound familiar, whose did at sound like?

---

26. Command of language:

☐	Excellent	☐	Good
☐	Fair	☐	Poor

ANNEXURE-A
[4/4]

Remarks:

_____

_____

_____

_____

Name of the person who received the bomb threat:

Designation Department Phone

Message passed on to (Name)

Designation Department Phone

Date Time Signature

ANNEXURE-B
[1/3]

BOMB WARNING ASSESSMENT FORM

Indian Oil Corporation Limited

PART-A

Message received by:
Name

Designation

Telephone no.

Time of receipt

Exact wording of threat call:

Additional information: ---

Location of bomb: ---

Anticipated time of Explosion: ---

Description of bomb: ---

Name & Organisation of the caller: ---

Telephone no. of the caller: ---

Whether the message is taped: Yes/No

Any other information: ---

ANNEXURE-B
[2/3]

PART-B

Caller specified the name of the building? ----------

Caller specified any room no.? ----------

Where the bomb is kept? ----------

Caller informed any specific location? ----------

PART-C

Exact construction of device specified. ----------

Detailed technical description of device specified. ----------

---

Means of concealment of bomb explained. ----------

Extortion or political demand made. ----------

Identification of a person with his address and description. ----------

---

The type of bomb or device. ----------

Expected time of explosion

Terrorist or other organisation made or code word given. ----------

Any other information

ANNEXURE-B
[3/3]

PART-D

Background data:

History of bomb warning and state of internal security: ----------

---

History of activities of terrorist in last three months: ----------

---

Any term used indicating call to be genuine or spurious: ----------

---

Influence of current events: ----------

Additional security measures taken recently: ----------

State of industrial relation: ----------

Anti social elements activities: ----------

Intention to disrupt / create tension or violence in the locality: ----------

---

Any other information to decide the call as Genuine or false: ----------

---

ANNEXURE-C

BOMB THREAT DRILL PROCEDURE

1. Receipt of bomb threat.

2. Immediately inform Co-ordinator and Police control room.

3. Inform Local Civil authorities and Police authorities and apprise them of bomb threat.

4. Also inform Fire services of threat received at Plant.

5. Evaluation of the repercussions of the bomb explosion based on the threats received.

6. Decision to search or evacuate the area.

7. In case of evacuation, premises are cleared off in order to minimise the loss of bomb explosion.

8. Search the bomb:
   a. Bomb located -
      i. Fire fighting system checked for readiness.
      ii. All precautionary actions to minimise or making the bomb inactive.
      iii. Disposal of bomb with the help of local authorities and bomb disposal squad.
      iv. Investigate the bomb threat thoroughly.
      v. Declaration that area is safe.
      vi. Order re entry of employee.

   b. Bomb not located -
      i. Call off all the activities of the Plant.
      ii. Declaration that area is safe.
      iii. Order re entry of employee.

1. BRIEF DESCRIPTION AND METHOD OF HANDLING THE SUSPECTED OBJECT

1	Description	Method Of Handling
a.	**It has a Metal shell of GOOD FINISH AND BEARS MARKINGS OF letters figures or monogram. It is not fitted with a wick of fuse.**	**Possibly service ammunition. Leave it at site and surround with sand bags. Request Inspector of Explosives concerned to come and examine object on site. If possible, contact nearest military establishment for help in identification and removal of object.**
b.	**It HAS A METAL SHELL of good or bad finish and is FITTED externally WITH A SPRING LOADED HAMMER or PLUNGER, secured by a pin or string (Spring may not be visible).**	**Possibly a mechanically operated grenade. DO NOT meddle with the spring-loaded hammer/ plunger mechanism.**
c.	**Object looks like a BALL of JUTE YARN OR COTTON YARN OR STRIPS OF CLOTH. It is NOT fitted with a wick or fuse. Size less than 50 mm in diameter.**	**Take a bucket GENTLY place object in the bucket. DO NOT press object between fingers while picking it up.**
d.	**Object looks like BALL OF JUTE YARN. It is fitted WITH A WICK. Diameter not more than 25 mm. It may or may not have attractive finish.**	**Possibly a cracker. Send in a padded box or carton to the concerned Inspector of Explosives.**
e.	**Object looks like a bulky Book.**	**Could be a book-bomb, DON'T OPEN DON'T UPTURN OR TILT.**

2. PRECAUTIONS WHICH MUST BE FOLLOWED IN ALL CASES:

a) Be careful about entering into a room in which or next to which an explosion has occurred to bring you there. It may be a ruse to trap you.
b) Do not open a closed room / door /window / almirah / cupboard/ box in the normal way, open with a long pole or in any other improvised manner.
c) Do not switch on any electric line if the room is dark use hand torch for illumination.
d) Do not touch, lift, drag, kick, hit or move the suspected object,
e) Do not try to defuse a suspected bomb. Leave the task to experts.
f) Isolate or cover with bomb blanket, if available.

ANNEXURE – D

LIST OF DO'S & DON'TS

a) Do not touch or remove the suspected object unless you are duty bound to do so.
b) Do not open the package with hand or other materials.
c) Do not puncture the package, object or device.
d) Do not submerge the suspected object in water as there are some bombs which gets activate in water.
e) Do not cut the strings or wire attached to the object. Some bombs are designed to get activated once the string or wire is cut.

f) Do not accept the identification marks on the package on its face value.

g) Do not pass any metallic object over the package as some bombs are designed metal sensitive.

h) Do not attempt to open the baggage by hand or any other unapproved methods. Use always entry technique only.

i) Do not focus any flash light directly over the suspected object as some bombs explode on exposure to light source.

j) Do not allow anybody to re-entry in the affected area until the danger is cleared for safe and advised for re-entry.
k) Do not take bomb away from public. Take public away from bomb.
l) Do not bring suspected object in the control room.
m) Do not transport the suspected object in the control through congested area.

n) Once the bomb is located evacuate the employees immediately to the assembly the area which is notified at a safer distance.

o) Open all the doors and windows to minimize the extents of damage due to blast or shock effect.

p) Inform the Bomb Threat Committee co-ordinator.

q) Inform bomb disposal squad.

r) Inform civil authorities, police, fire brigade, hospital and ambulance.

s) Handle the suspected item only if you are trained and duty bound to handle it.

ANNEXURE – E

[1 / 2]

BOMB THREAT EVALUATION & MANAGEMENT COMMITTEE

MARKETING DIVISION :

1. **Location Incharge – Coordinator**
   Sh. Sandeep Yadav, Plant Manager
   05688 278064 (Telefax), 9412721499 (Mo)

2. **Dy. Location Incharge – Alternate Coordinator**
   Sh. Arvind Yadav, Asst. Mgr.(P)
   05688 278066, 9412771716 (Mo)

3. **Incharge of security**
   Sh. Sandeep K. Meshram, H,S&E Officer
   05688 278066, 8650501333 (Mo)

4. **Two members of the safety committee**
   Sh. Umesh B. Garg, Dy. Mgr. (F)
   05688 278065, 9760039414 (Mo)

   Sh. Jayant, Asst. Mgr. (P)
   05688 278065, 9720103090 (Mo)

5. **SP / DSP / Local Police Rep.**
   SSP, ETAWAH - 05688 254041, 05688 254978
   SO, EKDIL POLICE STATION, ETAWAH - 9415903732

6. **DM / SDM / Local Civil Rep.**
   DISTRICT MAGISTRATE - 05688 252443, 05688 252544, 05688 252758

Incharge of the nearby industry / oil terminal / depot- **NIL**

7. **Local fire fighting authority**
   FIRE OFFICER, ETAWAH 05688 254122

ANNEXURE-F

[1 / 3]

LIST OF TELEPHONES

1.	POLICE CONTROL ROOM	:	100, 05688 254408
2.	BOMB THREAT CO-ORDINATOR	:	05688 278064, 9412721499 (Mo)
4.	ALTERNATE BOMB THREAT CO-ORDINATOR	:	05688 278066, 9412771716 (Mo)
5.	MEMBER OF CO-ORDINATION COMMITTEE	:	05688 278066, 8650501333 (Mo)
6.	MEMBERS OF BTAC	:	Given below

Location Incharge – Coordinator
Sh. Sandeep Yadav, Plant Manager
05688 278064 (Telefax), 9412721499 (Mo)

Dy. Location Incharge – Alternate Coordinator
Sh. Arvind Yadav, Asst. Mgr. (P)
05688 278066, 9412771716 (Mo)

Incharge of security
Sh. Sandeep K. Meshram, H,S&E Officer
05688 278066, 8650501333 (Mo)

Two members of the safety committee
Sh. Umesh B. Garg, Dy. Mgr. (F)
05688 278065, 9760039414 (Mo)

Sh. Jayant, Asst. Mgr. (P)
05688 278065, 9720103090 (Mo)

SP / DSP / Local Police Rep.

SSP, ETAWAH - 05688 254041, 05688 254978
SO, EKDIL POLICE STATION, ETAWAH – 9415903732

ANNEXURE-F

[2 / 3]

DM / SDM / Local Civil Rep.

DISTRICT MAGISTRATE - 05688 252443, 05688 252544, 05688 252758

Incharge of the nearby industry / oil terminal / depot- NIL

Incharge of the nearby industry / oil terminal / depot- NIL

7. Local fire fighting authority

FIRE OFFICER , ETAWAH 05688 254122

8. LOCAL CIVIL AUTHORITIES :
DISTRICT MAGISTRATE - 05688 252443, 05688 252544, 05688 252758

9. LOCAL POLICE AUTHORITIES :
SSP, ETAWAH - 05688 254041, 05688 254978
SO, EKDIL POLICE STATION , ETAWAH - 9415903732

11. DISTRICT HOSPITAL ; 05688 254407, 05688 255424

13. IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS:

CORPORATE OFFICE	**:**	**011 26260101**
REFINERY HQ	**:**	**011 24361364**
PIPELINES HQ	**:**	**0120 2448512**
MARKETING HQ	**:**	**022 26426075**

14. IMPORTANT TELEPHONES OF UNIT
HQ : UPSO II – 0120 2551503 & 2547941

DGM (LPG), UP State Office II, IOCL, NOIDA	0120-2518085
Executive Director, UP State Office II, IOCL, NOIDA	0120-2538405
General Manager (LPG-Ops), HO, IOCL, Mumbai	022-26447272
DGM (H,S&E), HO, IOCL, Mumbai	022-26447486

15. AVAILABILITY OF AMBULANCE:
(A) GOVT. 05688 254407/102